सत्यमेव जयते
Ministry of Urban Development

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2017

शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक मार्गदर्शिका

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ सर्वेक्षण 2017

शहरी स्थानीय निकायों के लिए

मार्गदर्शिका

स्वच्छ भारत मिशन

प्राक्कथन

एम. वेंकैया नायडू

शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्री

महात्मा गांधी के 150 वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि के क्रम में, भारत ने 2 अक्टूबर 1919 तक खुले में शौच मुक्त और स्वच्छ बनने का प्रण लिया है। 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किये गये स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत इस उद्देश्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जो धीमी लेकिन सधी गति से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की तरफ गतिमान है और धीरे धीरे यह क्रम जनांदोलन का रूप लेता जा रहा है।

एसबीएम लागू करने के लिए मेरा मंत्रालय एक बहुआयामी रणनीति प्रयोग कर रहा है। राज्यों और शहरों को शक्तियां देकर और उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करके ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, कि वे अपने स्तर पर एसबीएम लागू करने के लिये तत्पर हो सकें। इसके साथ ही नागरिकों और अन्य भागीदारों कों भी स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने के लिये उत्साहित किया जा रहा है। इस क्रम में, मेरे मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण की एक महत्वपूर्ण पहल की है जो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसके तहत एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया जिसके द्वारा शहरों को स्वच्छता और आरोग्यता के विभिन्न मापदंडों पर श्रेणीबद्ध किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण का पहला चरण देश के 73 चोटी के शहरों में चलाया गया । इस पहल की सफलता से उत्साहित होकर अब हम जनवरी 2017 में देश के 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 500 शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं।

इस बार हम और अधिक अग्रसक्रिय (proactive)रहने की सोच रखते हैं। हमने शहरों के लिये विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण की पहल करने की योजना बनायी है, ताकि ये शहर सर्वेक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरह शक्ति संपन्न और तत्पर हो सकें। इस क्रम में मैं स्वच्छ सर्वेक्षण की यह मार्गदर्शक पुस्तिका देख कर प्रफुल्लित हूं, जो मेरे विश्वास के अनुसार शहरों की अपनी तैयारी के लिए आशु परिकलक (ready reckoner) में बहुत सहायक सिद्ध होगी और सेवाएं मुहय्या कराने के स्तर तक कदम आगे बढ़ाएगी, ताकि सर्वेक्षण में ये शहर उच्च अंकों का प्रदर्शन कर सकें।

मैं इस आयोजन में भाग ले रहे सभी शहरों को 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे इस मार्गदर्शक पुस्तिका का सर्वश्रेष्ठ संभावित उपयोग करके अपनी क्षमताओं का निर्माण करेंगे।

आइए भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर प्रयास करें ताकि वर्ष 2019 तक हम स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

शब्द संक्षिप्तीकरण (Abbreviations) सूची

एडीबी(ADB)	एशियन डेवलपमेंट बैंक
एईपीएल(AEPL)	अहमदाबाद एनवायरो प्रोजेक्ट लिमिटेड
एएमसी(AMC)	अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
एएमआरयूटी(AMRUT)	अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऐन्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन
बीएमएफजी(BMFG)	बिल ऐन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन
बीएसएनएल(BSNL)	भारत संचार निगम लिमिटेड
सीऐन्डडी (C&D)	कन्सट्रक्शन ऐन्ड डिमॉलिशन
सीबीओ(CBO)	कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन
सीसीआरएस(CCRS)	कॉम्प्रेहेन्सिव कम्पलेंट रिड्रेसल सिस्टम
सीएसआर(CSR)	कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी
सीटी(CT)	कम्युनिटी टॉयलेट
डीजीएसऐंडडी(DGS&D)	डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाइज ऐन्ड डिस्पोजल्स
डीपीआर(DPR)	डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
डीटीडी(DTD)	डोर टू डोर
ईडीएमसी(EDMC)	ईस्ट डेलही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
एफसी(FC)	फाइनेंस कमीशन
जीआईजेड(GIZ)	डचेज गैजेलशाफ फर इंटरनेशनल जुसामनरबेत गोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जीपीएस(GPS)	ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम
जीआर(GR)	गवर्नमेंट रिजॉल्यूशन
जीवीएमसी(GVMC)	ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
आईसीटी(ICT)	इनफॉरमेशन ऐन्ड कम्युनिकेशन्स टेकनॉलॉजी
आईईसी / बीसीसी(IEC/BCC)	इनफॉरमेशन एजुकेशन ऐन्ड कम्युनिकेशन धबिहैवियर चेंज कम्युनिकेशन (आईईएलएसएल)
आईएल ऐन्ड एफएस(IELSL IL&FS)	एनवायरनमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐन्ड सर्विसेज लिमिटेड
आईएचएचएल(IHHL)	इन्डिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन
आईटी(IT)	इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी
जेआईसीए(JICA)	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी
एमसी(MC)	म्यूनिसिपल कमिश्नर
एमसीडी(MCD)	म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डेलही
एमईपीएमए(MEPMA)	मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्यूनिसिपल एरियाज
एमओयू(MoU)	मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एमओयूडी(MoUD)	मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट
एमटीएनएल(MTNL)	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
एनएआरसी(NARC)	नेशनल ऐडवाइजरी ऐन्ड रिव्यू कमेटी
एनजीओ(NGO)	नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
एनआईएससीआई(NISCI)	नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज Inc
ओऐन्डएम(O&M)	ऑपरेशन ऐन्ड मेंटिनेंस
ओडी(OD)	ओपेन डेफिकेशन
ओडीएफ(ODF)	ओपेन डेफिकेशन फ्री
ओएमआर(OMR)	ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन
ओएसएस(OSS)	ऑन साइट सिस्टम
पीसीएमसी(PCMC)	पिंपरी चिंचवाड नगर निगम
पीडीए(PDA)	पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस

पीजीआरएस(PGRS)	पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम
पीएमसी(PMC)	पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
पीपीपी(PPP)	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पीटी(PT)	पब्लिक टॉयलेट
आरएफ(RF)	रेडियो फ्रीक्वेंसी
आरएफआईडी(RFID)	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आरएफपी(RFP)	रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल
एसबीएम(SBM)	स्वच्छ भारत मिशन
एसडीएमसी(SDMC)	साउथ डेलही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
एसएचजी(SHG)	सेल्फ हेल्प ग्रुप
एसएमसी(SMC)	सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
एसएमएस(SMS)	शॉर्ट मेसेज सर्विस
एसडब्ल्यूएसीएच(SWaCH)	सॉलिड वेस्ट कलेक्शन ऐन्ड हैंडलिंग
एसडब्ल्यू एम(SWM)	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
टीपीएम(TPM)	टाइम प्लेस मूवमेंट
यूआईडीएआई(UIDAI)	यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
यूएलबी(ULB)	अर्बन लोकल बॉडी
यूनिसेफ(UNICEF)	युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स इमर्जेंसी फंड
यूएसएआईडी(USAID)	युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
वीजीएफ(VGF)	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वीटीएस(VTS)	वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम
डब्ल्यूएसपी(WSP)	वाटर ऐन्ड सैनिटेशन प्रोग्राम
डब्ल्यूएसयूपी(WSUP)	वाटर ऐन्ड सैनिटेशन फॉर अर्बन पूअर

विषयवस्तु तालिका

1.1 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट – झाड़ू, संग्रह और ढुलाई (कुल अंक 360) 16
ए) एमएसडब्ल्यू के संग्रह और ढुलाई में स्वचालित तंत्र की उपलब्धता 16
बी) अपशिष्ट संग्रह क्षमता तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन....21
सी) व्यवसायिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 31
डी) आवासीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 43
ई) डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह तथा आवासीय क्षेत्र से उठाव 45
एफ) निपटानध्प्रशोधन स्थल ॅ(प्ज्ैे) तक अपशिष्ट ढुलाई की कार्यक्षमता 56
1.2. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट – प्रक्रमण एवं निपटान (PROCESSING & DISPOSAL) (कुल अंक 180) 61
1.3. सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय (कुल अंक 135) 70
1.4. व्यक्तिगत शौचालय (कुल अंक 135) 92
1.5. ओडीएफ एवं एसडब्ल्यूएम के लिए रणनीति (कुल अंक 43) 100
1.6. सूचना शिक्षा और संचार ध्स्वभाव परिवर्तन संचार (कुल अंक 44) 114
1.7. प्रस्तावित क्रम विकास 120

अनुलग्नक सूची

ये अनुलग्नक देखने के लिए, " स्वच्छ सर्वेक्षण अनुलग्न पुस्तक" डाउनलोड करें–

http://www-umcasia-org/UserFiles/umc/Swachh%20Survekshan%20AnneÛ%20Book-pdf

मार्गदर्शिका अनुलग्नक पुस्तक के साथ जोड़ कर ही पढ़ी जाय।

अनुलग्नक नाम	पृष्ठ संख्या	अनुसंलग्नक विवरण
ए	बॉयोमीट्रिक अटेंडेंस टर्मिनल की आपूर्ति के लिये क्षेत्रगत मूल्य अनुबंध और यूआईडीएआई के लिये उपस्थिति प्रणाली के उपकरण	4
बी	स्वच्छ शहर योजना का सांचा (Template)	19
सी	एमओयूडी में शामिल अनुबद्ध एजेंसियों की सूची जिससे स्वच्छ शहर योजना तैयार हो सके	29
डी	एमओयूडी में शामिल एसडब्ल्यूएम के लिये अनुबद्ध एजेंसियों की सूची	36
ई	डीजीएसऐंडडी द्वारा कचरे के ट्रकों और डिब्बों की अधिप्राप्ति का मूल्य अनुबंध	46
एफ	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016	51
जी	एकीकृत एसडब्ल्यूएम के लिये आदर्श रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP)	67
एच	वृहत्तर विशाखापट्टनम नगरपालिका के सीऐंडडी अपशिष्ट के संग्रह, ढुलाई, प्रक्रमण एवं प्रबंध के लिये नमूने के आरएफपी	127
आई	द्वितीयक (SECONDERY) बिंदु तक डोर टे डोर संग्रह और ढुलाई के लिये संचालक के चयन हेतु आदर्श आरएफपी	219

जे	कंपनियों के कानून के लिये अनुसूची (schedule)VII, 2014	274
के	राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ता भार के लिये विज्ञप्ति	277
एल	एमटीएनएल के साथ एमओयू	293
एम	बीएसएनएल के साथ एमओयू	320
एन	मौजूदा कचरा स्थल (dump site) की बंदी और ढंकाव (capping)	347
ओ	एसडब्ल्यूएम के लिये अनुबद्ध संस्थाओं की सूची	394
पी	एसडब्ल्यूएम पर तकनॉलॉजी सलाहकार समूह की रिपोर्ट, 2005	406
क्यू	अपशिष्ट से ऊर्जा तक, पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट, 2014	673
आर	अपशिष्ट से ऊर्जा और निपटान सुविधा के लिये आदर्श आरएफपी	850
एस	आंध्र प्रदेश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा प्रक्रमण सुविधा में परिवर्तित करने के लिये विकास भागीदार का चयन	900
टी	अपशिष्ट से ऊर्जा तकनॉलॉजी प्रदाता की सूची	995
यू	अनुबद्ध कारोबारी (transaction) सलाहकारों की सूची जो शहरी स्थानीय निकाय और निजी एजेंसियों के बीच अनुबंध में सहायक हो	998
वी	देश के लिये स्वच्छ भारत विकास सहभागी गठबंधन	1006
डब्ल्यू	डीजीएसऐंडडी द्वारा जारी चलित शौचालयों के लिये मूल्य अनुबंध नमूने	1009
एक्स	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु वृहत्तर विशाखापटनम नगर निगम (जीवीएमसी)द्वारा प्राप्त नमूने के आरएफपी	1021
वाई	डिजाइन, काठी, संचालन और स्थानांतरण यंत्रावली (mechanism) द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण हेतु नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा प्राप्त नमूने के आरएपपी	1171
जेड	स्वच्छ आंध्र निगम द्वारा सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिये दिशा निर्देश, आंध्र सरकार	1234
एए	पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक शौचालयों और संबद्ध सुविधाओं के संचालन और देखरेख के सहमति अनुबंध के नमूने के आरएफपी	1258
एबी	शहरी प्रबंधन केंद्र द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई की मानक संचालन प्रक्रिया	1298
एसी	शहरी प्रबंध केंद्र द्वारा तैयार 20 X फ्लैश कार्ड्स (Flash Card)	1318
एडी	जनाग्रह के साथ एमओयू (MoU)	1352
एई	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा झोंपड़पट्टी स्तर के संघों के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के दिशा निर्देश (IHTs)	1358

एएफ	स्वच्छ आंध्र निगम का घोषणा प्रारूप, आंध्र प्रदेश सरकार	1371
एजी	अहमदाबाद नगर निगम की सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमावली	1385
एएच	एमओयूडी के स्पॉट जुर्माने के लिये सर्कुलर	1457
एआई	अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शिकायत निस्तारण प्रणाली के लिये कॉल सेंटर संचालन के लिये आरएफपी	1472
एजे	दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा एक कॉल सेंटर की सेवाएं प्रदान करने के लिये आउटसोर्सिंग आधार पर एक एजेंसी के चयन हेतु आरएफपी	1494
एके	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एमओयूडी द्वारा जारी स्वच्छता विषयक अभियान की सूची	1529

परिचय

2 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया।मिशन के दो अवयव हैं। पहला, स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण, जो कि भारत के ग्रामीण केंद्रों के लिए है, तथा दूसरा– स्वच्छ भारत मिशन– शहरी, जो कि देश के नगरीय क्षेत्रों पर केंद्रित है।

"एक स्वच्छ भारत ही, 2019, में महात्मा गांधी के 150 वें जन्मदिन पर उनको देश की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी" श्री नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का फोकस खुले में शौच मुक्त आबादी का निर्माण करना है। (हर घर में व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के निर्माण द्वारा) और 100% ठोस अपशिष्ट वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा।

शहरों में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) ने 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया, जिसने देश के 73 शहरों का मूल्यांकन किया। इसी का अनुसरण करते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने "स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 " के लिए मार्गदर्शिका जारी की है। जिसमें 500 शहरों का श्रेष्ठता क्रम निर्धारण (rank) के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित होगा (इनमें वे शहर शामिल होंगे जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा होगी।). इस सर्वेक्षण में कवर होने वाले अवयव होंगे।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) जिसमें सड़कों की सफाई शामिल है, नगरपालिका आवासीय ठोस अपशिष्ट • व्यावसायिक क्षेत्र और निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट
- व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय
- खुले में शौच मुक्त शहर /कस्बा रणनीति
- सूचना, शिक्षा और स्ववहार परिवर्तन संचार (आईईबीसी) रणनीति, और आईसीटी आधारित प्रणाली जो शहरी स्थानीय निकाय कार्यक्रमों (यूएलबी) को मजबूत कर सके।

शहरों के सर्वेक्षण श्रेष्ठताक्रम की कार्य पद्धति (methodology for ranking) तीन मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है:

- भाग 1: संबंधित नगर निकाय से बातचीत कर आंकड़ों का संग्रह
- भाग 2: सीधे अवलोकन से आकड़ों का संग्रह
- भाग 3: नागरिकों के फीड बैक से आंकड़ों का संग्रह

सर्वेक्षण का विवरण और कार्य पद्धति शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 सर्वे विवरणिका (Brochure) में उपलब्ध है।" इस मार्गदर्शिका का लक्ष्य शहरी स्थानीय निकाय को यह समझने में सहायता देना है कि अभियान के लिये क्या कार्य पद्धति अपनायी गयी है और वे किस तरह अपनी रणनीति और प्रणाली को मजबूत करके सर्वेक्षण के भाग 1 में अपने प्राप्तांक (score)बेहतर कर सकते हैं। इस मागदर्शिका का उद्देश्य यूएलबी को केवल यह जानकारी देना नहीं कि किस तरह प्राप्तांक (score)अधिक किये जाएं बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यूएलबी सेवा प्रदान करने में अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं और अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता को कैसे सुधारें। यूएलबी के लिए यह आशु परिकलक (ready reckoner) है कि वे संभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर शीघ्रता के साथ आवश्यक अधिप्राप्ति और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें और अपने सुंदर शहरों के प्रमुख अभ्यासों से भी परिचित कराएं। यह मार्गदर्शिका यूएलबी अधिकारियों को भी ये समझने में मदद करेगी कि श्रेष्ठताक्रम (ranking) के लिए कौन से मापदंड प्रयोग होते हैं और उन्हें इसके लिये कौन से आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने हैं। यह मार्गदर्शिका शहरी प्रबंधन केंद्र की तकनीकी सहायता से तैयार की गई है।

मार्गदर्शिका के बारे में

मार्गदर्शिका स्वच्छ सर्वेक्षण के भाग 1 के श्रेष्ठताक्रम कार्य पद्धति के सर्वेक्षण खा के (survey design) को समझने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित (design) की गयी है। प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठताक्रम (ranking) शहरी स्थानीय निकाय और उनके तंत्र, प्रक्रिया और ढांचे (infrastructure) के स्तर पर प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे विवरणिका (brochure) यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। http://swachhbharaturban-gov-in/writereaddata/SurveyBrocure2017-pdf

भाग 1 कुल 2000 अंकों में 900 अंक का होता है और यह भाग 2 तथा भाग 3 की तुलना में सर्वाधिक अंक और मापदंड रखता है। भाग 2 और भाग 3 परिणामों के मापदड हैं, जो बाहरी आकलनकर्ताओं के गुणवत्ता आकलन पर आधारित होते हैं।

मार्गदर्शिका किस प्रकार प्रयोग करें ?

स्वच्छ सर्वेक्षण छह अवयवों में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक के निश्चित अंक हैं। प्रत्येक अवयव वर्गों में विभाजित है, जो फिर मापदंडों (parameters) में पुनर्विभाजित हैं। ये छह अवयव निम्नलिखित हैं और इनके कुल अंक नीचे दिये गये हैं:

अवयव	कुल प्राप्तांक
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट रू सफाई, संग्रह और ढुलाई	360
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट दृप्रक्रमण और निपटान	180
सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय	135
व्यक्तिगत शौचालय	135
ओडीएफ एवं एसडब्ल्यूएम के लिये रणनीति	45
आईईसी / व्यवहार परिवर्तन संचार (Behaviour change communication)	45
कुल प्राप्तांक	900

प्रत्येक सर्वे मापदंड जो इस वर्ग में समायोजित है, उसका विवरण इस प्रकार है–

1. उद्देश्य और परिभाषा : यह मापदंड को सरल करती है और जिन मापदंडों पर प्राप्तांक आधारित हैं उनका एक सिंहावलोकन कराती है और यह सभी तकनीकी शब्दों की व्याख्या भी करती है, जो मापदंडों में शामिल किये गये हैं।

2. मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन (Gradation): इससे क्रमिक स्थापन होता है, जिसके आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्तांक दिये जाएंगे।

3. यूएलबी से प्राप्त सहायक दस्तावेज : इससे दस्तावेजों की एक सूची मुहैया होती है, जो यूएलबी को उपलब्ध करायी जाती है और जो उनके दावों में साक्ष्य के रूप में सहायक होती है। ये दस्तावेज एमओयूडी के सत्यापन के लिये प्रयोग होंगे ।

4. अधिकतम प्राप्तांक के लिये शहरी स्थानीय निकायों को क्या करना चाहिये : यदि यूएलबी अधिकतम प्राप्तांक के लिये अर्ह नहीं है, यह वर्ग उन कार्यों का विवरण देता है, जिनका उपयोग करके यूएलबी अपना प्राप्तांक बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं। यह वर्ग वित्तीय स्रोतों का विवरण, अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विवरण और मूल्य अनुबंध आदि का विवरण देता है, और वे लिंक्स (links) बताता है जो आदर्श आरएफपी के लिये होते हैं। इससे शहरों को शीघ्रता के साथ अपनी अधिप्राप्ति प्रक्रिया और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता में सहायता मिलती है।

5. अन्य स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यासरू यह वर्ग उन संबंधित सफल प्रयोगों का एक संक्षिप्त परिचय उपलब्ध कराता है, जिन पर यूएलबी काम करते हैं। ये केवल प्रतनिधि उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त ढेरों ऐसे प्रयोग हो सकते हैं जो अन्य विभिन्न शहर प्रयोग कर सकते हैं।

इस मार्गदर्शिका में ऐसे बहुत से प्रपत्रों के संदर्भ (reference) हैं जिनमें नमूने के आरएफपी प्रपत्र, नमूने के अनुबंध, सेवा प्रदाताओं के साथ एमओयू जो एमओयूडी से अनुशंसित हों, अनुबद्ध (empenalled) एजेंसी और संगठनों की सूची है। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को विभिन्न तरह की पहल लागू करने में मदद करेगी । ये प्रपत्र एक अनुलग्न पुस्तक (Anne x Book) में समानुक्रमित (collated) हैं, जो यहां से डाउनलोड किये जा सकते हैं– http://www-umcasia-org/UserFiles/umc/Swachh%20Survekshan%20AnneÛ%20Book-pdfA

नगर निकाय अधिकारियों के लिये ई–प्रशिक्षण मंच : इस मार्गदर्शिका के साथ, शहरों का प्रबंधन करने वालों को स्वच्छ भारत मिशन पर ई– प्रशिक्षण मंच के पाठ्यक्रम भी पढ़ने चाहिये। (http://swachhbharat-cloudapp-net/)। ये ई– प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऐसी परिकल्पनाओं की एक औजार पेटी उपलब्ध कराते हैं, जो लागू किये जा सकते हैं, जिनका आधुनिकीकरण किया जा सकता है /या जिन्हें अन्य शहरों में अपनाया जा सकता है। ये ई– पाठ्यक्रम स्थानीय सरकार के प्रबंधकों के अनुभवों और सफलताओं के आधार पर चलाये जा रहे हैं और अच्छे अभ्यास के प्रसार और उनके अनुसरण के अवसर प्रदान कर रहे हैं। बहुत से शहर प्रबंधकों ने शहरी नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में उल्लेखनीय योगदान दिया है और वे अपना प्रशिक्षण अनुभव ई–पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीधे अपने सहकर्मियों के साथ बांट रहे हैं। ई–पाठ्यक्रम पोर्टल(portal) व्यस्त शहरी प्रबंधकों को सुविधाजनक ढंग से सीखने की गतिक्षमता का विकल्प उपलब्ध कराता है। ये मंच प्रमुख अभ्यासों वाले वीडियो के माध्यम से प्रमुख एकांकी हब (one & stop hub) संबंधित पाठ्य सामग्री, तकनॉलॉजी के विकल्प के रूप में सेवा देता है, साथियों से साथियों तक प्रसार करता है और मंच के रूप में भागीदारों को सहायता प्रदान देता है । इस मार्गदर्शिका में कई संबंधित शिक्षणों का संदर्भ तो सम्मिलित है ही, ये लिंक्स(links) प्रयोगकर्ता को चिह्नित केस स्टडी तक भी पहुंचने में सहायक होंगे। प्रयोगकर्ता को शिक्षण सामग्री देखने से पहले पोर्टल पर खुद को रजिस्टर /साइन इन करना पड़ेगा। हम यूएलबी से यह भी निवेदन करेंगे कि वे अपने नवोन्मेष और रचनाएं हमारे साथ साझा करें। एमओयूडी को आपके अभ्यास और अनुभव से ई–प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और उसे साझा करने में प्रसन्नता होगी। कृपया अपनी सूचना info /umcasia-org पर भेजें।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

कृपया इस प्रपत्र (document) को स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 सर्वे विवरणिका और स्वच्छ सर्वेक्षण अनुलग्नक पुस्तक के साथ जोड़ कर पढ़ें।

1.1 नगर निकाय ठोस अपशिष्ट – सफाई, संग्रह और ढुलाई (कुल अंक 360)

ए) एमएसडब्ल्यू के संग्रह और ढुलाई के लिये स्वचालित तंत्र की उपलब्धता

इस वर्ग में नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और ढुलाई के लिये स्वचालित तंत्र के प्रस्तावों से संबंधित मामले शामिल हैं।

यह वर्ग 2 मापदंडों पर निर्भर है और इस वर्ग के अंतर्गत अधिकतम प्राप्त किये जा सकने वाले अंकों की कुल संख्या है

1.1.1.नगरपालिका स्टाफ की उपस्थिति की निगरानी के लिये आईसीटी आधारित मॉनीटर का प्रयोग

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड इस बात का विश्लेषण करता है कि क्या आपके शहरी स्थानीय निकाय के पास कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिये सूचना संचार तकनॉलॉजी (ICT) आधारित तंत्र है या नहीं। अंकों का क्रमिक स्थापन (हतंकंजपवद) इस पर आधारित होगा कि शहरी स्तर पर कार्य अभियानों की मॉनीटरिंग और उनका मापन किस सीमा तक किया गया। अगर इस प्रकार का तंत्र पूरे शहर में है, और मुख्यालय से भी इस पर निगरानी रखी जा रही है, तो आपका यूएलबी अधिकतम अंक प्राप्त करता है।

आईसीटी आधारित स्टाफ उपस्थिति प्रणाली का अर्थ है, कम से कम एक बॉयो–मीट्रिक / स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली जो साइट और कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कर सके। (स्थायी और अनुबंधित दोनों प्रकार के)।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या आपके पास आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली है?	
पूरे शहर में आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली और मुख्यालय से उसकी निगरानी	23
आईसीटी आधारित उपस्थित प्रणाली पूरे शहर में लेकिन मुख्यालय स्तर पर उसकी मॉनीटरिंग नहीं	16
आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली शहर के कुछ हिस्सों में और मुख्यालय स्तर पर उसकी निगरानी	11
आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली शहर के कुछ हिस्सों में और मुख्यालय स्तर पर उसकी निगरानी नहीं	5
आईसीटी आधारित उपस्थिति तंत्र नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक दस्तावेज

अगर आपके यूएलबी के पास आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली है, तो आपको इसके पक्ष में निम्नलिखित प्रपत्र साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराने होंगे :

- समय की मोहर सहित अंतिम तिमाही के किसी भी महीने के एक सप्ताह की उपस्थिति रिपोर्ट और साक्ष्य के रूप में किसी एक व्यक्ति का नमूना
- नगरपालिका/उप /अतिरिक्त आयुक्त स्तर /आयुष स्वास्थ्य अधिकारी, जो सभी कर्मचारियों की उपस्थिति देखता हो, उसके पास उपस्थिति निगरानी पटल (dash board) और स्क्रीन शॉट्स(Screenshots) की उपलब्धता।

अधिकतम प्राप्तांक के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- शहरी स्थानीय निकाय को सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति पर नजर रखने और उसे दर्ज करने के लिये बॉयो–मीट्रिक /स्मार्ट कार्ड तकनॉलॉजी स्थापित करनी चाहिये
- क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये, एक ऐसा आईसीटी तंत्र स्थापित करना चाहिये जो दूरस्थ इलाकों में उपस्थिति दर्ज कर सके।
- उपस्थिति प्रणाली कर्मचारी की समय तालिका से भी जुड़ी होनी चाहिये।

अधिप्रप्ति (Procurement)

- इस काम में एजेंसियों की अधिप्राप्ति के लिये, आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली का हार्डवेयर या सॉप्टवेयर विकसित करने के लिये शहरी स्थानीय निकाय एनआईसीएसआई से अनुबद्ध एजेंसियों की सूची से ठेकेदार किराये पर ले सकती हैं।
- विकेंद्रित रूप में दीवार से जुड़े बॉयोमीट्रिक उपस्थिति टर्मिनल और डेस्क टॉप फिंगर प्रिंट डिवाइस की शीघ्र अधिप्राप्ति के लिये यूएलबी डीजीएसऐंडडी द्वारा निर्धारित मूल्य समझौते से अधिप्राप्त कर सकते हैं।विकल्प के रूप में वे एनआईसीएसआई से भी ये उपकरण अधिप्राप्त कर सकते हैं। यूआईडीएआई उपस्थिति प्रणाली के लिये बॉयो–मीट्रिक उपस्थिति टर्मिनल और उपकरण की आपूर्ति के लिये क्षेत्रवार मूल्य समझौते (मूल्य वैधता 27 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक)अनुलग्न पुस्तक के संलग्नक A में प्रस्तुत हैं।

वित्तीय सहायता

- अगर आपका यूएलबी 100 चयनित स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल है, तो आप स्मार्ट सिटी योजना के तहत आईसीटी आधारित सॉल्यूशंस से धन प्राप्त कर सकते हैं।
- अगर आपका शहर स्मार्ट सिटी योजना की सूची में नहीं है, तो आप 14वें वित्तीय आयोग द्वारा शहरों को स्थानांतरित की गई मूल संयुक्त राशि का उपयोग कर सकते हैं।

अन्य शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख अभ्यास

गुंटूर नगर निगम में आरोग्यकर्मियों के लिये बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली

गुंटूर नगर निगम (जीएमसी) में करीब 2000 आरोग्यकर्मियों के लिये बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई। जीएमसी प्रतिदिन करीब 350 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है।1,175 किलोमीटर सड़कों की सफाई करता है और 1500 किलोमीटर नालियों की देखरेख करता है। पीपीपी व्यवस्था के तहत यहां बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की गयी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुल कीमत रु.

30,00,000 लाख बैठी। इसके अलावा रु.1,30,000 के मासिक खर्च की आवृति आयी। बॉयोमीट्रिक गुमटियां शहर के सभी 26 प्रखंडों में स्थापित की गयीं। बॉयोमीट्रिक सूचना से परिपूर्ण आईआरआईएस रिकग्निशन की देखरख केंद्रीय सर्वर से होती है। आईआरआईएस रिकग्निशन एक बार की जाने वाली क्रिया है, और इसकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो चुकी है। उपस्थिति दिन में दो बार, सुबह 5 बजे और दोपहर 12 बजे, होती है और यह कुशलता के साथ 20 मिनट में संपन्न हो जाती है। उपस्थिति की जानकारी के आधार पर, अनुबंधित कर्मियों को उनका पारिश्रमिक ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तंत्र ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है और मजदूरों को संरक्षण दिया है। इससे पारदर्शिता में सुधार के साथ कार्य आचार में भी सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप बेहतर सेवाएं दी जा रही है। निगम के पास वेतन गणना और कर्मियों के खाते में ऑनलाइन वेतन स्थानांतरण सुविधा वाली एक केंद्रीकृत वेतनभुगतान प्रणाली (payroll system) है।

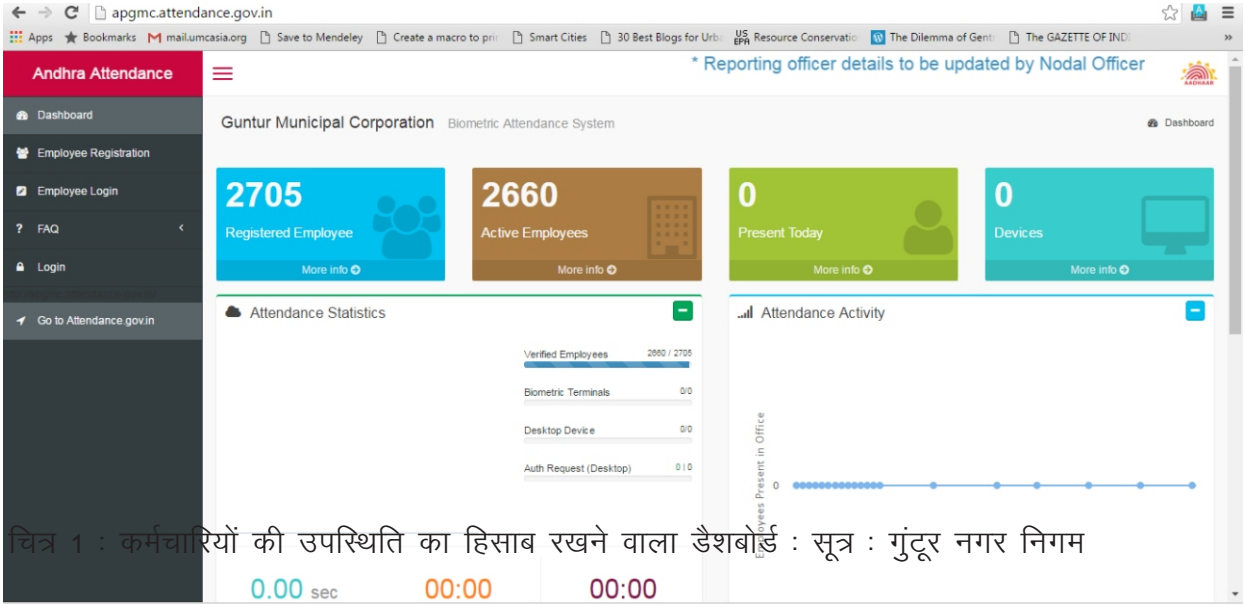

चित्र 1 : कर्मचारियों की उपस्थिति का हिसाब रखने वाला डैशबोर्ड : सूत्र : गुंटूर नगर निगम

1.1.2 स्वच्छ शहर योजना के लिये नगरपालिका स्टाफ की पर्याप्तता/डीपीआर सिफारिशें

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड विश्लेषण करता है कि क्या आपके शहरी स्थानीय निकाय ने स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर के अनुसार सभी पद भर लिये गये हैं। सड़कों की सफाई के लिये पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न अवयवों को लागू करने और उसे जारी रखने की कुंजी है।

इस मापदंड के तहत प्राप्तांक, स्टाफ के रिक्त पदों के प्रतिशत पर निर्भर करते हैं।यह प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, प्राप्तांक उतने कम होंगे। अगर 40 % से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, तो यूएलबी को शून्य अंक मिलेंगे।

स्टाफ के रिक्त पद (%) = (सड़कों की सफाई के लिये सटाफ के रिक्त पदों की संख्या/स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर के लिये स्टाफ के कुल अनुमोदित पद) 100
(स्टाफ में शहरी स्थानीय निकाय के स्थायी और अनुबंधित दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन (gradation)

रक्त स्थानों का प्रतिशत	
<100%	18
10% - 20%	14
21% to 30%	9
31 % - 40 %	5
Above 40%	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक दस्तावेज

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने चाहिये

- स्वच्छ शहर योजना / डीपीआर/राज्य द्वारा अधिसूचित दस्तावेज, जिसमें यूएलबी में स्टाफ की आवश्यकता बतायी गयी हो।
- भरे पदों के साक्ष्य के रूप में पिछले महीने के वेतन भुगतान रिपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें (अनुबंधित स्टाफ समेत) सफाई स्टाफ की कुल संख्या दर्ज हो।

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये ?

अगर यूएलबी के पास स्वच्छ शहर योजना डीपीआर नहीं है, वे इसके बदले–

- यूएलबी को एमओयूडी द्वारा दी गयी शहर आरोग्यता योजना के वर्ग में अपने स्तर की योजना तैयार करनी चाहिये (अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्न बी देखिये)
- जब तक स्वच्छ सिटी प्लान का मसौदा तैयार होता है, यूएलबी खुद अपने स्टाफ की आवश्यकता का आकलन कर सकता है। (अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्न सी देखिये)

- जनगणना 2011 के बेंचमार्क के अनुसार 10,000 की जनसंख्या के लिये 28 लोगों की जरूरत होती है। अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता के आकलन के लिये इसे आधार बनाया जा सकता है।
- यूएलबी राज्य सरकार से अनुमति और अनुमोदन लेकर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करके अपने स्टाफ की जरूरत पूरी कर सकती हैं। अगर राज्य सरकार स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन नहीं देती, तो यूएलबी को अनुबंध के आधार पर स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिये या फिर किसी तीसरी संस्था को अपना काम आउटसोर्स कर देना चाहिये।

अपशिष्ट संग्रह और निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन की कार्य क्षमता

इस वर्ग में वे मापदंड हैं, जो ठोस अपशिषट के संग्रह और निर्माण व ध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित हैं। ये वर्ग 5 मापदंडों पर आधारित है और इस वर्ग से यूबएलबी अधिकतम 65 अंक अर्जित कर सकते हैं।

1.1.3 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह की कार्यक्षमता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड से उस अपशिषट के प्रतिशत का आकलन किया जाता है, जो शहर में नियमित रूप से उत्पन्न होने वाले के कुल अपशिष्ट की तुलना में संग्रहीत किया जाता है। अंकों का क्रमिक स्थापन (gradation) शहर में उत्पन्न कुल अपशिष्ट की तुलना में संग्रहीत किये गये अपशिष्ट के प्रतिशत के आधार पर तय होता है। जो यूएलबी शहर में कुल उत्पन्न अपशिष्ट का 40 % से कम संग्रह करते हैं, उन्हें शून्य अंक मिलते हैं।

(नगर निकाय के प्रतिदिन संग्रहीत कुल ठोस अपशिष्ट / नगर निकाय के प्रतिदिन कुल उत्पन्न ठोस अपशिष्ट)*100

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

प्रतिदिन संग्रहीत अपशिष्ट का प्रतिशत	
<100%	18
80% - 99%	14
60% to 79%	9
40 % - 59 %	5
Below 40%	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दिये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने चाहिये

- स्वच्छ शहर योजना / एसडब्ल्यूएम डीपीआर / या कोई अन्य परीक्षण (अंतिम वर्ष के दौरान तैयार) जिससे शहर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा का आकलन किया जा सके।
- इन प्रपत्रों की अनुपस्थिति में प्रति व्यक्ति बेंचमार्क (500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन X शहर की जनसंख्या)के आधार पर कुल उत्पन्न अपशिष्ट की गणना
- शहर से संग्रहीत अपशिष्ट का दैनिक आधार पर रिकॉर्ड। इसमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहीत अपशिष्ट के रिकॉर्ड शामिल होने चाहिये, या अंतिम तिमाही में प्रसंस्करण / निपटान स्थल पर विभिन्न वाहनों द्वारा किये गये दौरों की संख्या का रिकॉर्ड ।

- अगर यूएलबी के पास स्वच्छ शहर योजना / डीपीआर नहीं है, तो
- यूएलबी को एमओयूडी द्वारा दी गयी शहर आरोग्यता योजना के वर्ग में अपने स्तर की योजना तैयार करनी चाहिये (अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्न बी देखिये)
- यूएलबी अपने स्तर से एसडब्ल्यूएम के लिये एमओयूडी में दर्ज अनुबद्ध एजेंसियों की सूची से पारिश्रमिक के आधार पर सलाहकार प्राप्त कर सकता है(अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्न डी देखिये)
- अगर शहर ने उत्पन्न अपशिष्ट का कोई आकलन तैयार नहीं किया है, यूएलबी को इस तरह के अध्ययन के लिये पहल करनी चाहिये

यूएलबी का अपना प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये ?

अधिप्राप्ति

- आवश्यक क्रियानवयन के क्रम में, यूएलबी को डीजीएसऐंडडी एवं ओमओयूडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के तहत कचरा संग्रह वाले ट्रक और डिब्बे की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिये । इन मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 है।डीजीएसऐंडडी द्वारा दी गई मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्न ई में दी गी है।
- अपशिष्ट संग्रह के लिये मानव संसाधन की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिये, यूएलबी को पूर्व में दिये गये मापदंडों का अध्ययन करना चाहिये।

वित्त

- यूएलबी को राज्य सरकार की सलाह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये डीपीआर तैयार करने चाहिये। डीपीआर तैयार करने में आने वाला 100 प्रतिशत खर्च, राष्ट्रीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा तय किये गये नियमों और इकाई के मूल्य के आधार पर, बाद में भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। (संदर्भ एसबीएम अर्बन गाइडलाइन्स)
- ट्रक और कचरे के डिब्बों की अधिप्राप्ति के लिये स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त धन का उपयोग किया जा सकता है।
- यूएलबी सभी एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में 20 प्रतिशत प्रति योजना की दर से वीजीएफ / अनुदान का लाभ प्रसप्त कर सकते हैं। प्रत्येक शहर / कस्बे के लिये एसबीएम के तहत नगरपालिका एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये मौजूदा जनसंख्या में रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भ डीओ नंबर क्यू–15014 / 2 / 2009–सीपीएचईईओ)

अन्य शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख अभ्यास

शून्य कचरे वाले एक कस्बे की उपलब्धि, नामाकल नगरपालिका, तमिलनाडु

नामाकल नगरपालिका जुलाई 2003 से ही शून्य कचरे वाला कस्बा बन गया है। और यह देश का पहला कस्बा है जिसने विभिन्न पहलों को लागू करके शून्य कचरे का स्तर प्राप्त किया है। ये उपलब्धि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी अवयवों के निजीकरण द्वारा प्राप्त हुई है। और इस उपलब्धि में स्थानीय नगरपालिका, स्वयं सहायता समूहों, आवासीय एवं औद्योगिक संघों, गैरसरकारी संगठनों था कचरा बीनने वालों समेत विभिन्न पक्षों के संयुक्त प्रयास शामिल हैं। इसके सभी 30 वार्डों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह निजी एजेंसियों द्वारा किया गया। नगरपालिका सफाई कर्मचारी मुख्य सड़कों, बस स्टैंड, बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में रात्रि के समय सफाई करते हैं।गलियों, सड़कों, बाजारों, बस स्टैंड आदि से सभी कचरे के डिब्बे चरणबद्ध तरीके से हटाये जाते हैं।अपशिष्ट पृथक्करण स्रोत बिंदु पर किया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के लिये रंगीन कचरे के डिब्बों का प्रयोग होता है। पृथक किये गये गीले जैव कचरे को वर्मि कम्पोस्ट इकाई में ले जाया जाता है। इस प्रणाली में जो मुख्य पहलू शामिल हैं, वे हैं :

- पूरे शहर में डोर टू डोर संग्रह और स्रोत बिंदु पर उसका पृथक्करण

- गीले कंपोस्ट योग्य, सूखे पुनर्चक्र योग्य और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्करण
- जैव कचरे से जैव खाद का निर्माण
- डोर टू डोर संग्रह के साथ सभी छुट्टियों और रविवार को सफाई
- प्रतिदिन 100% कचरे का निष्पादन
- लाथूवाड़ी गांव में वैज्ञानिक ढंग से निर्मित कचरा भराव साइट
- पीपीपी मोड में पर्यावरणीय जैव संस्कृति पर आधारित उद्योगों की स्थापना

चित्र– 2 रंगीन डिब्बों में अपशिष्ट संग्रह

चित्र–3 अपशिष्ट संग्रह प्रणाली का उद्घाटन

सूत्र : एक्सपीरिएंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ईको–सिटी ऐट नमक्कल, टीएन प्रेजेन्टेड बाई म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ नमक्कल म्यूनिसिपैलिटी ऐट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ईको सिटी फॉर एनहैन्सिंग प्रमोशन ऑफ ईको प्रोडक्ट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन असेस्ड ऑन 11 जून 2016।
(http://www-unep-or-ip/japanese/spc/singapore session/namakkal-pdf)

1.1.4 निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन

1.1.4.1 निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट संग्रह के लिये अलग अलग तंत्र की सुविधा

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड इस बात का आकलन करता है कि आपके यूएलबी के पास शहर में उत्पन्न निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट के संग्रह के लिये अलग अलग तंत्र है या नहीं। इस मापदंड में यूएलबी केवल 'हां' या 'ना' में उत्तर दे सकते हैं। यूएलबी हां में तभी उत्तर दे सकते हैं, जब उनके पास शहर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का 100 प्रतिशत सीऐंडडी हो।

निर्माण और ध्वंस का अपशिष्ट संग्रह, निर्माण और ध्वंस नियम 2016 (अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एफ को देखें)के तहत ही किया जाना चाहिये।

- अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण और ध्वंस का अपशिष्ट या तो इमारत के अहाते में रखना चाहिये, या शहरी निकाय द्वारा बनाये गये संग्रह केंद्र में जमा करना चाहिये या फिर निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण सुविधा वाले प्राधिकारी को सौंपना चाहिये।
- यूएलबी को प्रक्रमण और निपटान के लिये सीऐंडडी अपशिष्ट की ढुलाई यथोचित कचरा स्थल तक अपने वाहन या निजी संचालक को नियुक्त करके करना चाहिये।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या सीऐंडडी संग्रह के लिये अलग अलग तंत्र है ?	
हां	8
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दिये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने चाहिये

- नीति प्रपत्र की प्रतिलिपि जो रज्य सरकार द्वारा सीएँडडी अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित हो
- यूएलबी द्वारा नियमों के प्रावधान के अनुरूप अपने कार्यक्षेत्र में सीऐंडडी अपशिष्ट के यथोचित प्रबंधन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देशों की प्रतिलिपि
- यूएलबी द्वारा स्वीकृत उत्पन्नकर्ता के अपशिष्ट प्रबंधन योजना की प्रतिलिपि, जो एक माह के भीतर की हो या फिर निर्माण योजना (नमूने के रूप में)के अनुमोदन की तारीख की हो। उदाहरण के लिये प्राइवेट डेवलपर द्वारा दी गई अपशिष्ट प्रबंधन योजना।
- अगर यूएलबी ने आउटसोर्स किया है तो सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र के अनुबंध की प्रतिलिपि।
- यूएलबी के अध्ययन की प्रतिलिपि जिसमें शहर के सीऐंडडी अपशिष्ट उत्पादन का आकलन इंगित हो या फिर उत्पन्न सीऐंडडी अपशिष्ट की संग्रह रिपोर्ट।
- नगर योजना विभाग के पिछले वर्ष की निर्माण/ध्वंस के अनुमोदनों की सूची

अधिकतम प्राप्तांक के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- यूबएलबी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि निर्माण ध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उत्पादक, अपशिष्ट के लिये विशेष रूप से बने संग्रह केंद्रों पर ही जमा करें।
- यूएलबी को नागरिकों के लिये एक तंत्र स्थापित करना चाहिये, जिसमें वे अपना सीऐंडडी अपशिष्ट सुनिश्चित कर सकें। यह एक अलग तंत्र भी हो सकता है, या यूएलबी के सार्वजनिक शिकायत निष्पादन तंत्र का हिस्सा भी हो सकता है।

अधिप्राप्ति

- अगर यूएलबी के पास मानव संसाधन, वाहन या उपकरण के रूप में सीऐंडडी संग्रह की क्षमता नहीं है, तो यूएलबी सेवा अनुबंध के माध्यम से यह कार्य आउटसोर्स कर सकती है या अगर आर्थिक रूप से उचित हो तो तो संपूर्ण सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये पीपीपी अनुबंध (अपशिष्ट संग्रह और प्रक्रमण समेत) कर सकता है। अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक जी में एजेंसी की पहचान के लिये एक आदर्श आरएफपी प्रस्तुत किया गया है, जो यूएलबी द्वारा अधिप्रप्ति के लिये उपयोग किया जा सकता है। ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सीऐंडडी अपशिष्ट के संग्रह, ढुलाई, प्रक्रमण और प्रबंधन के लिये एक नमूने का आरएफपी दिया गया है जो अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एच में देखा जा सकता है।
- अगर यूएलबी स्वयं अपनी क्षमता विकसित करना चाहता है, तो वह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई ऐंड डिस्पोजल(डीजीएसऐंडडी) द्वारा सुनिश्चित मूल्यों के आधार पर मानक ट्रकों की अधिप्राप्ति कर सकता है। कचरे के डिब्बों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ट्रकों के मूल्य अनुबंध अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दिया गया है।

वित्त

- यूएलबी स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये प्रति परियोजना 20 प्रतिशत वीजीएफ/अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। एसबीएम के तहत भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक शहर कस्बे के नगरपालिका एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये वर्तमान जनसंख्या में रु.240 प्रति व्यक्ति की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भ डीओ नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ) वे अपने अपने राज्यों के मिशन के तहत भी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।
- अगर यूएलबी एएमआरयूटी मिशन के तहत चयनित 500 शहरों में शामिल हैं, तो वे सीऐंडडी अपशिष्ट प्रक्रमण सुविधा स्थापित करने के लिये धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।एएमआरयूटी मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार, यूएलबी द्वारा प्रस्तावित कुल वार्षिक बजट का 80 प्रतिशत, परियोजना धनराशि के रूप में, 10 प्रतिशत सुधारों के प्रोत्साहन राशि के रूप में और 10 प्रतिशत प्रशासनिक, संचालन और देखरेख (ओऐंडएम) खर्च के रूप में केंद्र सरकार देगी।
- यूएलबी उस धन का भी उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें 14वें वित्त आयोग के तहत सीऐंडडी अपशिष्ट प्रक्रमण प्लांट स्थापित करने के लिये संयुक्त मूल अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है, या टिपिंग शुल्क जैसी संचालन और देखरेख के मद में प्राप्त धनराशि का भी उपयोग कर सकते हैं।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

पीपीपी द्वारा सीऐंडडी अपशिष्ट निपटान, दिल्ली का केस

दिल्ली नगर निगम द्वारा 2009 में आईएलऐंडएफएस एनवायरनमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड सर्विसेज लिमिटेड (आईईएलएसएएल) के सहयोग से पीपीपी मोड में यह सुविधा स्थापित की गई थी। आरंभ में, इसका प्रयोग 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उत्पन्न सीऐंडडी अपशिष्ट के प्रक्रमण के लिये किया गया।

पहले चरण में प्लांट की क्षमता 500 एमटीडी थी, जो बाद में संपूर्ण दिल्ली के सीऐंडडी अपशिष्ट को कवर करने लायक विस्तृत कर दी गयी।

प्लांट द्वारा उच्च स्तरीय रेत, धूल, और अन्य भवन निर्माण सामग्री, रास्तों के फर्श के खंड, फुटपाथ के पत्थर के टुकड़े आदि। प्लांट स्थापित करने के लिये दिल्ली के उत्तर में एमसीडी ने 10 वर्ष के लिये बुरारी में भूमि दी है।सीऐंडडी अपशिष्ट का प्रक्रमण शुल्क लगभग रु. 250 प्रति टन है। अपशिष्ट संग्रह के लिये शहर को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। करोलबाग, सदर–पहाड़गंज और नगर क्षेत्र।इस सुविधा के लिये प्रयोग होने वाले सभी वाहन जीपीएस उपकरण से सुसज्जित हैं। परियोजना के लिये आईईआईएसएल का करीब 23 करोड़ रुपये का है, जिसमें 8 करोड़ का मुख्य निवेश शामिल है। परियोजना में निवेश किया गया मुख्य धन प्रक्रमित सीऐंडडी अपशिष्ट से प्राप्त मूल्य द्वारा 10 वर्ष में प्राप्त करने का प्रस्ताव है

(इस के–स्टडी का ई पाठ्यक्रम देखने के लिये एसबीएम के पोर्टलः http//goo-gl/kgrHEE देखें)

चित्र 4 : सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट ढांचा एवं पुनर्चक्रित उत्पाद (नीचे के चित्र)
सूत्र : आईएलऐंडएफएस एनवायरनमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड सर्विसेज लिमिटेड

पीपीपी द्वारा सीऐंड़डी अपशिष्ट निपटान, अहमदाबाद, गुजरात

अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एएमसी) ने सीऐंडडी प्रबंधन के लिये अहमदाबाद एनवायरो प्रोजेक्ट लिमिटेड (एईपीएल) को रूपरेखा, निर्माण, स्वामित्व और संचालन तंत्र के लिये सौंप दिया है। पीपीपी अनुबंध 30 साल की समयावधि के लिये है जिसके लिए एएमसी ने 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी है।

प्लांट जून 2014 से पूरी तरह कार्य कर रहा है। एएमसी ने पूरे शहर में 16 स्थान रेखांकित किये हैं, जहां नागरिकों को अपने व्यय पर सीऐंडडी जमा करना होता है। इसके बाद एजेंसी इन स्थानों से अपने वाहनों द्वारा सीऐंडडी संग्रहीत कर लेती है। एएमसी इसके लिये एपीएल को रु.155 प्रति टन के हिसाब से (जो 5 % प्रतिवर्ष के नियम से हर वर्ष बढ़ती है) टिपिंग शुल्क भरती है। एएमसी के व्यापक शिकायत निपटान तंत्र (सीसीआरएस), के हिस्से के रूप में नागरिक एक टोल फ्री नंबर 155303 पर सीऐंडडी अपशिष्ट के लिये सेवा निवेदन दर्ज करा सकते हैं। एएमसी ने सीऐंडडी अपशिष्ट के भार के आधार पर एक मूल्य सूची तैयार की है।

चित्र : 5 अहमदाबाद के निर्माण एवं ध्वंस प्लांट में तैयार ईंटें। सूत्र : शहरी प्रबंधन केंद्र।

1.1.4.2 कार्यरत सीऐंडडी अपशिष्ट सुविधा की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड इस बात का परीक्षण करता है कि आपके यूएलबी के पास शहर में सीऐंडडी अपशिष्ट प्रशोधित करने का तंत्र रखता है। मापदंड में यूएलबी केवल हां या ना में उत्तर दे सकते हैं। यूएलबी को तभी हां में उत्तर देना चाहिये जब उनके पास 100 प्रतिशत सीऐंडडी अपशिष्ट प्रशोधित करने, प्रक्रमण करने और निपटान करने की सुविधा हो।

निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट का संग्रह, निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अंतर्गत ही किया जा ना चाहिये ।(देखिये अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक एफ)

- **सभी अपशिष्ट उत्पादनकर्ता को निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट को भवन की सीमा में ही रखना चाहिये या स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गये संग्रह केंद्र में जमा करना चाहिये या फिर निर्माण एवं ध्वसं सुविधा वाली अधिकृत प्रक्रमण इकाई को सौंपना चाहिये।**
- **यूएलबी को प्रक्रमण और निपटान के लिये सीऐंडडी अपशिष्ट की ढुलाई यथोचित स्थल पर या तो अपने संसाधनों से करनी चाहिये या फिर निजी संचालक नियुक्त करके करनी चाहिये**

मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या सीऐंडडी अपशिष्ट प्रक्रमणध्प्रशोधनधनिपटान सुविधा है?	
हां	8
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

अगर शहर के पास सीऐंडडी अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन तंत्र है, तो यूएलबी को निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराने चाहिये।

- यूएलबी द्वारा उत्पादनकर्ता के अपशिष्ट प्रबंधन योजना की एक माह के भीतर स्वीकृत, या भवन निर्माण के अनुमोदन की तिथि की प्रतिलिपि। (नमूने के तौर पर)
- अगर यूएलबी ने आउटसोर्स किया है, तो सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अनुबंध की प्रतिलिपि
- पिछली तिमाही में सीऐंडडी अपशिष्ट के प्रशोधन और निपटान का रिकॉर्ड

अपने अंक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये

अधिप्राप्ति

- अगर यूएलबी के पास मानव संसाधन के रूप में सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता नहीं है अथवा वाहन/उपकरण नहीं हैं, तो यूएलबी एक सेवा अनुबंध के माध्यम से सेवाएं आउटसोर्स कर सकती है, या फिर अगर यह आर्थिक रूप से उचित हो तो उसे संपूर्ण सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये पीपीपी के रूप में (अपशिष्ट संग्रह और प्रक्रमण सहित) अनुबंध करना चाहिये। एजेंसी चयन के लिये एक आदर्श आरएफपी अनुलग्न पुस्तक के अनुलग्नक जी में प्रस्तुत है, जिसे यूएलबी अधिप्राप्ति के लिये प्रयोग कर सकती है। ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत सीऐंडडी अपशिष्ट के संग्रह, ढुलाई, प्रक्रमण, और प्रबंधन के लिये नमूने का आरएफपी अनुलग्न पुस्तक के अनुलग्नक एच में देखा जा सकता है।

- यदि यूएलबी ने स्वयं अपना प्रक्रमण प्लांट स्थापित कर लिया है, तो इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि सीऐंडडी अपशिष्ट उत्पादनकर्ता अपशिष्ट को निर्धारित स्थान पर ही जमा करें, या यूएलबी स्वयं उत्पादनकर्ताओं से यह अपशिश्ट संग्रहीत करके प्रक्रमण स्थल तक स्थानांतरित करे।
- यदि प्रक्रमण प्लांट पीपीपी मोड में संचालित है, तो यूएलबी सीऐंडडी अपशिष्ट को प्लांट तक स्थानांतरित कर सकती है, या निजी ठेकेदार निर्धारित संग्रह केंद्रों से अपशिष्ट संग्रह कर सकता है।

वित्त

- यूएलबी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार के सहयोग से सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये डीपीआर तैयार करना चाहिये। इसके लिये भारत सरकार, नेशनल ऐडवाइजरी ऐंड रिव्यू कमिटी(एनएआरसी) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इकाई मूल्य के आधार पर 100 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। (संदर्भ स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) दिशानिर्देश)। यूएलबी अपने राज्य मिशन के तहत भी धनराशि प्राप्त कर सकती हैं।
- ट्रक और कचरे के डिब्बों की अधिप्राप्ति स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त धन के उपयोग से किया जा सकता है।
- यूएलबी एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये प्रति परियोजना 20 प्रतिशत वीजीएफ/अनुदान स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त कर सकती हैं। एसबीएम के तहत प्रत्येक शहर में म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये वर्तमान जनसंख्या में रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से भारत सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भ डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)
- अगर यूएलबी एएमआरयूटी के तहत चुने गये 500 का हिस्सा है, तो यह ठोस अपशिष्ट प्रक्रमण और प्रशोधन सुविधा स्थापित करने के लिये धनराशि प्राप्त कर सकती है। एएमआरयूटी के दिशा निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार यूएलबी द्वारा प्रस्तावित कुल वार्षिक बजट का 80 प्रतिशत परियोजना धनराशि के रूप में देगा, 10 प्रतिशत सुधार इंसेंटिव और 10 प्रतिशत प्रशासनिक एवं ओऐंडएम व्यय के लिये उपलब्ध कराएगा।
- यूएलबी द्वारा 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त संयुक्त मूल अनुदान का भी सीऐंडडी अपशिष्ट प्रक्रमण प्लांट स्थापित करने के लिये उपयोग कर सकती है।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

पूर्व में दिये गये केस स्टडीज के मापदंड देखें

1.1.4.3 सीऐंडडी संग्रह के लिये उपभोक्ता शुल्क की अधिसूचना और संग्रह

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड से यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या यूएलबी सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं देने के लिये वित्तीय संसाधन उत्पन्न कर रहा है। इस मापदंड के लि तहत अंकों का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यूएलबी ने उपभोक्ता भार (charge) की सूचना दी है और क्या वह भार संग्रह कर रही है। यूबएलबी को इस मापदंड का उत्तर हां या ना में देना है। हां तभी कहना है जब यूएलबी उपभोक्ता भार के लिये अधिसूचना जारी कर चुका हो और भार संग्रह कर रहा हो।

उपभोक्ता शुल्क, यूएलबी द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को सेवाएं देने का शुल्क होता है

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या सीऐंडडी अपशिष्ट के लिये उपभोक्ता भार की अधिसूचना दी गई है और क्या भार संग्रह किया गया है ?	
हां	8
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यदि शहर ने उपभोक्ता भार की अधिसूचना दे दी है और वह सीऐंड डी प्रबंधन के लिये भार संग्रह कर रहा है, तो यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये।

- यूएलबी द्वारा जारी सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपभोक्ता भार का जीआर /स्टैंडिंग कमेटी या जनरल बॉडी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि या
- यूएलबी द्वारा जारी नियमावली की प्रतिलिपि या
- पिछले अथवा चालू वित्त वर्ष सीऐंडडी उपभोक्ता भार के रूप में संग्रह किया गयी धनराशि

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

एक बार, यूएलबी द्वारा संग्रह और सीऐंडडी अपशिष्ट प्रबंधन का तंत्र स्थापित हो जाए, तो इसे उपभोक्ता शुल्क का एक प्रारूप (भार और दूरी पर निर्भर) तैयार करना चाहिये और स्टैंडिंग कमेटी/ जनरल बॉडी/राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने पर उपभोक्ता भार की अधिसूचना (संबंधित राज्य के म्यूनिसिपल ऐक्ट के तहत) जारी करनी चाहिये।

इसके बाद, यूएलबी को उपभोक्ता भार संग्रह के लिये एक तंत्र स्थापित करना चाहिये।

(सी) व्यवसायिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

इस वर्ग में विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मापदंडों की चर्चा है। इस वर्ग में 6 मापदंड दिये गये हैं। और यूएलएबी इस वर्ग से अधिकतम 102 अंक प्राप्त क सकती हैं।

1.1.5. व्यावसायिक सड़कों पर वार्डों के अनुसार गलियों की सफाई

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में यह परीक्षण किया जाता है कि शहर की व्यावसायिक सड़कों पर कम से कम दिन में दो बार साफ की गयी है या नहीं। इसके प्राप्तांक व्यावसायिक क्षेत्रों के वार्डों में दो बार सफाई के प्रतिशत के आधार पर तय किये जाते हैं।

व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कों का अर्थ ऐसी सड़कों से है, जहां नगर या वार्ड स्तर के व्यावसायिक केंद्र हों, जैसे फुटकर दुकान, कार्यालय कॉन्प्लेक्स, बाजार, रेस्टॉरेंट, होटल, व्यावसायिक स्थान अथवा गलियों के ठेले आदि।
(वार्डों की संख्या जहां व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कें दिन में दो बार साफ की जाती हैं / शहर में वार्डों की कुल संख्या) 100
वार्ड का अर्थ है, चुनावी वार्ड

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

ऐसे वार्डों का प्रतिशत जहां दिन में दो बार सफाई की गई	
<100%	23
80% - 99%	16
60% to 79%	11
40 % - 59 %	5
Below 40%	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- व्यावसायिक सड़कों की वार्ड अनुसार सूची
- व्यावसायिक क्षेत्रों की दिन में दो बार सफाई के साक्ष्य के रूप में गतिविधि दस्तावेज / आरोग्य कर्मचारियों की रोस्टर रिपोर्ट
- अगर काम किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्ट किय गया है, तो ऐसा समझौता प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहिये, जिस पर व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई का अनुच्छेद हो।

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये ?

- सबसे पहले, यूएलबी को शहर के ऐसे सभी व्यावसायिक क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिये और वार्ड के अनुसार एक सूची तैयार करनी चाहिये।
- सभी व्यावसायिक क्षेत्रों को सफाई खंड में विभाजित कर देना चाहिये। एक खंड की सफाई की जिम्मेदारी एक सफाईकर्मी के सुपुर्द होनी चाहिये। प्रत्येक सफाई कर्मी क्षेत्र के घनत्व के आधार पर तय होना चाहिये और उसे

मीटर के अनुसार कार्यक्षेत्र सौंपना चाहिये। ("नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" एमओयूडी के विशेषज्ञ समिति मैनुअल के अनुसार)

ए.	उच्च घनत्व क्षेत्र	300 से 350 मीटर
बी.	मध्यम घनत्व क्षेत्र	500 से 600 मीटर
सी.	निम्न घनत्व क्षेत्र	650 से 750 मीटर

- अगर यूएलबी अपने कर्मचारियों से इस तरह के क्षेत्रों की सफाई का प्रबंध कराने में असमर्थ है तो यूएलबी सफाई का काम उप अनुबंध पर सौंप सकती है।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

एसडब्ल्यू एम का सर्वश्रेष्ठ कार्य, सड़कों की सफा एवं उपभोक्ता शुल्क का संग्रह– सूरत, गुजरात का एक उदाहरण।

सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिये कुशलतापूर्वक प्राथमिक संग्रह का एक विस्तृत सूक्ष्म योजना अभ्यास शुरू किया है। इसने एक विस्तृत मार्ग विन्यास, संग्रह तालिका, अपशिष्ट और ढेर में अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों की पहचान, और गलियों के स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिषट की मात्रा का खाका तैयार किया है।

एसएमसी ने सड़कों को पहचान कर उनका मापन कराके 211 ऐसे मार्ग चिह्नित किये जहां रात्रि सफाई (रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक) का निश्चय किया। एसएमसी की रात्रिकालीन सफाई के काम में करीब 1500 लोग लगे हैं। एसएमसी ने सूक्ष्म सफाई के लिये दो यांत्रिक सफाई मशीनें भी लगा रखी हैं।

एसएमसी एसडब्ल्यी एम के लिये सन 2009 से ही उपभोक्ता शुल्क वसूल रही है। एसएमसी का यह उपभोक्ता भार उस एकमुश्त संपत्ति कर के बिल का हिस्सा है जो सूरत में वार्षिक आधार पर वसूला जाता है। सूरत के लिये एसडब्ल्यूएम के कुल राजस्व आय का 74 : इन्ही उपभोक्ता भार के माध्यम से आता है। पिछले वर्ष, संपत्ति कर की संग्रह क्षमता 91 प्रतिशत थी। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास एक शक्तिशाली निगरानी तंत्र है, जिसमें एसडब्ल्यूएम के वाहन जीपीएस प्रणाली से सुसज्जित हैं। प्रत्येक प्राथमिक संग्रह वाहन के लिये एक विस्तृत टीपीएम (टाइम प्लेस मूवमेंट / समय स्थान गतिविधि) तैयार किया गया है।

एसएमसी गंदगी करने के लिये प्रशासनिक जुर्माना भी वसूल करती है। इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी और शहर में जागरूकता फैलाने के लिये मीडिया और समाचारपत्रों के माध्यम से इसका प्रसार किया गया था। एसएमसी प्रतिवर्ष एक मीडिया नोट जारी करके जुर्माने के रूप में लोगों से वसूले गये धन की भी जानकारी देती है। एसएमसी के पास विभिन्न उल्लंघनों के जुर्माने की एक विस्तृत तालिका है।

देखये : एसबीएम पोर्टल पर इस उद्धृत अध्ययन का ई–पाठ्यक्र

चित्र : 6 सूरत में रात्रि सफई
सूत्र : शहरी प्रबंध केंद्र
(अर्बन मैनेजमेंट सेंटर–यूएमसी)

चित्र : 7 सूरत में डोर टू डोर संग्रह

1.1.6. व्यावसायिक क्षेत्रों से एमएसडब्ल्यू के अपशिष्ट संग्रह एवं ढुलाई योजना की उपलब्धता सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापद्ड के तहत यह आकलन का जाता है कि क्या यूएलबी के पास विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों से संग्रह और ढुलाई की की येजना है। प्राप्तांक व्यावसायिक क्षेत्रों के संग्रह एवं ढुलाई योजना के प्रतिशत पर निर्भर करते हैं

(ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों की संख्या जहां संग्रह और ढुलाई / शहर में व्यावसायिक क्षेत्रों की कुल संख्या)100

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

वार्डों का प्रतिशत जहां व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई की जाती है।	
<100%	23
80% - 99%	16
60% to 79%	11
40 % - 59 %	5
Below 40%	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

साक्ष्य के रूप में यूएलबी द्वारा निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने चाहिये

- संग्रह और ढुलाई योजना की प्रतिलिपि / मार्ग योजना जिसमें वार्ड अनुसार कवरेज प्रदर्शित हो
- व्यावसायिक क्षेत्र से अपशिष्ट संग्रह और ढुलाई के लिये तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध की प्रतिलिपि

यूएलबी द्वारा अपने अंक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास कोई योजना नहीं है–

अधिप्राप्ति

- यूएलबी को व्यावसायिक क्षेत्र चिह्नित करके व्यावसायिक क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रह और ढुलाई के लिये वार्ड अनुसार एक सूक्ष्म योजना तैयार करनी चाहिये। यह योजना संपूर्ण शहर की एसडब्ल्यूएम कार्ययोजना का हिस्सा हो सकती है।

वित्त

- यूएलबी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार के सहयोग से अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अपनी एसडब्ल्यूएम कार्य योजना / डीपीआर तैयार करनी चाहिये। डीपीआर के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा निर्धारित प्रति इकाई मूल्य के नियमों के तहत मूल्य का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

1.1.7. व्यावसायिक क्षेत्रों से दरवाजा दरवाजा अपशिष्ट संग्रह के कवरेज की सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड के तहत यह परीक्षण किया जाता है कि क्या आपके यूएलबी के पास व्यावसायिक क्षेत्रों में दरवाजा दरवाजा अपशिष्ट संग्रह कोई तंत्र है। इसके तहत कुल प्राप्तांक व्यावसायिक क्षेत्रों में दरवाजा दरवाजा अपशिष्ट संग्रह के तहत कवर किये जाने वाले वार्डों के प्रतिशत पर आधरित होते हैं।

दरवाजा–दरवाजा अर्थात डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह का मतलब है, कि अपशिष्ट संग्रहकर्ता लोगों के घर जाकर उनके दरवाजे से अपशिष्ट संग्रह करे।संग्रहकर्ता को अपशिष्ट एसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 के अनुसार प्रथक्करण करके (जो नष्ट हो सकने योग्य जैव अपशिष्ट, नष्ट न हो सकने योग्य जैव अपशिष्ट और खतरनाक घरेलू अपशिष्ट के रूप में प्रथक हो) दिया जाना चाहिये।

(व्यावसायिक क्षेत्रों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह वाले वार्डों की संख्या / वार्डों की कुल संख्या) * 100

* वार्ड का अर्थ है चुनावी वार्ड

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

वायावसायिक क्षेत्रों में दरवाजा दरवाजा संग्रह वाले वार्डों का प्रतिशत	
<100%	18
80% - 99%	14
60% to 79%	9
40 % - 59 %	5
Below 40%	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

साक्ष्य के रूप में यूएलबी द्वारा निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिये

- लॉग बुक की प्रतिलिपि / व्यावसायिक क्षेत्रों में वार्डों से अपशिष्ट संग्रह का कोई अन्य रिकॉर्ड
- अनुबंध अथवा भुगतान की प्रतिलिपि / यदि, सेवा किसी को आउटसोर्स की गयी है तो उसकी कार्यकलाप रिपोर्ट

यूबएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

यूएलबी को, पूर्व में प्रस्तुत मापदंडों के अनुसार

- (देखिये1.1.6) प्रत्येक वार्ड में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को चिह्नित करके वार्ड अनुसार एक योजना तैयार करनी चाहिये।

अधिप्राप्ति

- आवश्यक प्रचालन तंत्र को स्थापित करने के क्रम में, यूलबी ओमओयूडी और डीजीएसऐंडडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के आधार पर कचरा संग्रह के डिब्बे और ट्रक की अधिप्राप्ति कर सकता है। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।
- यूएलबी राज्य सरकार के अनुमोदन और स्वीकृति से डोर टे डोर संग्रह के लिये आवश्यक कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति कर सकता है। अगर कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं मिलती है, तो यूएलबी अनुबंध के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति कर सकती है अथवा किसी तीसरे पक्ष को काम आउटसोर्स कर सकती है।
- यूएलबी दरवाजा दरवाजा कचरा संग्रह का तंत्र स्थापित करने के लिये कचरा बीनने वाले लोगों को पहचानपत्र देकर, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देकर और उन्हें आवश्यक ढांचा और उपकरण मुहा करा के एकीकृत कर सकती है।
- यूएलबी डोट टू डोर संग्रह का काम किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स कर सकती है। डोर टू डोर संग्रह और ढुलाई को दूसरे बिंदू तक पहुंचाने के लिये संचालक के चयन का आरएपपी ओमओयूडी ने अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक आई में दिया है।

वित्त

- उपकरणों की कीमत और अन्य ओऐंडएम व्यय एसबीएम के तहत शहर द्वारा राज्य सरकार के पास प्रस्तुत किये गये बजट में शामिल किया जा सकता है। एसडब्ल्यूएम के लिये ओमओयूडी के पास प्रस्तुत किये गये कुल बजट का अदिकतम 20 प्रतिशत अनुदान/ वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार इंसेटिव के रूप में अदा करेगा। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भ डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)

1.1.8. थोक व्यावसायिक उत्पन्नकर्ताओं से प्रथक अपशिष्ट संग्रह प्रणाली

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड के तहत यह आकलन किया जाता है कि क्या यूएलबी के पास थोक में कचरा उत्पन्न करने वालों से अपशिष्ट संग्रह के लिये कोई तंत्र है। अंकों का क्रमिक स्थापन स बात पर आधारित होता है कि व्यावसायिक क्षेत्रों में थोक कचरा उत्पन्नकर्ताओं से प्रत्यक्ष संग्रह का कोई तंत्र कार्यरत है। इसका उत्तर हां में तभी दिया जाना चाहिये जब थोक में कचरा उत्पादन का 100 प्रतिशत संग्रह हो रहा हो।

थोक कचरा उत्पन्नकर्ताओं में केंद्र सरकार के विभागों के अधिकार अथवा उसके अधीन भवन, राज्य सरकार क विभाग अथवा उसके अधीन, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, निजी क्षेत्र की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, पूजास्थल, स्टेडियम एवं खेल प्रतिष्ठान, जिनका प्रतिदिन कचरा उत्पन्न करने का औसत 100 किलोग्राम से अधिक हो।(एसडब्ल्यूएम नियम, 2016)

इस मापदंड के लिए अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या व्यावसायिक क्षेत्र में थोक कचरा उत्पन्नकर्ताओं से प्रत्यक्ष संग्रह का की तंत्र है?	
हां	8
नहीं	12

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने चाहिये

- थोक उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट संग्रह एवं ढुलाई की योजना की प्रतिलिपि, अथवा
- थोक उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट संग्रह और ढुलाई के लिये किसी तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध की प्रतिलिपि, और
- थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट संग्रह और उसकी ढुलाई के रिकॉर्ड/लॉगबुक की प्रतिलिपि

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को थोक कचरा उत्पन्नकर्ताओं को चिह्नित करके एक संग्रह योजना तैयार करनी चाहिये। संग्रह यूएलबी द्वारा स्वयं किया जा सकता है, अथवा किसी सेवा प्रदाता को भाड़े पर लिया जा सकता है।
- यूएलबी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यावसायिक क्षेत्र के थोक कचरा उत्पन्नकर्ता अपने अपशिष्ट को मूलस्थान पर ही पृथक करें।
- यूएलबी को कचरा बीनने वालों/पुनर्चक्रित करने वालों को चिह्नित करके उन्हें अधिकृत करना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि पुनर्चक्रित होने योग्य पदार्थ अधिकृत कचरा बीनने वालों/पुनर्चक्रित करने वालों को ही सौंपा जाये।

अधिप्राप्ति

- आवश्यक प्रचालन तंत्र को स्थापित करने के क्रम में, यूलबी ओमओयूडी और डीजीएसऐंडडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के आधार पर कचरा संग्रह के डिब्बे और ट्रक की अधिप्राप्ति कर सकता है। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

वित्त

- यूएलबी ट्रकों की अधिप्राप्ति की कीमत तथा अन्य ढांगत आवश्यकताओं जैसे छंटनी शेड, उठाव वैन, संग्रह डिब्बे आदि का मूल्य एसबीएम के तहत प्रस्तुत बजट में अथवा संबंधित राज्य के मिशन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती हैं।

- एसडब्ल्यूएम के लिये ओमओयूडी के पास प्रस्तुत किये गये कुल बजट का अदिकतम 20 प्रतिशत अनुदान/वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार इंसेटिव के रूप में अदा करेगा। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है।(संदर्भ : डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से प्रथक अपशिष्ट संग्रह, अहमदाबाद, गुजरात

अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन(एएमसी) ने शहर में होटलों और रेस्टॉरेंट द्वारा उपन्न अपशिष्ट का एक नमूना सर्वे कराया। कॉरपोरेशन ने इस सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक प्रथक अपशिष्ट संग्रह तंत्र स्थापित किया। एएमसी ने होटलों में रसोई अपशिष्ट, मैरिज हॉल, सरकारी एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों जैसे शिक्षण संस्थान और कैंटीन आदि से अपशिष्ट संग्रह के लिये एजेंसी की नियुक्ति के लिये टेंडर दिया। इस टेंडर में विभिन्न गैर रिहाइशी इकाइयों की रसोई से अपशिष्ट संग्रह, मौके पर ही अपशिष्ट पृथक्करण, और बंद वाहनों में अंतिम स्थल तक ढुलाई शामिल थी। सात साल की अवधि के इस प्रस्ताव में मानव संसाधन, उपकरण और अपने वाहनों का उपयोग भी शामिल था। आज की तारीख में, तीन विभिन्न एजेंसियां अलग अलग जोन में इस प्रक्रिया में शामिल हैं। ये अपशिष्ट ठेकेदार द्वारा जीपीएस से सुसज्जित बंद होने वाले हाइड्रॉलिक वाहनों में ढोया जाता है। ये वाहन 2011 या उसके बाद के निर्मित हैं। परियोजना शुरू करते समय शुरुआती सर्वे में थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं की कुल 1600 इकाइयों की पहचान की गयी थी। ठेकेदार को प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करने वाला तंत्र रखना होता है। ऐसी इकाइयां जो रसोई अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं, उन्हें संचालन के लिये स्वास्थ्य लाइसेंस लेना होता है, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण कराना होता है। एएमसी यह सुनिश्चित करती है कि नवीनीकरण तभी हो जब ये इकाइयां रसोई अपशिष्ट संग्रह के आदर्शों का पालन करती हों।

1.1.9. व्यावसायिक क्षेत्रों में कचरा संग्रह के डिब्बों की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड के तहत यह परीक्षण किया जाता है कि क्या यूएलबी के पास व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में कचरे के डिब्बे हैं। व्वसायिक क्षेत्र में कचरे के डिब्बों की संख्या के आधार पर ही प्राप्तांक तय होते हैं।

कचरे के डिब्बों की पर्याप्त संख्या= डिब्बों की संख्या/व्यावसायिक क्षेत्रों की संख्या

व्यावसायिक क्षेत्र का अर्थ है, शहर/वार्ड स्तर के व्यावसायिक केंद्र जैसे फुटकर दुकान, कार्यालय प्रतिष्ठान, बाजार, रेस्टॉरेंट, होटल, बाजार स्थान तथा सड़कों के किनारे गलियों के खोमचे आदि।

पड़ोसी क्षेत्रों के लिये शहर कचरा डिब्बों से मुक्त होगा, यदि घरों से अपशिष्ट की सीधे मुख्य स्थानांतरण स्थल/प्रक्रमण केंद्रों/कचरा स्थलों तक ढुलाई की जाय।

इस मापदंड के लिये अंको का क्रमिक स्थापन

शहर में प्रति व्यावसायिक क्षेत्र के अनुसार संग्रह डिब्बों की संख्या	
6–8 संग्रह डिब्बे प्रति व्यावसायिक क्षेत्र	18
3–5 संग्रह डिब्बे प्रति व्यावसायिक क्षेत्र	12
1–2 संग्रह डिब्बे प्रति व्यावसायिक क्षेत्र	6
शहर कचरा डिब्बों से मुक्त नहीं, लेकिन कचरा डिब्बे नहीं रखे गये	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

साक्ष्य के रूप में येलबी को निम्न साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिये

- संग्रह डिब्बों की स्थापना के अभिलेख की प्रतिलिपि, अथवा
- प्रपत्र और नक्शे की प्रतिलिपि जिसमें डिब्बों का स्थान और संख्या प्रदर्शित हो, और
- डोर टू डोर संग्रह और सीधे प्रक्रमण/निपटान स्थल तक ढुलाई की सुविधा वाले रिहाइशी क्षेत्रों की सूची की प्रतिलिपि।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को संपूर्ण शहर में व्यावसायिक क्षेत्र चिह्नित करके कचरा डिब्बों की संख्या का इस तरह आकलन करना चाहिये कि प्रत्येक क्षेत्र में 6–8 कचरा डिब्बे उपलब्ध हों।

अधिप्राप्ति

- यूएलबी, मानकों के अनुसार ब्रान्डेड कचरा डिब्बों की अधिप्राप्ति कर सकती है। इसके लिये डीजीएसऐंडडी के मूल्य अनुबंध का संदर्भित देखना होगा (वैधता 31 जुलाई, 2016) जो अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दिया गया है।

वित्त

- यूएलबी कचरा डिब्बों की अधिप्राप्ति का मूल्य एसबीएम के तहत प्रस्तुत बजट अथवा संबंधित राज्य के मिशन बजट में शामिल कर सकती हैं। एसडब्ल्यूएम के लिये ओमओयूडी के पास प्रस्तुत किये गये कुल बजट का अदिकतम 20 प्रतिशत अनुदान/ वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार इंसेटिव के रूप में अदा करेगा। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भ डी.ओ.नं. क्यू–15014 /2/2009–सीपीएचईईओ)

1.1.10. व्यावसायिक क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये संग्रह और उपभोक्ता शुल्क की अधिसूचना

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड के तहत यह आकलन किया जाता है कि किया यूएलबी व्यावायिक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिये वित्तीय संसाधन जुटा रही है या नहीं। इस मापदंड में अंको का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि यूएलबी ने उपभोक्ता शुल्क के लिये अधिसूचना जारी की है और उपभोक्ता शुल्क का संग्रह कर रही है।

उपभोक्ता अधिभार वह शुल्क है, जो यूलबी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिये वसूला जाता है।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या व्यावसायिक क्षेत्रों में उपभोक्ता अधिभार के लिये अधिसूचना जारी की गयी है और क्या संग्रह किया जडा रहा है।	
अधिसूचित एवं संग्रहीत	23
अधिसूचित नहीं किंतु संग्रहीत	16
अधिसूचित किंतु संग्रहीत नहीं	8
न अधिसूचित, न संग्रह	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

केवल तभी, जबकि व्यावसायिक क्षेत्रों में उपभोक्ता कर के लिये अधिसूचना जारी कर दी गयी है और संग्रह किया जा रहा है, यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराने चाहिये।

- यूएलबी द्वारा जारी उपभोक्ता कर संग्रह के जीआर की प्रतिलिपि
- पिछले और चालू वित्त वर्ष में व्यावसायिक क्षेत्रों से संग्रह किये गये उपभोक्ता कर की धनराशि

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

- एक बार आपके यूएलबी ने व्यावसायिक अपशिष्ट के संग्रह और प्रबंधन का तंत्र स्थापित कर लिया, तो फिर आपको उपभोक्ता कर का एक शिड्यूल बना कर राज्य सरकार/स्टैंडिंग कमेटी/जनरल बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके इसकी अधिसूचना जारी कर देनी चाहिये। (संबंधित राज्य के म्यूनिसिपल ऐक्ट के अनुसार)
- इसके बाद, यूएलबी को उपभोक्ता कर के संगंरह के लिये एक तंत्र स्थापित करना चाहिये। उदाहरण के लिये, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये उपभोक्ता कर एकमुश्त संपत्ति कर बिल के माध्यम से संग्रह करता है।

1.1.11. व्यावसायिक क्षेत्रों से प्रथक अपशिष्ट के संग्रह एवं ढुलाई की वार्ड अनुसार सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन किया जाता है कि यूएलबी यह सुनिश्चित कर रही है कि अपशिष्ट मूल स्थान पर ही पृथक किया जा रहा है और निपटान अथवा प्रशोधन के लिये इसकी ढुलाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुरूप पृथक ढंग से हो रही है या नहीं। अंकों का क्रमिक स्थापन उन वार्डों के प्रतिशत के आधार पर होता है, जिनमें व्यावसायिक क्षेत्रों में अपशिष्ट का प्रथक्करण उसके मूल स्थान पर ही होता है और यह प्रथक्करण निपटान और पृशोधन तक जारी रहता है।

अपशिष्ट का पृथक्करण, कम से कम, तीन धाराओं में होना चाहिये–नष्ट होने वाले जैव अपशिष्ट, नष्ट होने वाले जैव विहीन, और खतरनाक घरेलू अपशिष्ट (एसडब्ल्यूएम नियम2016)

(वार्डों की संख्या' जहां व्यावसायिक क्षेत्रों से अपशिष्ट का प्रथक्करण मूल स्थान पर होता है और निपटान अथवा प्रशोधन तक जारी रहता हैध्शहर में वार्डों की कुल संख्या)*100

*वार्ड का अर्थ है–चुनावी वार्ड

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

वार्डों का प्रतिशत जहां निपटान/प्रशोधन तक पृथक्करण अपनाया जाता है	
वार्ड का 100%	23
वार्ड का 80%–99%	16
वार्ड का 60%–79%	11
वार्ड का 40%–59%	5
वार्ड 40% से कम	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएबी द्वारा निम्न प्रपत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने चाहिये :–

- स्थानीय निकाय द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों को अपशिष्ट पृथक्करण के लिये निर्देश जारी करने की प्रतिलिपि
- मूल स्थान पर संग्रह से निपटान तक पृथक्करण तंत्र क्रियाशील होने के संकेत वाले प्रपत्र अथवा रिपोर्ट। यदि सेवा बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स की गयी है तो डोर टू डोर संग्रह के अनुबंध की प्रतिलिपि।

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

उन यूएलबी में, जहां व्यावसायिक क्षेत्र अपने मूल स्थान पर अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं करते,

- यूएलबी द्वारा ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों को चिह्नित करके उनकी वार्डवार सूची बनानी चाहिये
- यूएलबी डोर टे डोर संग्रह के लिये किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स कर सकती हैं। डोर टू डोर संग्रह और द्वितीय बिंदु तक ढुलाई के लिये संचालक चयन का एमओयूडी द्वारा जारी एक आदर्श आरएफपी अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक आई में दिया गया है।
- यूएलबी को व्यावसायिक क्षेत्रों में अपशिष्ट को उनके मूल स्थान पर प्रथक करने के निर्देश जारी करने चाहिये।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि व्यावसायिक क्षेत्र तंत्र का पालन कर रहे हैं, यूएलबी को लक्ष्य बना कर जागरूकता अभियान चलाना चाहिये जो उद्योगों के सहयोग से किया जा सकता है। (देखिये ई–पाठ्यक्रम वीडियो : पाठ्यक्रम 210 (संशोधित)– सोर्स सेपरेशनय सस्टेनेबिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–पार्टनरशिप ऑफ एनजीओज–केस ऑफ पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन http://goo-gl/MMLhy5 ,oa http://goo-gl/8NYSei)
- यदि यूएलबी को संग्रह के लिये कचरा डिब्बों और ट्रकों की अधिप्राप्ति की आवश्यकता है, तो यूलबी ओमओयूडी और डीजीएसऐंडडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के आधार पर कचरा संग्रह के डिब्बे और ट्रक की अधिप्राप्ति कर सकता है। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

वित्त

आईईसी / बीसीसी के लिये,

- यूएलबी एसबीएम के अवयव आईईसी / बीसीसी के तहत प्राप्त धनराशि का उपयोग कर सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त, यूएलबी औद्योगिक घरानों के साथ गठजोड़ करके उनके सीएसआर गतिविधियों के तहत, जो कंपनीज ऐक्ट 2013 के शिड्यूल 7 के तहत स्वीकृत है, जागरूकता अभियान चला सकती हैं।(देखिये अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक जे)

ओऐंडएम के लिये,

- यूएलबी उपभोक्ता कर की अधिसूचना देकर अपने ओऐंडएम व्यय को आंशिक अथवा संपूर्ण रूप से पूरा कर सकती हैं।
- यूएलबी अपना ओऐंडएम व्यय प्राप्त करने के लिये 14वें वित्त आयोग (एफसी)के तहत प्राप्त मूल एकीकृत अनुदान का उपयोग कर सकती हैं।

D) रिहाइशी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

यह वर्ग उस मापदंड से संबंधित है जो रिहाइशी क्षेत्रों में सड़कों पर झाड़ू और सफाई सुनिश्चित करता है।

1.1.12 रिहाइशी क्षेत्रों में दिन में एक बार झाड़ू और सफाई

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड परीक्षण करता है कि सभी रिहाइशी क्षेत्रों में दिन में एक बार झाड़ी दी गयी या नहीं। प्राप्तांक उन वार्डों के प्रतिशत पर आधारित होते हैं, जहां रिहाइशी इलाकों की गलियों में कम से कम दिन में एक बार झाड़ू दी जाती है। यदि सभी रिहाइशी क्षेत्रों के सभी वार्डों में दिन में म से कम एक बार झाड़ू दी जाती है, यूएलबी को पूरे अंक मिलते हैं।

(वार्डों की संख्या जहां रिहाइशी क्षेत्रों में दिन में कम से कम एक बार झाड़ू और सफाई होती है / वार्डों की कुल संख्या)* 100

*'वार्ड का अर्थ है चुनावी वार्ड

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

वार्डों का प्रतिशत जहां रिहाइशी क्षेत्रों की सड़कों पर दिनमें कम से कम एक बार झाड़ू लगती है	
वार्ड का 100%	18
वार्ड का 80%–99%	14
वार्ड का 60%–79%	9
वार्ड का 40%–59%	5
वार्ड 40% से कम	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएबी द्वारा निम्न प्रपत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने चाहिये :–

- रिहाइशी क्षेत्रों में दिन में एक बार झाड़ू लगने के कार्यकलाप अभिलेख / आरोग्य कर्मी की रोस्टर रिपोर्ट के साक्ष्य
- बाहरी एजेंसी को कार्य आउटसोर्स किया गया हो तो अनुबंध की प्रतिलिपि
- वार्डवार उपस्थिति रिकॉर्ड / कार्यकलाप अभिलेख / आरोग्यकर्मी की रोस्टर रिपोर्ट

यूबएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

- सभी रिहाइशी क्षेत्र सफाई के वर्गों में विभाजित कर लेना चाहिये। एक वर्ग में झाड़ू का उत्तरदायित्व एक ही सफाईकर्मी के हवाले होना चाहिये। प्रत्येक सफाईकर्मी को क्षेत्र के घनत्व के आधार पर कार्य सौंपना चाहिये जिसका मापन मीटर में होना चाहिये। (एमओयूडी के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेषज्ञ समिति के मैनुअल के अनुसार) :

ए. उच्च घनत्व क्षेत्र : 300 से 350 मीटर
बी. मध्यम घनत्व क्षेत्र : 500 से 600 मीटर
सी. निम्न घनत्व क्षेत्र : 650 से 750 मीटर

- यदि यूएलबी अपने कर्मियों से ऐ क्षेत्रों की झाडू का प्रबंध करनेमें असमर्थ है, तो यूएलबी झाडू लगाने का काम ठेके पर दे सकती है।
- झाडू–सफाई का खर्च यूएलबी कर संग्रह अथवा उपभोता कर द्वारा पोषित कर सकती है। जहां यूएलबी इस तरह के कर नहीं संग्रह करती, वहां उपभोक्ता कर के लिये स्टैंडिंग कमेटी/जनरल बॉडी/राज्य सरकार द्वारा स्वीक्रृत एक जीआर अधिसूचित करना चाहिये।(संबंधित राज्य के म्यूनिसिपल ऐक्टको सुनिश्चित करते हुए)

अन्य शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख अभ्यास

एसडब्ल्यूएम के लिये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को शामिल करनारू सूरत में, द "सोसायटी अनुदान स्कीम"

सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पहल "सोसायटी अनुदान स्कीम" शहर को संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य वर्द्धक और स्वच्छ बनाने में नागरिकों के योगदान के उद्देश्य के साथ विकसित की गयी है। 1998 में इसकी परिकल्पना के बाद 2005 में सोसायटी अनुदान स्कीम लागू की गयी। इस स्कीम के हिस्से के तौर पर सोसायटियों को स्कीम में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत स्वयं को दर्ज कराना था। यह स्कीम, सोसायटियों को एसएमसी क्षेत्र में सफाई और झाडू के लिये सहायता देने के लिये है। एक बार आवेदन स्वीकार हो जाये, तो सोसायटी को रिहाइशी क्षेत्र में गलियों की सफाई व्यवस्था और समुचित सफाई सुनिश्चित करनी होती है। प्रत्येक माह के अंत में, एसएमसी का एक आरोग्य निरीक्षक निगरानी और मूल्यांकन के लिये सोसायटी का दौरा करता है।अगर सोसायटी, एसएमसी द्वारा तय मानक पर अपेक्षित उतरती है, तो आरोग्य निरीक्षक एक प्रमामपत्र देता है। एक बार सोसायटी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेती है, संपूर्ण सफाई और ठोस अपशिष्ट संग्रह का भार एसएमसी बुगतान करती है। वर्तमान में, इस स्कीम में 600 से ज्यादा सोसाइटी दर्ज हैं। एसएमसी स्कीम के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड सोसायटी को रु. 0.6–0.65 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करती है, जिसमें कम से कम भुगतान प्रति माह रु.1200 होता है।

E) आवासीय क्षेत्रों से दरवाजा–दरवाजा अपशिष्ट संग्रह एवं ढुलाई संपन्न

यह वर्ग आवासीय क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रह और उसकी ढुलाई से संबंधित है। इस वर्ग में मापदंडों की कुल संखया 6 है और इस वर्ग से अधिकतम प्राप्तांक 98 हो सकते हैं।

1.1.13 एमएसडब्ल्यू के लिये आवासीय क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रह एवं ढुलाई की योजना की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आकलन करता है कि क्या आपके यूएलबी के पास आवासीय क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रह एवं ढुलाई की योजना है। अंकों का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यूएलबी के पास कोई योजना है या नहीं।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

आवासीय क्षेत्रों के लिये संग्रह और ढुलाई की कोई योजना है?	
हां	12
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- संग्रह एवं ढुलाई योजनाध्यूएलबी की मार्ग योजना की प्रतिलिपि
- ऐसी स्थिति में, जब यूएलबी ने संग्रह एवं ढुलाई का कार्य आउटसोर्स किया हो, तो तीसरे पक्ष के साथ आवासीय क्षेत्रों से संग्रह और ढुलाई के अनुबंध की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये।

अपने अंक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास योजना नहीं है,

अधिप्राप्ति

- यूएलबी को आवासीय क्षेत्रों को चिह्नित करके वहां से अपशिष्ट संग्रह एवं ढुलाई की एक सूक्ष्म योजना विकसित करनी चाहिये। यह योजना एसडब्ल्यूएम कार्य योजना का हिस्सा हो सकती है।

वित्त

- यूएलबी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार के सहयोग से एसडब्ल्यूएम कार्य योजना/एसडब्ल्यूएम अपशिष्ट प्रबंधन के लिये डीपीआर तैयार करना चाहिये। डीपीआर तैयार करने के लिये राष्ट्रीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति(एनएआरसी) द्वारा निर्धारित प्रति इकाई व्यय एवं नियमों के तहत भारत सरकार इसकी 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी। (संदर्भः स्वच्छ भारत अर्बन गाइड लाइन्स)

1.1.14. आवासीय क्षेत्रों में वार्डवार दरवाजा–दरवाजा संग्रह

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आपके शहर के आवासीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट संग्रह तंत्र के डोर टू डोर समावेश का आकलन करता है। अंकों का क्रमिक स्थापन आवासीय क्षेत्रों में डोर टू डोर संग्रह वाले वार्डों के प्रतिशत पर निर्भर करता है।

डोर टू डोर संग्रह का अर्थ है, गृहस्वामी से उसके दरवाजे पर जाकर अपशिष्ट का संग्रह करना। इसमें यह शामिल है कि यदि हाउसिंग सोसायटी है, वृहत आवासीय परिसर है अथवा अपार्टमेंट है, तो अपशिष्ट संग्रह भूतल के प्रवेश द्वार अथवा किसी निर्धारित स्थान पर किया जायेगा।(एसडब्ल्यूएम नियम 2016)

(वार्डों की संख्या' जहां आवासीय क्षेत्रों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह होता है / वार्डों की कुल संख्या)*100

*वार्ड का अर्थ है चुनावी वार्ड

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

आवासीय क्षेत्रों में दरवाजा–दरवाजा अपशिष्ट संग्रह वाले वार्डों का प्रतिशत	
वार्ड का 100%	23
वार्ड का 80%–99%	16
वार्ड का 60%–79%	11
वार्ड का 40%–59%	5
वार्ड 40% से कम	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- अभिलेख पुस्तक / आवासीय क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रह के किसी अन्य रिकॉर्ड की प्रतिलिपि (वार्डवार)
- यदि बाहरी एजेंसी को कार्य आउटसोर्स किया गया है तो कार्यकलाप एवं अनुबंध की प्रतिलिपि

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास तंत्र नहीं है,

- यूएलबी को प्रत्येक वार्ड में ऐसे आवासीय क्षेत्रों की पहचान करके वार्डवार एक सूक्ष्म योजना तैयार करनी चाहिये, जैसा कि पूर्व के मापदंडों में चर्चा की गयी है।
- आवश्यक प्रचालन तंत्र स्थापित करने के लिये यूएलबी को डीजीएसऐंडडी और एमओयूडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के अनुसार कचरा संग्रह के ट्रक और कचरे के डिब्बों की अधिप्राप्ति कर सकती हैं। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। डीजीएसऐंडडी द्वारा दी गयी मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

- यूएलबी राज्य सरकार के अनुमोदन और स्वीकृति से डोर टू डोर संग्रह के लिये आवश्यक कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति कर सकती है। अगर कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं मिलती है, तो यूएलबी अनुबंध के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति कर सकती है अथवा किसी तीसरे पक्ष को काम आउटसोर्स कर सकती है।
- यूएलबी दरवाजा दरवाजा कचरा संग्रह का तंत्र स्थापित करने के लिये कचरा बीनने वाले लोगों को पहचानपत्र देकर, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देकर और उन्हें आवश्यक ढांचा और उपकरण मुहय्या करा के एकीकृत कर सकती है। अधिक जानकारी के लिये देखिये ई–पाठ्यक्रम शिक्षण रू मेनस्ट्रीमिंग वेस्ट पिकर्स इन एसडब्ल्यूएम, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन(link:http://goo-gl/hgl64l)
- यूएलबी डोर टू डोर संग्रह का काम किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स कर सकती है। डोर टू डोर संग्रह और ढुलाई को दूसरे बिंदू तक पहुंचाने के लिये संचालक के चयन का आदर्श आरएफपी एमओयूडी ने अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक आई में दिया है।

वित्त

- उपकरणों की कीमत और अन्य ओऐंडएम व्यय एसबीएम के तहत शहर द्वारा राज्य सरकार के पास प्रस्तुत किये गये बजट में शामिल किया जा सकता है। एसडब्ल्यूएम के लिये एमओयूडी के पास प्रस्तुत किये गये कुल बजट का अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदान/वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार इंसेटिव के रूप में अदा करेगी। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भः डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)

अन्य स्थानीय शहरी निकायों के प्रमुख अभ्यास

डोर टू डोर संग्रह में कूड़ा बीनने वालों का एकीकरण, एसडब्ल्यूएसीएच, पुणे का दृष्टांत

अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था में कबाड़ियों और कूड़ा बीनने वालों को शामिल करके पुणे ने शून्य अपशिष्ट की रणनीति बनायी है। पुणे में कचरा बीनने वालों, अपशिष्ट संग्रह करने वालों तथा अन्य शहरी गरीबों के स्वरोजगार सहकारिता इकाई, ठोस अपशिष्ट संग्रह एवं संचालन (SWaCH),

अपशिष्ट के डोर टू डोर संग्रह (डीटीडीसी)में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विकेंद्रित तंत्र घरों, दुकानों, कार्योलयों, और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डीटीडीसी सेवाएं देता है। यह तंत्र में अलर्ट जी(ALERT G) जैसी सुविधा से संपन्न है जहां शिकायतों का निपटारा होता है। इस व्यवस्था से स्वाच सदस्य को यह लाभ मिलता है कि अब उनकी आय नियमित हो गयी है। इसके अतिरिक्त, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (पीएमसी)इन कचरा चुनने वालों को पहचानपत्र और स्वास्थ्य बीमा देती है, ताकि वे बिना बाधा के यह कार्य कर सकें। स्वाच नमूना, उपभोक्ता शुल्क पर आधारित नमूना है, जहां ग्राहक सीधे अपशिष्ट संग्रहकर्ता को भुगतान करते हैं। स्वाच, पीएमसी और कूड़ा संग्रह करने वालों के बीच कोई रोजगार अनुबंध नहीं है। इस नमूने से प्रतिवर्ष कचरा संचलन के व्यय में 15 करोड़ रुपये की बचत होती है। इनके बारे में यहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं, http://www-swachcoop-com/

समय स्थान गतिविधि अर्थात टाइम प्लेस मूवमेंट(टीपीएम) का अध्ययन यह बताता है कि बंगलौर और सूरत ने डोर टू डोर संग्रह के सभी आवासीय क्षेत्रों का संचालन अपने अधिकार में ले लिया है। बंगलौर का ई–पाठ्यक्रम देखिये,

http://goo-gl/xUBfCp

1.1.15. आवासीय क्षेत्रों में थोक उत्पन्नकर्ताओं के विकेंद्रित अपशिष्ट प्रबंधन की सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आवासीय क्षेत्रों में थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रबंधन की सीमा का आकलन करता है। इसमें अंकों का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि जिस शहर के उत्पन्नकर्ता अपने अपशिष्ट का स्वयं प्रबंधन करते हैं उसे सर्वोच्च अंक प्राप्त होते हैं। यह एक प्रणाली द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें यूएलबी सीधे अपशिष्ट संग्रह करते हैं। यूएलबी को 75 % से ज्यादा अंक तभी मिलेंगे जब थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपने अपशिष्ट का प्रबंधन स्वयं करेंगे।

थोक कचरा उत्पन्नकर्ताओं में ऐसे सभी आवासीय परिसर शामिल हैं जहां औसत अपशिष्ट उत्पादन प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा है।(एसडब्ल्यूएम नियम,2016)

यूएलबी आवासीय क्षेत्रों के थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को यह आज्ञा दे सकती है कि वे अपने परिसर में उत्पन्न अपशिष्ट की स्वयं संग्रह और ढुलाई करें, या फिर किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से उन्हें यह सेवा प्रदान कर सकती है। बहरहाल, एसडब्ल्यीएम नियम 2016 में यह निर्दिष्ट है कि सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और फाटकों के भीतर रहने वाला वर्ग जिसके पास 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक है, उन्हें अलग अलग धाराओं में अपशिष्ट का प्रथक्करण करना होगा और पुनर्चक्र योग्य पदार्थ अधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा अधिकृत पुनर्चक्र संचालकों को सौंपना होगा। नष्ट होने योग्य जैव अपशिष्ट का प्रक्रमण, प्रशोधन और कम्पोस्टिंग अथवा बायॉमेथानेशन द्वारा जहां तक संभव हो परिसर में ही नष्ट करना होगा। घरेलू अपशिष्ट अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं अथवा एजेंसी के सुपुर्द करना होगा, जैसा कि स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित हो।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

आवासीय थोक अपशिष्ट का किस प्रकार प्रबंध हुआ?	
75% से अधिक थोक उत्पन्नकर्ताओं ने स्वयं प्रबंध किया	12
75% से अधिक थोक अपशिष्ट यूएलबी ने सीधे संग्रह किया	8
कोई व्यवस्था नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक प्रपत्र

साक्ष्य के रूप में यूएलबी को निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- यूएलबी द्वारा आवासीय थोक उत्पन्नकर्ताओं को परिसर में उत्पन्न अपशिष्ट के संग्रह एवं ढुलाई के लिये निर्देशित जीआरध सर्कुलर की प्रतिलिपि, और
- थोक उत्पन्नकर्ताओं से संग्रह और ढुलाई की योजना की प्रतिलिपि, अथवा
- थोक उत्पन्नकर्ताओं से संग्रह और ढुलाई के लिये किसी तीसरे पक्ष से अनुबंध की प्रतिलिपि
- अभिलेख पुस्तक/अन्य रिकॉर्ड की प्रतिलिपि जिसमें थोक उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट के संग्रह और ढुलाई का ब्योरा हो।

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को आवासीय क्षेत्रों में थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को चिह्नित करना चाहिये और एक सर्कुलर के माध्यम से उन्हें अधिसूचित करना चाहिये कि वे अपशिष्ट का उसके मूल स्थान पर ही पृथक्करण करें। संग्रह और ढुलाई थोक उत्पन्नकर्ताओं द्वारा या तो स्वयं करना चाहिये अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से यूएलबी को।
- यूएलबी को चिह्नित करके कचरा बीनने वालोंध्पुनर्चक्रित करने वालों को अधिकृत करके सुनिश्चित करना चाहिये कि पुनर्चक्र योग्य पदार्थ अधिकृत अपशिष्ट संग्राहक अथवा पुनर्चक्र करने वालों को ही सौंपा जाय।
- यूएलबी को शहर योजना निर्माताओं को निर्देश देना चाहिये कि प्रथक्करण, भंडारण, ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रक्रमण के लिये विकास योजना में 200 ड्वेलिंग या 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक के प्लॉट वाले सामूहिक आवासीय सोसायटीज के लिये स्थान चिह्नित करें। भवन योजना की अनुमति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, यूएलबी को ऐसे आवासीय थोक उत्पन्नकर्ताओं को निर्देश देना चाहिये कि योजना में अपने अपशिष्ट का प्रबंधन करें।

अधिप्राप्ति

- आवश्यक प्रचालन तंत्र को स्थापित करने के क्रम में, यूएलबी एमओयूडी और डीजीएसऐंडडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के आधार पर कचरा संग्रह के डिब्बे और ट्रक की अधिप्राप्ति कर सकता है। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

वित्त

- यूएलबी ट्रक तथा अन्य ढांचागत अधिप्राप्तियों जैसे छंटनी, शेड्स, उठाव वाहन, संग्रह के डिब्बे आदि का मूल्य एसबीएम के तहत प्रस्तुत बजट में शामिल कर सकती हैं।
- एसडब्ल्यूएम के लिये एमओयूडी के पास प्रस्तुत किये गये कुल बजट का अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदानध वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार इंसेटिव के रूप में अदा करेगी। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है।(संदर्भः डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सन 2000 के बाद बनी सभी आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में अनिवार्य कर दिया है कि उत्पन्नकर्ता कूड़े की खाद (कम्पोस्ट) का गड्ढा बनायें।

1.1.16 आवासीय क्षेत्रों में संग्रह डिब्बों(bins) की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड इस बात का परीक्षण करता है कि क्या आपके यूएलबी के पास आवासीय क्षेत्रों पर्याप्त संख्या में कचरे के डिब्बे हैं, अथवा आपका शहर अपने पड़ोसी क्षेत्र के लिये कचरा डिब्बा मुक्त शहर है। उन शहरों के लिये सर्वाधिक अंक हैं जो शहर अपने पड़ोसियों के लिये डिब्बामुक्त हैं। अगर आवासीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला 80–99: अपशिष्ट सीधे संग्रह करके स्थानांतरण केंद्र / प्रक्रमण प्लांट / प्रशोधन प्लांट तक ढुलाई करके जाता है, तो शहर को अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं।

संग्रह डिब्बों की पर्याप्तता = डिब्बों की संख्या / आवासीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या

पड़ोसी क्षेत्रों के लिये शहर डिब्बा मुक्त माना जाएगा, यदि यह अपशिष्ट की, घरों से सीधे स्थानांतरण केंद्र / प्रक्रमण केंद्र अथवा कचरा स्थल तक ढुलाई करता है।

अंकों का क्रमिक स्थापन

आवासीय क्षेत्रों में संग्रह डिब्बों की उपलब्धता	
पड़ोसी क्षेत्रों के लिये शहर डिब्बामुक्त है	18
1 डिब्बा 75 लोगों के लिये	13
1 डिब्बा 100 लोगों के लिये	6
1 डिब्बा 150 लोगों के लिये	3
शहर डिब्बा मुक्त नहीं है, लेकिन डिब्बे नहीं रखे गये हैं।	0

शहरी स्थानीय निकाय के लिये सहायक प्रपत्र

यूएलबी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- संग्रह डिब्बों की स्थापना अभिलेख की प्रतिलिपि
- डिब्बों के स्थान का नक्शा / संख्या / प्रपत्र की प्रतिलिपि, और
- आवासीय क्षेत्रों की सूची, जहां अपशिष्ट का डोर टू डोर संग्रह होता है, तथा संग्रहीत अपशिष्ट सीधे प्रक्रमण / निपटान स्थल तक स्थानांतरित होता है।

यूएलबी को अपने अंक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को डोर टू डोर संग्रह एवं अपशिष्ट के सीधे प्रक्रमण / निपटान स्थल तक स्थानांतरण का एक ढुलाई / मार्ग योजना बनानी चाहिये। इससे यह डिब्बों पर निर्भरता घटना सुनिश्चित होगा।
- यूएलबी को डिब्बों की संख्या का आकलन कर सुनिश्चित करना चाहिये ताकि 75 लोगों पर 1 डिब्बा रखा जाय, जब तक कि उनके पड़ोसी डिब्बा मुक्त न हो जायं।

अधिप्राप्ति

- यदि यूएलबी को सीधे संग्रहीत अपशिष्ट को प्रक्रमण / निपटान स्थल तक ढुलाई के लिये ट्रकों की आवश्यकता है, तो वे एमओयूडी और डीजीएसऐंडडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के आधार पर कचरा संग्रह के लिये ट्रक की अधिप्राप्ति कर सकता है। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

वित्त

- यूएलबी डिब्बों की अधिप्राप्ति का मूल्य एसबीएम में प्रस्तुत बजट में शामिल कर सकती हैं।
- एसडब्ल्यूएम के लिये एमओयूडी के पास प्रस्तुत किये गये कुल बजट का अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदान / वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार इंसेंटिव के रूप में अदा करेगी। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर / कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है।(संदर्भः डी.ओ.नं. क्यू–15014 / 2 / 2009–सीपीएचईईओ)

अन्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रमुख अभ्यास

डिब्बामुक्त अपशिष्ट संग्रह सूर्यापेट, तेलंगाना

जनवरी 2003 में, सूर्यापेट के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहर में 'शून्य आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की पहल की। यह चरणों में लागू किया गया। इसके प्रमुख तत्व थे डोर टू डोर कूड़ा संग्रह, सामुदायिक कचरा डिब्बों की समाप्ति, स्रोत स्थल पर अपशिष्ट प्रथक्करण, प्रशोधन और पुनर्चक्र सुविधा की स्थापना, ताकि अपशिष्ट निपटान की आवश्यकता को घटाया जा सके। आबादी में, सार्वजनिक स्थानों पर, व्यावसायिक क्षेत्रों में, जबर्दस्त अभियान के साथ कमिश्नर ने एक तंत्र निर्मित किया जिसके तहत संपूर्ण म्यूनिसिपल क्षेत्र को सात क्षेत्रीय खंडों में विभाजित करके वहां आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मी तैनात कर दिये। कचरे के डिब्बे शहर के सभी हिस्सों से पूरी तरह हटा दिये गये, क्योंकि अपशिष्ट सीधे स्रोत से ही संग्रह किया जाने लगा।

चित्र 10: पुनर्चक्र सुविधा स्थल पर पृथक शुल्क अपशिष्ट

चित्र 9: डोर टू डोर पृथक अपशिष्ट का संग्रह

स्रोतरू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिन स्माल टाउन्स (2006)। वाटर ऐंड सैनिटेशन प्रोग्राम

1.1.17. अपशिष्ट प्रबंधन के लिये आवासीय क्षेत्रों से उपभोक्ता भार के लिये अधिसूचना और संग्रह

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आवासीय क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट के संग्रह ढुलाई, और प्रक्रमण की सेवाएं देने का आकलन करता है कि क्या यूएलबी आर्थिक स्रोत उत्पादित कर रहा है। इसमें अंकों का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि यूएलबी ने उपभोक्ता भार के लिये अधिसूचना जारी कर दी है और संग्रह कर रही है, अथवा नहीं।

आवासीय क्षेत्रों के लिये उपभोक्ता भार वह शुल्क है जो अपने अधिकार क्षेत्र में यूएलबी निवासियों को अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं देने के लिये संग्रह करती है।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या आवासीय क्षेत्रों में उपभोक्ता भार की अधिसूचना जारी हो गयी है और संग्रह किया जा रहा है?	
अधिसूचित और संग्रहीत	12
अधिसूचित नहीं किंतु संग्रहीत	8
अधिसूचित लेकिन संग्रहीत नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक प्रपत्र

यदि शहर ने आवासीय क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रह के लिये अधिसूचना जारी कर दी है और उपभोक्ता भार संग्रह किया जा रहा है, तो साक्ष्य के रूप में यूएलबी को निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये।

- यूएलबी द्वारा आवासीय क्षेत्रों में उपभोक्ता भार संग्रह के लिये जीआर/स्टैंडिंग कमेटी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि
- पिछले बार चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता भार के रूप में संग्रहीत राशि

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

- एक बार यूएलबी आवासीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रबंधन का तंत्र विकसित कर ले, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी/जनरल बॉडी/ राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन (संबंधित राज्य के म्यूनिसिपल ऐक्ट को सुनिश्चित करते हुए)प्राप्त करके उपभोक्ता भार की एक तालिका तैयार करनी चाहिये और इसकी अधिसूचना जारी कर देनी चाहिये। यूएलबी इस संबंध में राजस्थान सरकार के उपभोक्ता भार की अधिसूचना को संदर्भित कर सकती हैं। (देखिये अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक 'के')
- इसके बाद, यूएलबी उपभोक्ता भार संग्रह के लिये एक तंत्र स्थापित कर सकती है, जो संपत्ति कर के साथ जोड़ा जा सकता है।

अन्य शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख अभ्यास

उपभोक्ता भार के माध्यम से आर्थिक स्थिरतारू सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उदाहरण

सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्थापना व्यय को छोड़ कर अपने संचालन के अन्य व्यय उपभोक्ता भार के माध्यम से प्राप्त कर सकने में सक्षम है। एसएमसी ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता भार अपने संपत्ति कर के साथ वसूलती है। और यह उपभोक्ता भार के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंध संचालन के समस्त 100 प्रतिशत खर्च वसूल लेती है। सूरत निकाय यह भार जेएनएनयूआरएम सुधार मापदंड के तहत वसूल कर रही है।

1.1.18. आवासीय क्षेत्रों में प्रथक अपशिष्ट के संग्रह और ढुलाई की वार्डवार सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड तय करता है कि आवासीय क्षेत्रों में अपशिष्ट अपने स्रोतस्थल पर पृथक किया गया और यह पृथक्करण ठोस अपशिषट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निपटान अथवा अपशिष्ट प्रशोधन तक जारी रहा।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

अपशिष्ट अपने स्रोतस्थल पर पृथक किया गया और यह पृथक्करण निपटान अथवा अपशिष्ट प्रशोधन तक जारी रहा?	
हां	10
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहायक प्रपत्र

साक्ष्य के रूप में यूएलबी को निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- यूएलबी द्वारा आवासीय क्षेत्रों में मूलस्थान पर ही अपशिष्ट के प्रथक्करण की अधिसूचना के जीआर/ सर्कुलर की प्रतिलिपि
- संग्रह स्रोत से निपटान तक प्रथक्करण तंत्र की कार्यक्षमता को इंगित करने वाली रिपोर्ट अथवा प्रपत्र। यदि सेवाएं आउटसोर्स की गयी हैं, तो डोर टू डोर संग्रह के अनुबंध की प्रतिलिपि।

यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये क्या करना चाहिये?

यूएलबी जहां आवासीय क्षेत्रों में अपशिष्ट का स्रोत स्थान पर पृथक्करण नहीं हो रहा है।

- यूएलबी को आवासीय क्षेत्रों में यह निर्देश प्रचारित करना चाहिये कि वे अपशिष्ट का उसके मूल स्थान पर ही पृथक्करण करें।
- यूएलबी डोर टू डोर संग्रह का काम किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स कर सकती है। डोर टू डोर संग्रह और ढुलाई को दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिये संचालक के चयन का आरएफपी एमओयूडी ने अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक आई में दिया है।
- यदि कहीं मूलस्थान पर पृथक्करण न हो, तो यूएलबी को आवासीय क्षेत्रों से जुर्माना वसूलना चाहिये। इसके लिये यूलबी को अपनी नियमावली तैयार करनी चाहिये/ जुर्माना राशि की विस्तृत जीआर जारी करनी चाहिये।
- पृथक्करण के महत्व पर जागरूकता प्रसार के क्रम में यूएलबी को लक्ष्य बना कर जागरूकता अभियान चलाना चाहिये। इस काम में औद्योगिक घरानों का सहयोग लिया जा सकता है। (देखिये ई–पाठ्क्रम वीडियोरू पाठ्यक्रम 210 (संशोधित)
- सोर्स सेपरेशनः की टु सस्टेनेबिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट– पार्टनरशिप ऑफ एनजीओज–केस ऑफ पुने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन http://goo-gl/8NYSei½)

अधिप्राप्ति

- यदि यूएलबी को संग्रह के लिये डिब्बों और ट्रकों की आवश्यकता है, तो वे एमओयूडी और डीजीएसऐंडडी द्वारा अधिसूचित मूल्य अनुबंध के आधार पर कचरा संग्रह के लिये डिब्बों और ट्रकों की अधिप्राप्ति कर सकती हैं। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

वित्त

आईईसी / बीसीसी के लिये

- यूएलबी एसबीएम के अवयव आईईसी / बीसीसी के तहत प्राप्त धनराशि का उपयोग कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त, यूएलबी औद्योगिक घरानों के साथ समझौता करके, उनकी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत जागरूकता अभियान शुरू कर सकती हैं। जो कम्पनी ऐक्ट 2013 के शिड्यूल 7 के तहत अनुमति प्राप्त है।(देखिये अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक आई)

ओऐंडएम के लिये

- यूएलबी को उपभोक्ता भार के लिये अधिसूचना जारी करनी चाहिये और अपने ओऐंडएम व्यय आंशिक अथवा पूरी तरह प्राप्त करने चाहिये।
- यूएलबी, 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त मूल एकीकृत अनुदान का भी अपने ओऐंडएम खर्चों के लिये उपयोग कर सकती हैं।

चित्र11 : कमिन्स इंडिया इन पुणे के सहयोग से जनवाणी द्वारा आयोजित सार्वजनिक जागरूकता अभियान य स्रोत रू अर्बन मैनेजमेंट सेंटर

एफ) अपशिष्ट का निपटान/प्रशोधन स्थल तक ढुलाई की क्षमता

इस वर्ग में शहर में उत्पन्न अपशिष्ट की निपटान अथवा प्रशोधन स्थल तक ढुलाई से संबंधित मापदंड हैं। इस वर्ग में 2 मापदंड हैं। और यूएलबी अधिकतम 36 अंक अर्जित कर सकती हैं।

1.1.19. स्वच्छ शहर योजना अथवा एसडब्ल्यूएम डीपीआर के अनुसार ढुलाई के रोडमैप की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

यह वर्ग आकलन करता है कि क्या यूएलबी के पास स्वच्छ शहर योजनाध्डीपीआर के अनुसार अपशिष्ट ढुलाई के लिये कोई रोडमैप है या नहीं। अंकों का क्रमिक स्थापन इस प्रकार होता है कि यूएलबी के पास ऐसी योजना है और वह इसे लागू करती है तो उसे अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं।

स्वच्छ शहर योजना का सांचा षहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया है और इसमें एक विशेष वर्ग है जिसमें यूएलबी को यह इंगित करना होता है कि उसके पास 100 प्रतिशत अपशिष्ट ढुलाई के लिये कार्य योजना है। स्वच्छ सिटी प्लान के टेम्पलेट पर जाएं। (अनुलगंनक पुस्तक का अनुलग्नक बी देखे)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

स्वच्छ शहर योजना/डीपीआर है और लागू किया गया है	18
स्वच्छ शहर योजना है/डीपीआर लेकिन लागू नहीं है	9
स्वच्छ शहर योजना नहीं है	0

यूएलबी द्वारा दिये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- स्वच्छ शहर योजना डीपीआर के अनुमोदन की प्रतिलिपि
- अपशिष्ट ढुलाई कार्यकलाप अभिलेख की प्रतिलिपिध्योजना को सुनिश्चित करने वाले रूट प्लान की प्रतिलिपि

ूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

अगर यूएलबी के पास स्वच्छ शहर योजना/डीपीआर नहीं है ता

अधिप्राप्ति

- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये शहर आरोग्यता योजना का सांचा प्रस्तुत करके यूएलबी स्वयं स्वच्छ शहर योजना तैयार कर सकती है। (अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक बी देखें)
- एमओयूडी द्वारा अनुबद्ध एजेंसियों की सूची से यूएलबी किसी सलाहकार को नियुक्त कर सकती हैं।(देखें अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक सी)

- योजना को लागू करने के लिये आवश्यक संचलन तंत्र स्थापित करने लिये षहरी विकास मंत्रालय एवं डीजीएसऐंडडी द्वारा निर्धारित मूल्य अनुबंधों के आधार पर यूएलबी कचरा संग्रह ट्रकों और कचरा डिब्बों की अधिप्राप्ति कर सकती हैं। मूल्यों की वैधता 31 जुलाई 2016 तक है। डीजीएसऐंडडी के मूल्य अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ई में दी गयी है।

वित्त

- यूएलबी को राज्य सरकार के सहयोग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये डीपीआर तैयार करना चाहिये। डीपीआर निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा निर्धारित प्रति इकाई मूल्य की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

1.1.20. एमएसडब्ल्यू वाहनों के परिचालन की निगरानी एमएसडब्ल्यू वाहनों की गतिविधि की निगरानी

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड उस प्रक्रिया का आकलन करता है कि यूएलबी अपने कचरा ट्रकों और अन्य वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखता है। उस यूएलबी को अधिकतम अंक दिये जाते हैं जो आईसीटी आधारित माध्यम प्रयोग करते हैं। दूसरे स्थान पर उसे अंक दिये जाते हैं जो अपने वाहनों पर बिना उपकरण अर्थात हस्त संचालित निगरानी बनाये रखते हैं।

आईसीटी आधारित निगरानी तंत्र का अर्थ है जीपीएस/आरएफआईडी अंकित करने वाले वाहन एवं शहर में परिचालित वाहनों की दूरस्थ निगरानी।

मैनुअल अथवा हस्त संचालित निगरानी तंत्र में एक रजिस्टर या अभिलेख पुस्तक रखी जाती है जिसमें प्रत्येक उठाव बिंदु, स्थानांतरण केंद्र या प्रक्रमण प्लांट पर आने और वहां से जाने का समय दर्ज किया जाता है।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

आईसीटी आधारित उपकरण (आरएफआईडी अंकन/जीपीआरएस आदि)	18
हस्त संचालित निगरानी	9
निगरानी नहीं	

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यूएलबी जिनके पास कुछ आईसीटी/हस्त संचालित निगरानी तंत्र हैं, उन्हें निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये।

- आरएफआईडी अभिलेख/जीपीआरएस, हस्त संचालित अभिलेख एवं पिछले महीने की गतिविधि रिपोर्ट
- अनुबंध की प्रतिलिपि, यदि आरएफआईडी/जीपीआरएस की स्थापना की जिम्मेदारी किसी निजी एजेंसी को दी गयी है।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास इस तरह का तंत्र नहीं है,

- अपने चयनित हुए विक्रेताओं का उपयोग, जिन्होंने इस प्रक्रिया में किसी तरह की पहल की है।
- यदि ऐसा नहीं है, तो वे एमओयूडी द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ किये गये एमओयू का उपयोग कर सकती हैं। ये एमओयू अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एल और एम में देखे जा सकते हैं। इसी के अनुसार, एमटीएनएल अथवा बीएसएनएल वाहनों की निगरानी के लिये सभी यूएलबी को ई एसबीएम के माध्यम से निगरानी तंत्र उपलब्ध कराएंगे।
    - जीपीएस आधारित काफिला (फ्लीट)निगरानी
    - अपशिष्ट संग्रह और ढुलाई के लिये एमआईएस
    - वाहनों के ब्रेक डाउन एवं देखरेख के लिये वास्तविक समय के एसएमएस प्रेषण
    - वाहनों पर नजर रखने और उनकी निगरानी का समाधान उपलब्ध कराने के लिये सेवा भार आईसीटी तंत्र द्वारा रु. 1500– प्रति वाहन, प्रति माह के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपलब्ध है।

- सभी छोटे यूएलबी के लिये जहां वाहनों की संख्या 100 से कम है, पहले वर्ष आईसीटी संचालन के लिये सेवा भार प्रत्येक राज्य में एक ही केंद्रीकृत बिंदु पर पेशगी में भुगतान किया जाता है।
- परियोजना दो चरणों में शुरू होनी है। पहले चरण में इसे 75 शहरों में लागू किया जाएगा, जिसके लिये एमओयूडी ने सूची उपलब्ध करायी है।
- एमटीएनएल/बीएसएनएल ने यूएलबी की सहायता के लिये सहायता डेस्क (टोल फ्री नंबर के आधार पर) आरंभ की है।
- यूएलबी अतिरिक्त भार (बींतहमे)देकर यूएलबी कर्मियों के लिये मोबाइल एप और नागरिकों के लिये पोर्टल की सुविधा चुन सकते हैं।

- जब तक इस तंत्र का संचालन शुरू हो, तब तक यूएलबी हस्त संचालित अभिलेख पुस्तक में आंकड़े रख सकते हैं।

वित्त

- अगर आपका यूएलबी 100 स्मार्ट शहरों की सूची में चयनित है, तो आप स्मार्ट सिटी योजना के तहत आईसीटी आधारित सॉल्यूशन के लिये प्राप्त धन का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आपका यूएलबी स्मार्ट शहरों की सूची में नहीं है, तो आप 14वें वित्त आयोग द्वारा शहरों को स्थानांतरित किये गये मूल एकीकृत धनराशि का उपयोग कर सकते हैं.

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

पिंपरी चिंचवाड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र में जीपीएस धारी वाहनों की निगरानी

पिंपरी चिंचवाड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन(पीसीएमसी) ने संचालन में सुविधा और कम तैनाती मूल्य को देखते हुए जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली लागू कर रखी हैं। कॉरपोरेशन की चरणबद्ध रणनीति में शामिल है–

–चरण 1 : तकनॉलॉजी साझीदार का चयन

–चरण 2 : अपशिष्ट संग्रह वाहनों पर जीपीएस की स्थापना

–चरण 3 : शहर भर में कचरे के डिब्बों की जिओ कोडिंग

–चरण 4 : सार्वजनिक सूचना तंत्र तथा वेब आधारित ऐपलिकेशन का विकास

–चरण 5 : भागीदारों का प्रशिक्षण और तंत्र का स्थायित्व

पूरे शहर में रखे गये डिब्बों (लगभग 1279) की जिओ कोडिंग (हमव बववतकपदंजमे) जीआईएस मैपिंग डाटाबेस में रख कर और मार्गों पर वाहनों के परिचालन (जिस वाहन पर जीपीएस उपकरण लगा होता है, उस वाहन का स्थान ज्ञात कर लिया जाता है)के वास्तविक समय पर निगरानी रखी जाती है। संपूर्ण शहर में 75 विभिन्न मार्गों को चिह्नित करके जीआईएस मैप पर जिओ कोड अंकित कर दिया गया। वेब आधारित ऐपलिकेशन में एक निहित एलगॉरिथम/प्रणाली विकसित की गयी, कि जैसे ही अपशिष्ट संग्रह वाहन किसी डिब्बे के पास निर्धारित दूरी पर पर्याप्त समय के लिये रुकता है, तो कचरा डिब्बे पर 'सर्व्ड ' का झंडा प्रदर्शित हो जाता है। इस डाटा का प्रयोग करके, पीसीएमसी अधिकारियों द्वारा अपशिष्ट उठाव के कार्य पर निगरानी के लिये वेब आधारित एक ऐपलिकेशन विकसित की गयी और फिर नागरिकों को वस्तु स्थिति की जानकारी के लिये (डिब्बे उठाये गये या नहीं) पीसीएमसी वेबसाइट पर इसका ऑन लाइन विस्तार भी विकसित कर दिया गया। स्रोतः (http://www-jnnurm-nic-in/wp&content/uploads/2011/01/bp_swm-pdf)

http://goo-gl/GcMgoS

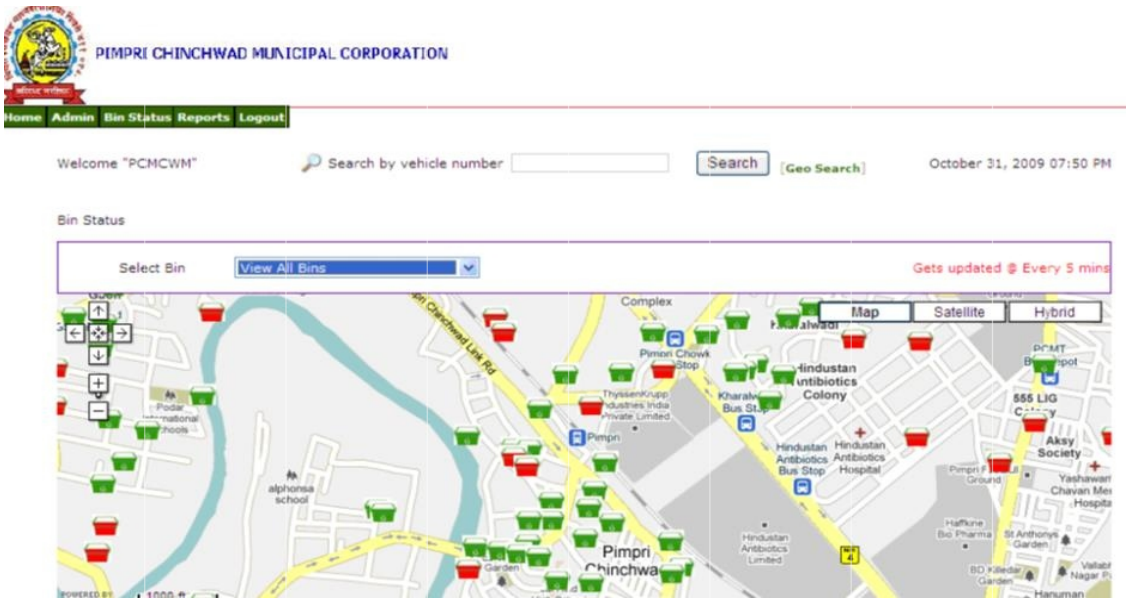

अपशिष्ट संग्रह तंत्र की संशोधित निगरानी के लिये आईटी का प्रयोग

क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के क्रम में, ईस्ट डेलही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (ईडीएमसी) ने 'ई– म्यूनिसिपैलिटी ठोस अपशिष्ट निपटान निगरानी प्रणाली' शुरू की। यह तंत्र में निकाय अपशिष्ट का उठाव करने में प्रयोग होने वाले सभी वाहन ऑनलाइन निगरानी प्रणाली से सुसज्जित है। इन वाहनों में जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरण लगे हैं। पूर्वी दिल्ली के सभी क्षेत्रों में संपूर्ण कचरा उठाव और निपटान तंत्र इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस सुविधा से पूर्ण है। तंत्र की खामियों को दूर करने और क्षमता में बढ़ोतरी के लिये सभी ऑटो टिपर्स तथा कचरा ट्रकों पर आरएफआईडी और वीटीएस उपकरण भी स्थापित होने हैं।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 'ई–म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणाली' से जुड़े हैं, जो कचरा अड्डों एवं कूड़ा जमाव स्थल पर, कचरा उठाते समय और ढेर करते समय वाहन का चित्र लेते हैं। दिन के अंत में, जीपीएस का उपयोग सफाई वाले क्षेत्रों की दैनिक रूट मैपिंग रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिये किया जाता है।

ट्रक चालक जब अपशिष्ट संग्रह के लिये ढलाव पर पहुंचते हैं, तो वे स्वयं लोडरों में स्थापित पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट(पीडीए) उपकरण का प्रयोग करके ट्रकों और लोडरों के आरएफ टैग को स्कैन करते हैं। इसके बाद वे अपशिष्ट को ट्रक में लोड करते हैं और स्वच्छ हो चुके ढलाव का चित्र लेते हैं, जो तत्काल ही सर्वर पर लोड हो जाता है।

यह सुविधा एक निजी संगठन को आउटसोर्स की गयी है। कंपनी ने 233 ऑटो टिपर्स में वीटीएस उपकरण स्थापित किये हैं, ट्रक, लोडर जैसे 81 सेकंडरी वाहनों में आरएफ टैग्स लगाये हैं। इसके अलावा 278 ढलाव पर भी आरएफ टैग्स लगाये गये हैं। चार वर्ष के बाद परियोजना ईडीएमसी को सौंप दी जायेगी।

देखिये एसडब्ल्यूएम की जीपीएस आधारित निगरानी पर ई–पाठ्यक्रम शिक्षण,EDMC: http://goo-gl/qf2GJG

1.2. नगर निकाय ठोस अपशिष्ट–प्रक्रमण एवं निपटान (कुल अंक 180)

इस वर्ग में यूएलबी के पास उपलब्ध और कार्यरत एमएसडब्ल्यू के प्रक्रमण एवं निष्पादन से संबंधित मापदंड होते हैं। इस वर्ग में 4 मापदंड हैं और इनसे यूएलबी अधिकतम 180 अंक अर्जित कर सकती हैं।

1.2.1. एमएसडब्ल्यू के निष्पादन के तरीके

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आकलन करता है कि कि क्या यूएलबी का अपशिष्ट भरण स्थल वैज्ञानिक प्रकृति का है अथवा उसकी प्रकृति आरोग्यता स्तर की है और उसका ढंकाव प्रयोग में है या फिर शहर अनियोजित तरीके से कचरा जमा कर रहा है।

आरोग्य कचरा भराव का अर्थ है घरेलू ठोस अपशिष्ट का अंतिम एवं सुरक्षित निष्पादन और कचरा निपटान स्थल के लिये सुरक्षात्मक मापदंड अपनाते हुए सुविधाजनक रूपरेखा बनायी गयी हो। इसमें भूमिगत जल प्रदूषण, भूतल जल प्रदूषण, उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाली गंदगी, दुर्गंध, आग के खतरे, पशुओं के लिये हानिकार, चिड़ियों के लिये हानिकर, कीड़ों और कुतरने वाले प्राणियों के लिये हानिकर, ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव, जैविक प्रदूषण और क्षरण से के लिये सुरक्षात्मक उपाय किये गये हों। (एसडब्ल्यूएम नियम,2016)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या कूड़ा भराव वैज्ञानिक तरीके से किया गया?	
अनुशंसित कूड़ा भराव प्रक्रिया का अनुपालन किया गया (उपायात्मक एवं वैज्ञानिक ढंकाव(capping)	
प्रयोग की जा रही है)	36
अनियोजित कूड़ा भराव	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित(किसी अन्य प्रपत्र के डीपीआर में) साक्ष्य जिसमें कूड़ा भराव स्थान के सुरक्षित और कार्यरत होने का संकेत हो (सुरक्षित नियंत्रण में एवं गैसों का रुकाव तथा प्रशोधन)

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास इस तरह का तंत्र नहीं है,

- राज्य सरकार के सहयोग से ऐसे स्थान अथवा कूड़ा भराव स्थल को चिह्नित करना
- 0.5 मिलियन जनसख्या से कम वाले यूएलबी समूह बना कर एक निरोग कूड़ा भराव स्थल बना सकती हैं।

अधिप्राप्ति

- नीरोगात्मक उपाय के रूप में वर्तमान कूड़ा भराव स्थल के लिये, अगर यूएलबी ने कोई पहल नहीं की है तो, वह अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एन में दिये गये कूड़े स्थल के बंदी और ढंकाव के लिये आदर्श आरएफपी को संदर्भित कर सकती हैं।

वित्त

- यूएलबी एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदानध्वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार से प्राप्त कर सकती हैं। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहरध्कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है।(संदभर्रू डी.ओ. नं. क्यू–15014ध्2ध्2009–सीपीएचईईओ)

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

गोराई भरण स्थल की बंदी– एक शहरी नवजीवन परियोजना, मुंबई

जब गोराई कूड़ा भराव स्थल पर ठोस नगर निकाय अपशिष्ट एकत्र होक अपनी क्षमता को छू गया, तो एमएसडब्ल्यू प्रबंधन और संचालन (एमऐंडएच) नियम 2000 के तहत इसकी वैज्ञानिक बंदी की रणनीति का खाका तैयार किया गया।इसके समतलीकरण और वर्तमान ऊंचाई के सुधार के लिये विस्तृत खाका बनाया गया। जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षा के मापदंडों को शामिल किया गया। इस पर अभेद्य तल ढंकाव डाला गया। शीट पाइलिंग की गयी, ताकि ज्वार सैलाब में साइट सुरक्षित रहे। भरणस्थल की गैस का संग्रहण और प्रशोधन प्रणाली, हरित पट्टी का विकास, प्राकृतिक स्थिति, भरण स्थल पर हरित उपाय रेखांकित किया गया।

डंपसाइट को वैज्ञानिक ढंग से बंद करने की यह अपनी तरह की देश में पहली शुरुआत थी। ताकि भूमि को अन्य प्रयोगों के लिये फिर से प्राप्त किया जा सके।

परियोजना ने गोरी के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। मुंबई में 19 हेक्टेअर हरित भूमि प्राप्त हो गयी। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ और वातावरण में तीन दशक बाद दुर्गंध खत्म हो गयी ।

इस केस स्टडी पर ई– शिक्षण देखिये : http://goo-gl/WRn5vR

पहले

बाद में

चित्र13 रू गोराई कूड़ा भरण स्थल की पहले और बाद की तस्वीरें
स्रोतरू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई(एमजीएम)

1.2.2 प्रशोधन/प्रक्रमण से पहले एमएसडब्ल्यू के यांत्रिक द्वितीयक प्रथक्करण की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन किया जाता है कि क्या संग्रह किये गिये गये अपशिष्ट का प्रक्रमण और प्रशोधन से पहले द्वितीयक पृथ्ककरण (secondary segretion) हुआ नहीं। अंकों का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि इस तरह का तंत्र उपलब्ध है अथवा नहीं।

द्वितीयक पृथक्करण हस्त चालित एवं यांत्रिक प्रणाली के संयोजन से किया जा सकता है। इस प्रणाली में कर्मचारी कनवेयर बेल्ट पर अपशिष्ट को विभिन्न धाराओं में अलग कर सकते हैं। यह पृथक्करण संपूर्ण रूप से यांत्रिक प्रणाली से भी संभव है, जहां अपशिष्ट का मनुष्यों से सीमित संपर्क होता है।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या प्रक्रमण और प्रशोधन से पहले पृथक्करण के लिये तकनॉलॉजी का प्रयोग किया गया?	
हां	45
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- डीपीआर अथवा किसी अन्य रिपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें उचित स्थल पर अपशिष्ट प्रथक्करण प्रणाली उपलब्ध हो।
- गर काम किसी बाहरी एजेंसी को दिया गया है तो अनुबंध की प्रतिलिपि
- प्रणाली स्थल के फोटोग्राफ

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- जिन यूएलबी के पास शहर में अपशिष्ट उठाने वालों की अच्छी क्षमता है, वे इस तरह के संसाधनों पर पकड़ बना के उन्हें औपचारिक रूप दे सकते हैं। इसके लिये कचरा चुनने वालों को पहचानपत्र, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य उपकरण देकर उनका उपयोग किया जा सकता है।
- इस तरह के तंत्र की अनुपस्थिति में यूएलबी पीपीपी के माध्यम से प्रथक्करण तंत्र के लिये एक प्रक्रमण इकाई स्थापित कर सकती है। एजेंसी चिह्नित करने के लिये अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक जी में इसके लिये आदर्श आरएफपी प्रस्तुत है

वित्त

- यूएलबी एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदान/वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार से प्राप्त कर सकती हैं। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भः डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)
- यूएलबी एडब्ल्यूएम से संबंधित 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त एकीकृत अनुदान का भी उपयोग कर सकती हैं।

1.2.3.अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति की सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड का उद्देश्य प्रशोधन के बाद कूड़ा स्थल पर डाले गये कुल अपशिष्ट का प्रतिशत जानना है। यूएलबी को पूरे अंक मिलते हैं, यदि प्रशोधन के बाद कुल उत्पन्न कूड़े का कुल 20 प्रतिशत ही कचरा स्थल पर डाला जाय।

(कार्यरत भरण स्थल पर डाले गये कुल अपशिष्ट (इसमें अनियोजित ढंग से डंप किया गया कचरा शामिल नहीं है)/शहर में उत्पन्न होने वाला कुल अपशिष्ट)*100

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

कूड़ा भराव स्थल पर जडाने वाला अपशिष्ट	
< 20%कूड़ा भरण स्थल पर गया	45
20%से ज्यादा कूड़ा भरण स्थल पर गया	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सहायक प्रपत्र

यदि शहरी स्थानीय निकाय के पास कूड़ा भरण स्थल कार्यरत है, और कुछ सीमा तक प्रशोधन हो रहा है, तो उसे निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- अपशिष्ट प्रशोधन प्लांट का संचालन विस्तार और रिपोर्ट
- रिकॉर्ड बुक की प्रतिलिपि जिसमें भरण स्थल पर जाने वाले कुल अपशिष्ट की विस्तृत जानकारी हो।
- रिपोर्ट की प्रतिलिपिध्अन्य प्रपत्र जिसमें शहर में कुल उत्पन्न होने वाले अपशि,ट का आकलन हो।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास इस तरह का प्रशोधन तंत्र नहीं है,

- यूएलबी को सबसे पहले एक अध्ययन करना चाहिये जिसमें शहर में उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा और प्रकार का आकलन हो सके, इससे उचित तकनॉलॉजी के चयन में मदद मिलेगी। बड़े शहर विकेंद्रित प्रणाली प्रयोग कर सकते हैं, जबकि छोटे शहर केंद्रित प्रक्रमण इकाई का विकल्प चुन सकते हैं। यूएलबी इस अध्ययन के लिये किसी ऐसे अनुबद्ध संस्थान को नियुक्त कर सकती हैं, जो एमओयूडी द्वारा चयनित हो। अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक ओ में इसकी सूची उपलब्ध है।यूएलबी इस अध्ययन को एसबीएम के तकनॉलॉजी सलाहकार समूह 2005 को यथोचित तकनॉलॉजी के चयन के लिये भेज सकती हैं। रिपोर्ट अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक पी में संदि्र्भत है। अपशिष्ट से ऊर्जा तकनॉलॉजी के लिये, यूएलबी अपशिष्ट से ऊर्जा, 2014 पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट को संदर्भित कर सकती हैं। यह अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक क्यू में प्रस्तुत है।
- प्रक्रमण/प्रशोधन प्लांट स्थापित करने के लिये एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया में यूएलबी इन्हें संदर्भित कर सकती हैं–
  ए. अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक आर में दी गयी अपशिष्ट से ऊर्जा और निपटान सुविधाका आदर्श आरएफपी।

बी. आंध्र प्रदेश में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा प्रक्रमण सुविधा में परिवर्तित करने के लिये विकास साझीदार का चयन अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एस में दिया गया है।

- अपशिष्ट से ऊर्जा तकनॉलॉजी प्रदाता की सुझाव सूची अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक टी में दी गयी है।
- यूएलबी और निजी एजेंसियों के बीच अनुबंध कराने वाले अनुबद्ध ट्रांजैक्शन सलाहकारों की सूची अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक यू में प्रस्तुत है।

वित्त

- एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये यूएलबी अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदानध वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार से प्रप्त कर सकती हैं। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहरध्कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है।(संदभर्रु डी.ओ. नं. क्यू–15014ध्2ध्2009–सीपीएचईईओ)
- यूएलबी एडब्ल्यूएम से संबंधित 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त एकीकृत अनुदान का भी उपयोग कर सकती हैं।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

विकेंद्रित अपशिषट प्रबंधन, शून्य अपशिष्ट वार्ड, पुणे

जनवाणी के साथ पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, एसडब्ल्यूएसीएच सहकारी और अन्य संगठनों की पहल पर शहर में शून्य अपशिष्ट वार्ड की सुरात की। शून्य कचरा वार्ड वह वार्ड है जहां निवासियों द्वारा उत्पन्न सारा कचरा स्थानीय स्तर पर ही प्रक्रमित/निष्पादित किया जा सकता है। इससे भरण स्थलों पर दबाव कम हो जाता है और परिवहन का कर्च कम हो जाता है। कटराज वार्ड में लगभग 1200 प्रतिष्ठान हैं, जहां निम्न और उच्च आय वाली ढेरों आवासीय और व्यावसायिक इकाइयां हैं। उच्च आय वाले अपार्टमेंट परिसर हैं, पृथक बंगले हैं, आवास सोसायटीज हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रियां, दुकान, झोंपड़ पट्टियां और ग्रीण क्षेत्र हैं, उसे पहले लक्ष्य के रूप में चुना गया।सूखे और नम अपशिष्ट के प्रथक्करण के लिये जोरदार जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें पोस्टर, प्रदर्शनी और कठपुतली प्रदर्शन शामि है। कमिंस इंडिया, जो एक औद्योगिक इकाई है, उसने वार्ड में 11000 घरों और व्यावसायिक केंद्रों के लिये कूड़ेदान खरीदे। आज, करीब 7500 प्रतिष्ठान कचरा चुनने वालों को करीब 9 टन कचरा प्रतिदिन देते हैं। करीब 3 टन नम अपशिष्ट कचरा बीनने वालों द्वारा प्रथक किया जाता है, जो बायो गैस प्लांट में भेजा जाता है। खुले स्थानों पर आनुपातिक रूप में कचरा भराव और जलाने का अभ्यास घटा है, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा भराव कम हुआ है। इन प्रयासों से सूखे अपशिष्ट का संग्रह भी बढ़ा है, जिससे अधिक कचरा पुनर्चक्रण के लिये बेचा जाने लगा है। बहरहाल, काफी मात्रा में अपशिष्ट जो सूखे न बेचे जा सकने वाले अपशुष्ट और कम मूल्य के अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्ट अब भी भरण स्थल पर भेजे जाते हैं।

1.2.4 प्रक्रमण संयत्र की क्षमता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड का उद्देश्य प्रक्रमण संयंत्र (processing plant) के संछालन तंत्र की क्षमता जानना और प्रकर्मण सुविधा के कार्य घंटों को दर्ज करना है। यह मापदंड संचालन क्षमता का अनुमान देता है।

(प्रतिमाह प्रत्येक प्रक्रमण संयंत्र के संचान घंटे / माह में दिनों की संख्या)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

प्रतिदिन संयंत्र संचालन के घंटों की संख्या	
प्रतिदिन 8 घंटे या अधिक संचालन	54
प्रतिदिन 4–7 घंटे	41
प्रतिदिन 4 घंटे से कम	32

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दिये जाने वाले सहायक प्रपत्र

साक्ष्य के रूप में यूएलबी के निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- संयंत्र के संचालन के घंटों की स्पष्ट निगरानी के लिये प्रक्रमण संयंत्र के डीपीआर की प्रतिलिपि
- संयंत्र में जमा अपशिष्ट प्रशोधन प्रक्रमण प्रतिमाह घंटों की संख्या के साथ संचालन की प्रतिलिपि

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

जिन यूएलबी के पास इस तरह का प्रशोधन तंत्र नहीं है,

- यूएलबी को सबसे पहले अपशिष्ट की मात्रा, अपशिष्ट के प्रकार और शहर के आकार के अनुसार यथोचित तकनॉलॉजी का चयन करना चाहिये। यूएलबी इसके लिये एसबीएम के तकनॉलॉजी सलाहकार समूह 2005 को यथोचित तकनॉलॉजी के चयन के लिये भेज सकती हैं। रिपोर्ट अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक पी में संदिर्भत है। अपशिष्ट से ऊर्जा तकनॉलॉजी के लिये, यूएलबी अपशिष्ट से ऊर्जा, 2014 पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट को संदर्भित कर सकती हैं। यह अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक क्यू में प्रस्तुत है।
- यदि यूएलबी के अपनी क्षमता नहीं है, तो वह प्रक्रमण संयंत्र के लिये पीपीपी अनुबंध कर सकती है। यूएलबी और निजी एजेंसियों के बीच अनुबंध कराने वाले अनुबद्ध ट्रांजैक्शन सलाहकारों की सूची अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक आर में प्रस्तुत है।

जिन यूएलबी के पास प्रक्रमण संयंत्र हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, वे

- संचालक की क्षमता की समीक्षा करके आवश्यक कार्यवाही करें ताकि संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सके।

वित्त

- एसडब्ल्यूएम परियोजना के लिये यूएलबी अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदान/वीजीएफ प्रति परियोजना की दर से केंद्र सरकार से प्रप्त कर सकती हैं। एसबीएम के तहत म्यूनिसिपल एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिये वर्तमान जनसंख्या में प्रति शहर/कस्बा रु.240 प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध है। (संदर्भ डी.ओ.नं. क्यू–15014/2/2009–सीपीएचईईओ)

सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय

1.3.सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय (कुल अंक 135)

इस वर्ग में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण और देखरेख से संबंधित मापदंड होते हैं। मापदंडों के कुल अंक 11 होते हैं और यूएलबी अधिकतम 135 प्राप्तांक अर्जित कर सकती हैं।

1.3.1 सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय के प्रावधान के आकलन की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन होता है कि क्या यूएलबी ने शहर में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता के आकलन के लिये कोई आधार रेखा का सर्वेक्षण किया है।

स्वच्छ भारत दिशानिर्देशों के अनुसार,

- 1 किलोमीटर के भीतर सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिये।
- ऐसे सभी झोंपड़पट्टी क्षेत्र या झोंपड़पट्टी जैसे क्षेत्रों के निवासी जो शौचालय निर्माण नहीं करा सकते, उनके लिये 500 मीटर के भीतर एक सामुदायिक शौचालय होना चाहिये। (पत्र संदर्भ संख्यारू डी.ओ. नं. जेड–11021/04/2016–प्प)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या पीटी (सार्वजनिक शौचालय) एवं सीटी (सामुदायिक शौचालय) प्रावधान के लिये अध्ययन किया गया?	
हां	9
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सहायक प्रपत्र

शहरी स्थानीय निकाय को अध्ययन संचालित करने के साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- रिपोर्ट/आकलन की प्रतिलिपि, जो अध्ययन अथवा सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये गये हों।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

अधिप्राप्ति

- यूएलबी इस तरह का आकलन अपने आरोग्य कर्मियों द्वारा संचालित कर सकती है अथवा अध्ययन के लिये किसी को नियुक्त या आउटसोर्स कर सकती है। यूएलबी को कार्य अनुबंध के समय एमओयूडी द्वारा अनुबद्ध एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिये। (देखिये अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक डी)

वित्त

- यूएलबी को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिये देश में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सूची से स्वच्छ भारत भागीदार गठबंधन की सूची में किसी एजेंसी से संपर्क करना चाहिये। पूरी सूची देखने के लिये अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक वी देखें।

- योजना, निर्माण एवं ओऐंडएम सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालय के अधिक विस्तार को जानने के लिये देखिये, ई पाठ्यक्रम शिक्षण, स्वच्छ भारत पोर्टल : http://goo.gl/mT7seI और http://goo.gl/asQ9Vk

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

सैनिटेशन मैपिंग विशाखापटनम

ग्रेटर विशाखापटनम ने डब्ल्यूएसयूपी ऐडवाइजरी ऐंड अर्बन मैनेजमेंट सेंटर की सहायता से एक आरोग्यता ;दपजंजपवदद्ध मापने का अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास में निम्न प्रमुख अवयव शामिल किये गये, जो ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण वाले स्थानों को चिह्नित करने में सहायक होंगे।

- जीवीएमसी एवं अन्य प्रशासनों द्वारा संबंधित वर्तमान द्वितीयक भौगोलिक आंकड़ों (सेकंडरी ज्योग्राफिक डाटा) का संग्रह एवं संपादन, इनकी विश्वसनीयता और परिपूर्णता का आकलन (उदाहरण– स्रोत, संग्रह की कार्यपद्धति)
- एक भौगोलिक सूचना तंत्र (ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम–जीआईएस) डाटाबेस की रूपरेखा एवं नॉलेज मैनेजमेंट डाटाबेस की रूपरेखा बनाना जिसे जीवीएमसी पूरा करके एसवीएम लागू कर सके।
- सभी झोंपड़पट्टी क्षेत्रों / गरीब पट्टियों से प्राथमिक आंकड़े जुटाना और उन्हें संपादित करना, जहां लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इसमें खुले में शौच करने वाले स्थानों का संपूर्ण क्षेत्रवार मापन और इसे डाटाबेस में जोड़ना शामिल है।
- ग्रेटर विशाखापटनम में सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह एवं संपादन। इसमें उनके स्थान आकार, कार्यक्षमता, शुचिता एवं प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन और इसे जीआईएस डाटाबेस में शामिल करना।
- शहर के स्कूल, कॉलेज, बाजार तथा अन्य संस्थानों एवं उनके स्थान कार्यक्षमता, शुचिता और प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों का संग्रह और संपादन (प्राथमिक एवं द्वितीयक का मिश्रण) तथा इन्हें जीवीएस डाटाबेस में शामिल करना।

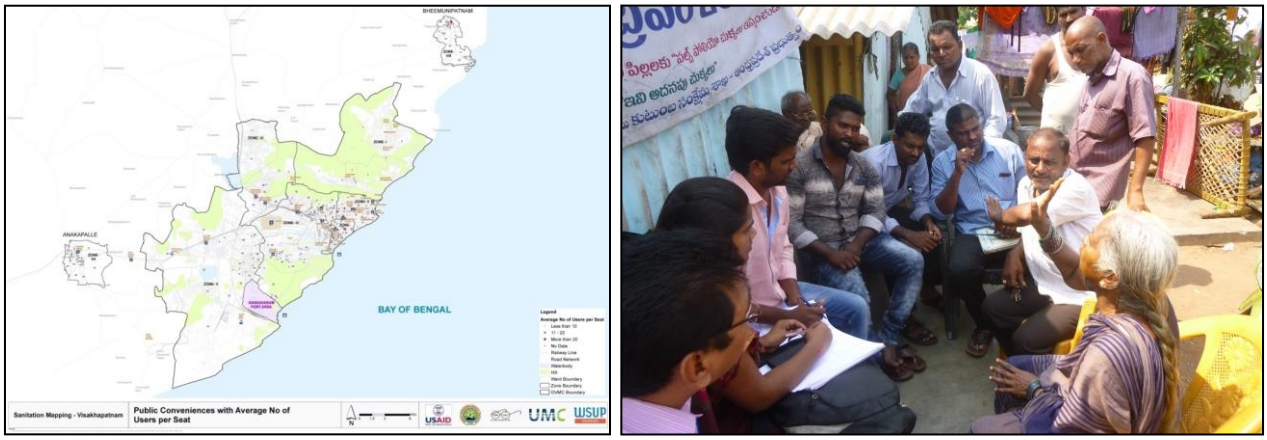

चित्र14: सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की वर्तमान स्थित जानने के लिये जीवीएमसी द्वारा कराया गया मापन (उंचचपदह) य स्रोतः अर्बन मैनेजमेंट सेंटर (यूएमसी), वाटर ऐंड सैनिटेशन फॉर अर्बन पूअर (डब्ल्यूएसयूपी)।

1.3.2. सार्वजनिक शौचालयों के निमाण की क्षमता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन होता है कि शहर में कितने सार्वजनिक शौचालयों का लक्ष्य है और वास्तव में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ। इससे शौचालयों के निर्माण की क्षमता का अनुमान होता है। जितना बड़ा खाली स्थान होगा, यूएलबी को उतने कम अंक मिलेंगे।

(पीटी निर्माण की वास्तविक संख्या(जिन्हें पूरा होने का प्रमाणपत्र मिल गया हो)/शहर द्वारा पीटी निर्माण का लक्ष्य)*100

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

शहर के लक्ष्य और निर्मित शौचालयों की वास्तविक संख्या के बीच का अंतर	
कोई अंतर नहीं	23
1–25	16
26–50	11
51–75	5
75 से कम	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- एसबीएम पोर्टल से लिया गया सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की प्रतिलिपि।
- कुल निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की संख्या का साक्ष्य उनके पूरे होने के प्रमाणपत्र के साथ।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके शहर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का जो लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है। यूएलबी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उनका प्रदर्शन स्तर एसबीएम के पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाय।
- पोर्टल अपडेट करने की एक मार्गदर्शिका एसबीएम के ई पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है, पाठ्यक्रम 801रू एसबीएम पोर्टल पर अद्यतन गतिविधियों के लिये वीडियो के निर्देशरू http://goo-gl/cVwuZe

अधिप्राप्ति

- यूएलबी सार्वजनिक स्थानों पर चलित शौचालय स्थापित कर सकती हैं। अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के केरम में यूएलबी डीजीएसऐंडडी द्वारा जारी संबंधित राज्य के अनुबंध मूल्य का संदर्भ ले सकती हैं। अनुबंध मूल्य का एक नमूना अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक डब्ल्यू में देखा जा सकता है।

•वित्त

- एसबीएम के तहत सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार किसी तरह की प्रोत्साहन राशि नहीं देती। फिर भी, यूएलबी अपने संबंधित राज्य से, यदि कोई प्रावधान है, तो धन प्राप्त कर सकती हैं।
- सार्वजनिक शौचालयों के लिये भूमि चिह्नित करने का काम राज्य अथवा यूएलबी द्वारा किया जाना चाहिये।
- पीटी का निर्माण या तो यूएलबी द्वारा किया जाना चाहिये या फिर पीपीपी समझौते के अनुसार। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये नमूने का पीपीपी आरएफपी ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (जीवीएमसी) ने प्राप्त किया है, जिसे अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एक्स में देखा जा सकता है।
- न्यू डेलही म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिये नमूने का आरएफपी भी उपलब्ध है जिसमें अभिकल्पना, निर्माण कार, संचालन एवं स्थानांतरण तंत्र दिया गया है। इसे अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक वाई से प्राप्त किया जा सकता है।
- विज्ञापन अधिकार द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये अतिरिक्त धनराशि की सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

योजना, निर्माण, और सार्वजनिक शौचालयों के ओऐंडएम पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिये देखें ई पाठ्यक्रम शिक्षण : http://goo-gl/asQ9Vk

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अभ्यास

तमिलनाडु के नम्मा शौचालय

तमिलनाडु कमिश्नरेट ऑफ म्यूनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन ने, अरबन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से राज्य में खुले में शौच को समाप्त करने के लिये, नम्मा शौचालयों की पहल की है। ऐसी पहली स्थापना 2013 में टम्बारम में हुई, जो चेन्नै शहर के बाहरी क्षेत्र में एक भीड़ वाले बस टर्मिनस में है। यहां स्थापित शौचालय को लगभग 1200 लोग प्रतिदिन प्रयोग करते हैं और लगभग ढाई साल बाद भी यह नया जैसा लगता है। टम्बारम में सफलता के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि त्रिची के स्रीरंगम में एक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पर भी इसे स्थापित किया जाय। उपरोक्ट शौचालय का निर्माण मई 2013 में हुआ था जो बहुत बड़ी सफलता बन गया। इसकी सफलता के बाद लोकप्रिय पर्यटन स्थल ऊटी को चुना गया और सितंबर 2013 में तीन स्थानों पर इसकी स्थापना कर दी गई। यह भी पूरी तरह सफल रहे और इसके बाद नवंबर 2013 में निर्णय लिया गया कि पूरे तमिलनाडु राज्य में नम्मा शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

चित्र15 : दिव्यांगों (physically challnged) के लिये नम्मा शौचालयय स्रोतः अर्बन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नई

1.3.3.सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की क्षमता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन होता है कि शहर में कितने सामुदायिक शौचालयों का लक्ष्य है और वास्तव में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ। इससे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की क्षमका का अनुमान होता है। जितना बड़ा अंतर होगा, यूएलबी को उतने कम अंक मिलेंगे।

समुदायिक शौचालय वहां के निवासियों के लिये शौच की समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध कराए गयी एक साझा सुविधा है। सामुदायिक शौचालय कम आय वाले अनौपचारिक बस्तियों जहां भूमि की कमी हैं, में मुख्य रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लश विकल्प आमतौर पर ओ.एस.एस. सिस्टम के इस प्रकार में प्रयोग किया जाता है। यह भी धोने, नहाने, और समुदाय के उपयोग के लिए एक तरह की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी जाती है। (स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देश)।

(सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की वास्तविक संख्या (जिन्हें पूरा होने का प्रमाणपत्र मिल गया हो)/शहर द्वारा सीटी निर्माण का लक्ष्य)*100

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

शहर में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य और निर्मित शौचालयों की वास्तविक संख्या के बीच का अंतर	
कोई अंतर नहीं	11
1–25	8
26–50	5
51–75	3
75 से कम	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- एसबीएम पोर्टल से लिया गया सामुदायिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की प्रतिलिपि।
- कुल निर्मित सामुदायिक शौचालयों की संख्या का साक्ष्य उनके पूरा होने के प्रमाणपत्र के साथ।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके शहर में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का जो लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है। यूएलबी को पीटी एवं सीटी के लिये स्वच्छ आंध्र कॉरपोरेशन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का संदर्भ प्राप्त कर लेना चाहिये। यह दिशा निर्देश अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक जेड से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- यूएलबी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि इन शौचालयों का प्रदर्शन स्तर नियमित रूप से एसबीएम

पोर्टल पर अद्यतन होता रहे। पोर्टल अपडेट करने की एक मार्गदर्शिका एसबीएम के ई पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है, पाठ्यक्रम 801: एसबीएम पोर्टल पर अद्यतन गतिविधियों के लिये वीडियो के निर्देश, http://goo-gl/cVwuZe

वित्त

- एसबीएम के तहत यूएलबी धनराशि प्राप्त कर सकती हैं।
- सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 40: अनुदान / वीजीएफ प्रत्येक सामुदायिक शौचालय खंड के ले देती है।
- राज्य सरकार 25: और केंद्र सरकार 75: धनराशि सामुदायिक सौचालयों के निर्माण में सहयोग के रूप में देती हैं।
- योजना, निर्माण, और सामुदायिक शौचालयों के ओऐंडएम पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिये देखें ई पाठ्यक्रम शिक्षण: http://goo-gl/mT7sel

1.3.4.एसबीएम पोर्टल पर सार्वजनिक शौचालयों के आंकड़ा अद्यतन (data updation)

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन होता है कि क्या यूएलबी एसबीएम पोर्टलपर डाटा अपडेट कर रही हैं।

नियमित अपडेट का अर्थ है यूएलबी द्वारा हर 15 दिनों के भीतर निर्माण कराये गये शौचालय

सार्वजनिक शौचालय चलती फिरती जनसंख्या के लिये/सामान्य नागरिकों के लिये ऐसे स्थानों पर उपलब्ध कराये जाते हैं, जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र, जहां से बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। (स्वच्छ भारत मिशन गाइडलाइन्स)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या एसबीएम पोर्टल पीटी निर्माण की संख्या के साथ अपडेट किया गया	
हां	11
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत कये जाने वाले प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की सूची
- एसबीएम पर अपलोड की गयी निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की सूची

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनका प्रदर्शन स्तर नियमित रूप से एसबीएम पोर्टल पर अपडेट हो रहा है।
- पोर्टल अपडेट करने के लिये एक मार्गदर्शिका एसबीएम के ई–पाठ्यक्रम वेबसाइटरू पाठ्यक्रम 801: पर एसबीएम पोर्टल पर अद्यतन गतिविधियों के लिये निर्देश वीडियो है, http://goo-gl/cVwuZe
- यूएलबी यह संभावना भी देख सकती हैं कि क्या एसबीएम पोर्टल अपडेट करने के लिये किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता है।

1.3.5एसबीएम पोर्टल पर सामुदायिक शौचालयों के आंकड़ा अद्यतन (data updation)

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आकलन करता है कि क्या यूएलबी एसबीएम पोर्टल पर डाटा अपडेट कर रही हैं।

सामुदायिक शौचालय खंड निवासियों के किसी समूह अथवा संपूर्ण बसावट के लिये सुविधा की भागीदारी है। सामुदायिक शौचालय खंड प्राथमिक रूप से निम्न आय वर्ग के लिये है जो अनौपचारिक बसावट में रहते हैं। जहां भूमि अथवा स्थान बाधित रहता है। इस प्रकार की ओएसएस प्रणाली में सामान्य रूप से फ्लश का विकल्प प्रयोग होता है। यह सलाह भी दी जाती है कि यहां इन खंडों में समुदाय के लिये नहाने, धोने और इनसिनरेटर की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। (स्वच्छ भारत मिशन दिशा निर्देश)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या एसबीएम पोर्टल सीटी निर्माण की संख्या के साथ अपडेट किया गया	
हां	11
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत कये जाने वाले प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- निर्मित सामुदायिक शौचालयों की सूची
- एसबीएम पर अपलोड की गयी निर्मित सामुदायिक शौचालयों की सूची

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनका प्रदर्शन स्तर नियमित रूप से एसबीएम पोर्टल पर अपडेट हो रहा है।
- पोर्टल अपडेट करने के लिये एक मार्गदर्शिका एसबीएम के ई–पाठ्यक्रम वेबसाइटरू पाठ्यक्रम 801रू पर एसबीएम पोर्टल पर अद्यतन गतिविधियों के लिये निर्देश वीडियो है, http://goo-gl/cVwuZe
- यूएलबी यह संभावना भी देख सकती हैं कि क्या एसबीएम पोर्टल अपडेट करने के लिये किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता है।

1.3.6. सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के प्रारूप

उद्देश्य और परिभाषा

यह प्राचल यूएलबी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव की प्रक्रिया के आकलन करने के लिए है। उन यूएलबी को अधिकतम अंक दिये जाते हैं,जो यूएलबी कर्मचारियों द्वारा रखरखाव के बाद तीसरे पक्ष/निजी ठेकदार को काम के ठेके देकर पीटी का रखरखाव करता है।

सार्वजनिक शौचालय बाजार,रेलवे स्टेशन या उन अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे स्थानों में अस्थायी आबादी/ सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना–जाना लगा रहता है।

(स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देश)

इस मानदंड के लिए अंकों की श्रेणी

किस तरह सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव होता है ?	
तीसरे पक्ष/निजी ठेकेदार द्वारा रखरखाव	23
नगर निगम कर्मचारियों द्वारा रखरखाव	11
कोई रखरखाव नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय से सहायक दस्तावेज

ाहरी स्थानीय निकाय को साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए,

- तीसरे पक्ष के रखरखाव का ठेका
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव हेतु लगाये गए सफाई कर्मचारियों के लिए गतिविधि का हिसाब किताब

अंक को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये जाने वाले सभी नये सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव को एक ढांचे के साथ बनाया जाना चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी सार्वजनिक शौचालय के पास अपने रखरखाव के ढांचे हों।मौजूदा सार्वजनिक शौचालयों के लिए ऐसा या तो निजी एजेंसी को इस सेवा के लिए ठेका दिया जा सकता है या फिर इनके रखरखाव के लिए समर्पित शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को सौंपा जा सकता है।
- प्रस्ताव के लिए अनुरोध वाला प्रारूप तथा सार्वजनिक शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव के लिए संविदा समझौते तथा पश्चिम बंगाल में संबन्धित सुविधाओं को अनुलग्नक पुस्तिका के अनुलग्नक ।। में प्रस्तुत किया गया है।
- शहरी स्थानीय निकाय,स्थानीय प्रबंधन केन्द्र द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए किसी मानक संचालन प्रावधान को लेकर इंगित कर सकते हैं। यह अनुलग्नक पुस्तिका के अनुलग्नक ।ठ में प्रस्तुत किया गया है।

अधिप्राप्ति

- शहरी स्थानीय निकाय को अपने रखरखाव के लिए निजी–सार्वजनिक भागीदारी को अपनाकर सार्वजनिक शौचालयों का संरक्षण करना चाहिए। निजी एजेंसियों के साथ अनुबंध में इस बात का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए कि समुदाय से कितना शुल्क वसूला जाना है।रखरखाव को लेकर सभी अनुबंध कम से कम पांच साल के लिए होने चाहिए।
- सार्वजनकि–निजी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए ग्रेटर विशाखापट्टनम नगरनिगम(जीवीएमसी) द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के लिए अनुरोध का एक प्रारूप,जिसमें अनुलग्नक पुस्तिका के अनुलग्नक ग में संचालन एवं रखरखाव शामिल है।
- डिजाइन,निर्माण,संचालन तथा स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए नई दिल्ली नगगरनिगम परिषद दावारा प्रदत्त प्रस्ताव के लिए अनुरोध के एक प्रारूप अनुलग्नक पुस्तिका के अनुलग्नक में दिया जाता है।

अन्य स्थानीय निकायों के अग्रणी अमल

1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन,वाटर एड के सहयोग से तिरुचिरापल्ली नगर निगम ने 25 शौचालयों की मरम्मत की। इसका इस्तेमाल महिलाओं ने प्रति इस्तेमाल 50 पैसे की दर से तत्काल ही शुरू कर दिया। हाल ही में किये गए एक अध्ययन के मुताबिक इससे प्रति परिवारों पर खर्च होने वाली चिकित्सकीय राशि में 88प्रतिशत की कमी आयी। इन दुरुस्त किये गए शौचालयों का रखरखाव इस स्वैच्छिक संगठन संरक्षण के तहत निर्मित स्वयं सहायता समूह द्वारा होता है।

स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रबंधित ये शौचालय इतने साफ–सुथरे थे कि त्रिची नगरनिगम ने फैसला किया कि सभी शौचालयों के रखरखाव का जिम्मा उसी सहायता समूह को सौंप दिया जाए। इस स्वैच्छिक संगठन ने हर एक शौचालय के उपयोगकर्ता समूह से स्वयं सहायता समूह बनाया तथा उन शौचालयों को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से संचालित किया। बताया जाता है कि आज उन चंद सबसे सफल स्वयं सहायता समूहों के पास लगभग एक लाख रुपये की जमा पूंजी राशि है। कुछ के पास एक से दो लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक केन्द्र भवन हैं,ताकि उनका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जा सके तथा उनमें से ज्यादातर अपने सदस्यों को आवश्यकता के समय अग्रिम ऋण उपलब्ध कराते हैं। त्रिची में लगभग 20,000 झुग्गी वासी प्रत्येक दिन इस सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तथा इस सुविधा के लिए उनमें से हर एक शुल्क अदा करते हैं। इनमें से ज्यादातर शौचालय 16 घंटे तक खुले रहते हैं तथा उनमें से कुछ तो 24 घंटों इस्तेमाल के लिए खुले रहते हैं।

चित्र 16: त्रिची में स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रबंधित सामुदायिक शौचालय

स्रोत: http://arghyam-org/focus&areas/improving&water&and&sanitation&in&urban&slums&in&trichy/

1.3.7. सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव का प्रारूप

उद्देश्य और परिभाषा

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इस मानक स्तर का इस्तेमाल सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के उपायों के आकलन में किया जाता है। समुदाय द्वारा सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए अधिकतम अंक दिये जाते हैं।जबतक किसी समुदाय द्वारा इसका प्रबंधन नहीं किया जाता है, तबतक एक मूल बुनियादी ढांचे का कायम रहना बहुत चुनौती भरा होता है। अगर समुदाय इन सुविधाओं का इस्तेमाल करता है,तो इसके रखरखाव को लेकर सामुदायिक सदस्यों की रूचि किसी भी अन्य हितधारकों की अपेक्षा ज्यादा होती है।

एक सामुदायिक शौचालय खंड वहां के निवासियों के एक समूह या संपूर्ण आबादी के लिए एक साझेदारी वाली उपलब्ध सुविधा होता हैं। सामुदायिक शौचालय खंड प्रारंभिक रूप से उन निम्न आय वाली औपचारिक आबादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है,जहां स्थान एवंध्अथवा भूमि बेहद सीमित होते हैं। ओएसएस प्रणाली की इस तरह के शौचालयों में आम तौर पर प्रवाहित करने वाला विकल्प होता है। धोने,नहाने तथा समुदाय के इस्तेमाल के लिए इस खंड में एक छोटी भट्टी जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने का भी सुझाव दिया जाता है (स्वच्छ भारत मिशन दिशा–निर्देश)।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव किस तरह किया जाता है ?	
समुदाय द्वारा रखरखाव	23
तीसरे पक्षधनिजी ठेकेदार द्वारा रखरखाव	14
नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा रखरखाव	7
कोई रखरखाव नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए ,

- सभी सामुदायिक शौचालयों के लिए स्थानों में रखरखाव हेतु समुदाय के साथ समझौताध्समझौता ज्ञापन
- सामुदायिक शौचालय में संलग्न कर्मचारियों के लिए तीसरे पक्ष के रखरखाव संविदाध्गतिविधियों का हिसाब किताब रखना।

अंक को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर में सभी मौजूदा सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव या तो इस्तेमाल कर रहे समुदायों द्वारा या एक सेवा संविदा द्वारा या फिर अपने कर्मचारियों द्वारा कराया जाए
- शहरी स्थानीय निकायों को सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए मौजूदा सीबीओध्स्वयं सहायता समूहों के साथ संलग्न होना चाहिए।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित किये जाने वाले सभी नये सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा यहां तक कि रखरखाव में भी समुदाय की संलग्नता एवं भागीदारी होनी चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकायों को सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए समुदायध्सीबीओ के साथ समझौता करना चाहिए।इसके बदले सीबीओ देखरेख करने वाले तथा सफाई करने वाले अधिकारियों कोन नियुक्त करेगा तथा वही इस्तेमाल करने वालों से शुल्क वसूलेगा,रखरखाव का हिसाब किताब रखेगा तथा उसी के संरक्षण में सफाई वाली वस्तु तथा उपकरण होंगे।
- रखरखाव के लिए सभी संविदाएं कम से कम पांच सालों के लिए होंगी।
- उन जगहों पर जहां समुदाय के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है,वहां के कार्यों को संपन्न करने के लिए निजी ठेकेदारों की मदद ली जा सकती है।निजी एजेंसियों के साथ होने वाली संविदा में स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किये जाने की शुल्क का जिक्र होगा तथा समुदाय से वसूले जाने का उल्लेख होगा।
- शहरी स्थानीय निकाय आंध्रप्रदेश सरकार के स्वच्छ आंध्र निगम द्वारा जारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालयों की दिशानिर्देश का उल्लेख कर सकता है। इस दिशानिर्देश को अनुलग्नक पुस्तिका के अनुलग्नक में देखा जा सकता है।
- सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए समुदाय के सदस्यों को साथ जोड़ने वाली सभी तरह की पहल के लिए पुणे के शौचालय पर ई–कोर्स ट्यूटोरियल को देखें Ahttp://swachhbharat-cloudapp-net/home/course/3?lessonid=00009

वित्त

- शहरी स्थानीय निकाय इन सामुदायिक शौचालयों के संचालन तथा रखरखाव के आंशिक वित्तपोषण के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत संयुक्त अनुदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय इस्तेमाल करने वाले परिवारों से मासिक आधार पर इस्तेमाल के एवज में कुछ शुल्क लेने को लेकर सीबीओ को अनुमति देनी चाहिए ताकि इससे शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव पर खर्च होने वाली राशि की आपूर्ति की जा सके।

1.3.8. सुरक्षित अपशिष्ट जल तथा निस्तार प्रणाली से जुड़े सार्वजनिक शौचालयों का विस्तार

उद्देश्य और परिभाषा

इस प्राचल का उद्देश्य उन सार्वजनिक शौचालयों की प्रतिशता का आकलन करना है,जो सुरक्षित निस्तारण प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

एक सुरक्षित निस्तारण प्रणाली का अर्थ एक केन्द्रीकृत पारंपरिक निकास संजाल या यथास्थल स्वच्छता प्रणाली (जुड़वा गड्ढा/सोक पिट से जुड़ा सुरक्षित टैंक या लघु खुदाई प्रणाली या जैव पाचक या एक वैध स्वच्छता प्रणाली) से जुड़े सार्वजनिक शौचालय से है।

मौजूदा प्रौद्योगिकी के विकल्पों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कि वो साफ–सफाई वाले हैं या नहीं, इसके लिए शहरी प्रबंधन केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा तैयार फ्लैश कार्ड को देखें (अनुलग्न पुस्तिका के अनुलग्नक ।ब को देखें)

(शहर में निकास प्रणाली या यथास्थल निस्तारण प्रणाली से जुड़े शौचालयों की संख्या /कुल शौचालयों की संख्या)*100

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

निकास संजालों/सुरक्षित यथास्थल निस्तारण प्रणाली से जुड़े शौचालयों का प्रतिशत	
100%	6
75–99:%	5
50–74%	3
25–49%	2
<25%	0

शहरी स्थानीय निकाय से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए,

- सार्वजनिक शौचालयों की कुल संख्या की सूची,
- क्षेत्र के सफाई निरीक्षक द्वारा पुष्ट किये गए निकास/सुरक्षित यथास्थल निस्तारण से जुड़े शौचालयों की सूची,या
- अगर शहरी स्थानीय निकाय ने शौचालयों के निर्माण के लिए बाहरी कुशलता की सहायता ली है,तो अनुसरित संचालक द्वारा उपचार की रूपरेखा तथा निस्तारण विकल्प की कॉपी

अपने अंकों को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- शहरी स्थानीय निकायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मौजूदा सार्वजनिक शौचालय सुरक्षित निस्तारण प्रणाली से जुड़ा हुआ है।शहरी स्थानीय निकायों को एक त्वतरित अंकेक्षण भी इस बात की छानबीन के लिए कराना चाहिए कि इस तरह की सुविधाओं से ये शौचालय जुड़े हुए हैं या नहीं, इसमें सुरक्षित निस्तारण प्रणाली है कि नहीं तथा शहर के निकास प्रणाली या एक सुरक्षित यथस्थल प्रणाली से ये शौचालय जुड़े हुए हैं या नहीं।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित सभी सार्वजनिक शौचालय को आवश्यक रूप से सुरक्षित निस्तारण प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए।

वित्त

- अगर शहरी स्थानीय निकाय अमृत मिशन के अंतर्गत चयनित 500 शहरी स्थानीय निकाय के हिस्से हैं,तो वो अपने निकास संजाल या यथास्थल निस्तारण प्रणाली के विस्तार के लिए वित्तपोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित कुल वार्षि बजट की 80 प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा परियोजना कोष के रूप में, 10 प्रतिशत सुधारों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में तथा 10 प्रतिशत प्रशासनिक एवं संचालन तथा रखरखाव पर आने वाले खर्च के रूप में दी जाती है।
- अगर शहरी स्थानीय निकाय चयनित 100 स्मार्ट सिटी के हिस्से हैं तथा इनमें से कुछ शौचालय अगर क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं,तो शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत उन्नयन के लिए कोष हासिल कर सकते हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय निकास संजाल या यथास्थल निस्तारण प्रणाली के निर्माण के लिए 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले संयुक्त बुनियादी अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं।

1.3.9. सुरक्षित अपशिष्ट जल तथा निस्तार प्रणाली से जुड़े सार्वजनिक शौचालयों का विस्तार स्तार प्रणाली से जुड़े सार्वजनिक शौचालयों का विस्तार

उद्देश्य और परिभाषा

इस प्राचल का उद्देश्य उन सार्वजनिक शौचालयों की प्रतिशता का आकलन करना है,जो सुरक्षित निस्तारण प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

एक सुरक्षित निस्तारण प्रणाली का अर्थ एक केन्द्रीकृत पारंपरिक निकास संजाल या यथास्थल स्वच्छता प्रणाली(जुड़वा गड्ढा/सोक पिट से जुड़ा सुरक्षित टैंक या लघु खुदाई प्रणाली या जैव पाचक या एक वैध स्वच्छता प्रणाली) से जुड़े सार्वजनिक शौचालय से है।

मौजूदा प्रौद्योगिकी के विकल्पों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कि वो साफ–सफाई वाले हैं या नहीं, इसके लिए शहरी प्रबंधन केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा तैयार फ्लैश कार्ड को देखें (अनुलग्न पुस्तिका के अनुलग्नक AC को देखें)

(शहर में निकास प्रणाली या यथास्थल निस्तारण प्रणाली से जुड़े शौचालयों की संख्या ध्कुल शौचालयों की संख्या)*100

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

निकास संजालों/सुरक्षित यथास्थल निस्तारण प्रणाली से जुड़े शौचालयों का प्रतिशत	
100%	6
75–99%	5
50–74%	3
25–49%	2
<25%	0

शहरी स्थानीय निकाय से मिलने वाले सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए,

- क्षेत्र के सफाई निरीक्षक द्वारा पुष्ट किये गए निकास/सुरक्षित यथास्थल निस्तारण से जुड़े शौचालयों की सूची या
- अगर शहरी स्थानीय निकाय ने शौचालयों के निर्माण के लिए बाहरी कुशलता की सहायता ली है, तो अनुसरित संचालक द्वारा उपचार की रूपरेखा तथा निस्तारण विकल्प की कॉपी

अपनी प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को क्या करना चाहिए ?

- शहरी स्थानीय निकायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मौजूदा सार्वजनिक शौचालय सुरक्षित निस्तारण प्रणाली से जुड़ा हुआ है।शहरी स्थानीय निकायों को एक त्वतरित अंकेक्षण भी इस बात की छानबीन के लिए कराना चाहिए कि इस तरह की सुविधाओं से ये शौचालय जुड़े हुए हैं या नहीं,इसमें सुरक्षित निस्तारण प्रणाली है कि नहीं तथा शहर के निकास प्रणाली या एक सुरक्षित यथास्थल प्रणाली से ये शौचालय जुड़े हुए हैं या नहीं।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित सभी सार्वजनिक शौचालय को आवश्यक रूप से सुरक्षित निस्तारण प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए।

वित्त

- अगर शहरी स्थानीय निकाय अमृत मिशन के अंतर्गत चयनित 500 शहरी स्थानीय निकाय के हिस्से हैं,तो वो अपने निकास संजाल या यथास्थल निस्तारण प्रणाली के विस्तार के लिए वित्तपोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित कुल वार्षि बजट की 80 प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा परियोजना कोष के रूप में, 10 प्रतिशत सुधारों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में तथा 10 प्रतिशत प्रशासनिक एवं संचालन तथा रखरखाव पर आने वाले खर्च के रूप में दी जाती है।
- अगर शहरी स्थानीय निकाय चयनित 100 स्मार्ट सिटी के हिस्से हैं तथा इनमें से कुछ शौचालय अगर क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं,तो शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत उन्नयन के लिए कोष हासिल कर सकते हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय निकास संजाल या यथास्थल निस्तारण प्रणाली के निर्माण के लिए 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले संयुक्त बुनियादी अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं।

1.3.10.सार्वजनिक शौचालयों की आईसीटी आधारित निगरानी

उद्देश्य और परिभाषा

यह प्राचल इस बात की जांच करता है कि शहरी स्थानीय निकाय ने शहर में सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल का अनुशरण के लिए किसी प्रणाली/उपकरण को स्थापित किया है कि नहीं। इस तरह के तौर तरीके या तो आईसीटी उपकरणों के इस्तेमाल के जरिये हो सकता है या गैर मशीनी हो सकती है। लेकिन आईसीटी आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लगाने वाले को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की परिभाषा सभी तरह के उपायों, उपकरणों, विषय सामग्रियों, संसाधनों, मंचों, डिजिटल तथा डिजिटल रूप के जरिये बदले जा सकने वाले सभी तरीकों के रूप में की जाती है। (स्रोत : स्कूली शिक्षा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, 2012 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर राष्ट्रीय नीति)

आईसीटी पर आधारित उपकरण नागरिकों को आस–पास के शौचालयों की खोज करने में मदद करने के काबिल बनाये तथा उन्हें किसी मोबाइल ऐप के जरिये विभिन्न प्राचलों पर आकलन करे। गैर मशीनी ट्रैकिंग के लिए सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल करने वालों के रिकॉर्ड रखने वाली एक पुस्तिका तो कम से कम होनी ही चाहिए तथा उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए फीडबैक फॉर्म को रखने के लिए एक ड्रॉप बॉक्स भी होना चाहिए।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल का कैसे पचा लगता है ?	
आईसीटी/प्रौद्योगिकी उपकरण द्वारा पता	6
गैर प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा पता	4
किसी तरह का अता–पता नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय से हासिल होते सहायक दस्तावेज

शहरी स्थानीय निकाय को साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए रू

- डाउनलोड किये जाने वाले लिंक के साथ मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट
- सार्वजनिक शौचालय के उपयोग करने वालों के हिसाब–किताब की कॉपी तथा पिछले तीन महीनों में शहर भर के शौचालयों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या
- उपयोगकर्ता (नमूने के रूप में) द्वारा जमा किये गए फीडबैक फॉर्म की कॉपी

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- सभी मौजूदा तथा नवीनतम निर्मित सार्वजनिक शौचालयों के लिए शहरी स्थानीय निकाय को आईसीटी आधारित या पता लगाने वाली गैर प्रौद्योगिकी प्रणाली के साथ जोड़ना चाहिए।
- कम से कम शहरी स्थानीय निकाय को एक नियम पारित करना चाहिए,जिसमें यह उल्लेख हो कि सार्वजनिक शौचालयों के सभी संचालक उपयोगकर्ता तथा उनकी शिकायतों का रिकॉर्ड रखे।

- सभी शौचालयों की श्रेणी की समीक्षा नियमित रूप से होना चाहिए तथा श्रेणी के उन्नयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।
- अपने आस–पड़ोस में शौचालयों का पता लगाने तथा उसकी श्रेणी को चिह्नित करने हेतु नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप का विकास किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए नागरिकों तथा नगर निगम के अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर विभिन्न मोबाइल तथा वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय तथा नागरिता एवं लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केन्द्र के बीच समझौता ज्ञापन का उल्लेख कर सकता है। जनाग्रह शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनायेगा तथा इसके लिए उन्हें कोई शुल्क बी नहीं देना होगा। इस समझौता ज्ञापन को अनुलग्नक पुस्तिका के अनुल्गनक ।क में देखा जा सकता है।
- जो शहरी स्थानीय निकाय आईसीटी उपकरण बनाने में स्वयं को सहज नहीं पाते हैं,उन्हें प्रत्येक शौचालय पर फीडबैक फॉर्म(ओएमआर–ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन टाइप) भी अलग से दिया जायेगा। इस फॉर्म को साप्ताहिक रूप से इकट्ठा किया जायेगा तथा डिजिटल रूप से कायम रखने के लिए उसका स्कैन किया जायेगा।
- इस तरह के उपयोगकर्ता फीडबैक के लिए निजी ठेकेदार (प्रदर्शन आधारित भुगतान) के साथ कुछ भुगतान करके अनुबंध किया जा सकता है ।

वित्त

- जो शहरी स्थानीय निकाय 100 स्मार्ट सिटी के हिस्से हैं, वो मौजूदा शौचालय आधारभूत संरचना के स्मार्ट समाधान के उपयोग करने के लिए समस्त नगर विकास घटक के अंतर्गत राशि प्राप्त कर सकते हैं। तदनुसार,स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर द्वारा प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत का उपयोग तैनाती तथा स्मार्ट हल के सृजन के लिए किया जा सकता है।
- वो शहरी स्थानीय निकाय जो 100 स्मार्ट सिटी के हिस्से नहीं हैं, वो 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त बुनियादी संयुक्त कोश का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों से अग्रणी तौर–तरीकों की प्रेरणा

सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालयों का पता लगाने वाले ऐप दृ दिल्ली का मामला

'फाइंड ग ट्वालेट' नामक ऐप की शुरुआत स्वच्छ भारत कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में की गई है।इस एंड्रॉयड ऐप का विकास एक युवा सलाहकार द्वारा किया गया है तथा इसका इस्तेमाल शौचालय के निकटतम स्थान तथा उसकी सुविधाओं की श्रेणी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस ऐप में शौचालय की श्रेणियों,निशुल्क या सशुल्क,मॉल्सध्शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा पेट्रोल पंप जैसी 1000 पहलू बताने वाली विशेषताएं हैं। इस समय,इसका इस्तेमाल दिल्ली में हो रहा है।इस ऐप को उपयोगकर्ता निशुल्क डाउनलोड कर सकता है तथा अद्यतन किये गए स्थान के बारे में आसानी से पता कर सकता है।

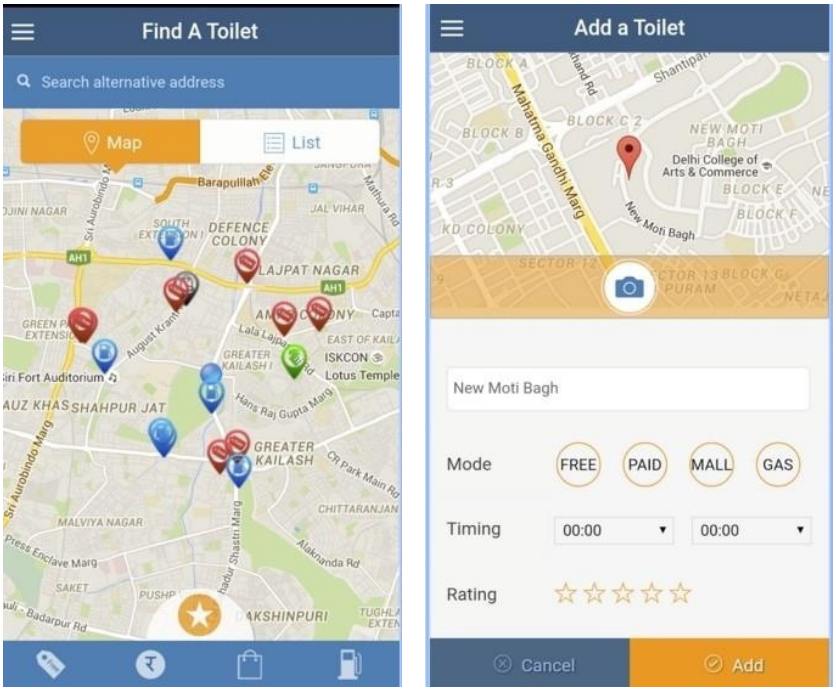

चित्र 17: मोबाइल ऐप का स्नेपशॉट

स्रोत : इवान मेहता (2016)। मूत्र त्याग के अलावे यह ऐप निकटतम शौचालय का पता लगाने में मदद करता है। हफपोस्ट इंडिया द्वारा 9 मार्च 2016 को पोस्ट किया गया।

1.3.11.सामुदायिक शौचालयों की आईसीटी आधारित निगरानी

उद्देश्य और परिभाषा

यह प्राचल इस बात की जांच करता है कि शहरी स्थानीय निकाय ने शहर में सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल का अनुसरण के लिए किसी प्रणालीध्उपकरण को स्थापित किया है कि नहीं। इस तरह के तौर तरीके या तो आईसीटी उपकरणों के इस्तेमाल के जरिये हो सकता है या गैर मशीनी हो सकती है।लेकिन आईसीटी आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लगाने वाले को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की परिभाषा सभी तरह के उपायों, उपकरणों, विषय सामग्रियों, संसाधनों, मंचों, डिजिटल तथा डिजिटल रूप के जरिये बदले जा सकने वाले सभी तरीकों के रूप में की जाती है। (स्रोत : स्कूली शिक्षा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय,2012 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर राष्ट्रीय नीति)

आईसीटी पर आधारित उपकरण नागरिकों को आस–पास के शौचालयों की खोज करने में मदद करने के काबिल बनाये तथा उन्हें किसी मोबाइल ऐप के जरिये विभिन्न प्राचलों पर आकलन करे। गैर मशीनी ट्रैकिंग के लिए सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल करने वालों के रिकॉर्ड रखने वाली एक पुस्तिका तो कम से कम होनी ही चाहिए तथा उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए फीडबैक फॉर्म को रखने के लिए एक ड्रॉप बॉक्स भी होना चाहिए।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कैसे पता लगाया जाता है ?	
आईसीटी/प्रौद्योगिकी उपकरणों द्वारा पता लगाना	6
गैर प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा पता लगाना	4
कोई अता–पता नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त सहायक दस्तावेज

शहरी स्थानीय निकाय को साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए

- डाउनलोड किये जाने वाले लिंक के साथ मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट
- सार्वजनिक शौचालय के उपयोग करने वालों के हिसाब–किताब की कॉपी तथा पिछले तीन महीनों में शहर भर के शौचालयों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या
- उपयोगकर्ता (नमूने के रूप में) द्वारा जमा किये गए फीडबैक फॉर्म की कॉपी

अपने विस्तार को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- सभी मौजूदा तथा नवीनतम निर्मित सार्वजनिक शौचालयों के लिए शहरी स्थानीय निकाय को आईसीटी आधारित या पता लगाने वाली गैर प्रौद्योगिकी प्रणाली के साथ जोड़ना चाहिए।
- कम से कम शहरी स्थानीय निकाय को एक नियम पारित करना चाहिए,जिसमें यह उल्लेख हो कि सार्वजनिक शौचालयों के सभी संचालक उपयोगकर्ता तथा उनकी शिकायतों का रिकॉर्ड रखे।

- सभी शौचालयों की श्रेणी की समीक्षा नियमित रूप से होना चाहिए तथा श्रेणी के उन्नयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।
- अपने आस–पड़ोस में शौचालयों का पता लगाने तथा उसकी श्रेणी को चिह्नित करने हेतु नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप का विकास किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए नागरिकों तथा नगरनिगम के अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर विभिन्न मोबाइल तथा वेब अप्लीकेशन को विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय तथा नागरिता एवं लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केन्द्र के बीच समझौता ज्ञापन का उल्लेख कर सकता है। जनाग्रह शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भाषाओं में मोबाइल अप्लीकेशन बनायेगा तथा इसके लिए उन्हें कोई शुल्क बी नहीं देना होगा। इस समझौता ज्ञापन को अनुलग्नक पुस्तिका के अनुल्लानक ।क में देखा जा सकता है।
- जो शहरी स्थानीय निकाय आईसीटी उपकरण बनाने में स्वयं को सहज नहीं पाते हैं, उन्हें प्रत्येक शौचालय पर फीडबैक फॉर्म (ओएमआर–ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन टाइप) भी अलग से दिया जायेगा। इस फॉर्म को साप्ताहिक रूप से इकट्ठा किया जायेगा तथा डिजिटल रूप से कायम रखने के लिए उसका स्कैन किया जायेगा।
- इस तरह के उपयोगकर्ता फीडबैक के लिए निजी ठेकेदार(प्रदर्शन आधारित भुगतान) के साथ कुछ भुगतान करके अनुबंध किया जा सकता है ।

वित्त

- जो शहरी स्थानीय निकाय 100 स्मार्ट सिटी के हिस्से हैं,,वो मौजूदा शौचालय आधारभूत संरचना के स्मार्ट समाधान के उपयोग करने के लिए समस्त नगर विकास घटक के अंतर्गत राशि प्राप्त कर सकते हैं। तदनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर द्वारा प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत का उपयोग तैनाती तथा स्मार्ट हल के सृजन के लिए किया जा सकता है।
- वो शहरी स्थानीय निकाय जो 100 स्मार्ट सिटी के हिस्से नहीं हैं,वो 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त बुनियादी संयुक्त कोश का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों से हासिल होते अग्रणी तौर तरीके

पूर्व में दिये गये पैरामीटर के केस को देखें।

Sintex
RMC
SJMMSVY
PROJECT
Sintex
RMC
SJMMSVY
PROJECT
Reno

व्यक्तिगत शौचालय

1.4. व्यक्तिगत शौचालय (कुल अंक 135)

इस भाग में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण तथा उसके रखरखाव के बार में उल्लेख है। इसके लिए 6 प्राचल हैं तथा शहरी स्थानीय निकाय अधिकतम 135 अंक हासिल कर सकते हैं।

1.4.1. एसबीएम पोर्टल पर प्राप्त एप्लीकेशन का नवीनीकरण

उद्देश्य और परिभाषा

प्राचल इस बात का आकलन करने के लिए है कि क्या एसबीएम पोर्टल पर मौजूद उन व्यक्तिगत या निजी शौचालयों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों ने अद्यतन किया है। शहरी स्थानीय निकायों ने अगर उसका अद्यतन किया है, तो उसे 'हां' में उत्तर देना चाहिए।

नियमित नवीनीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक 15 दिनों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

क्या प्राप्त किये गए आवेदनों की संख्या का पोर्टल पर नवीनीकरण हुआ है ?	
हां	18
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिकित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए रू

- आईएचएचएल के लिए आवेदनों की सूची,
- एसबीएम पोर्टल पर अपलोडेड आवेदनों की सूची

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- अपने परिणाम को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत शौचालयों के लिए आवेदन की प्राप्ति का प्रदर्शन स्तर को एसबीएम पोर्टल पर नियमित रूप से नवीनीकृत किया जाता है।
- पोर्टल को अद्यतन करने के लिए एक दिशा–निर्देश एसबीएम ई–कोर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है रू कोर्स 801: एसबीएम पोर्टल http://goo-gl/cVwuZe में अद्यतन क्रियाविधियों के लिए दृश्यात्मक दिशानिर्देश
- नियमित अद्यतन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय एसबीएम पोर्टल पर डाटा इंट्री बाहरी स्रोतों से भी करवा सकता है।

1.4.2. एसबीएम पोर्टल पर सत्यापित आवेदन का नवीनीकरण

उद्देश्य और परिभाषा

प्राचल इस बात का आकलन करने के लिए है कि क्या एसबीएम पोर्टल पर मौजूद उन व्यक्तिगत या निजी शौचालयों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों ने अद्यतन किया है।शहरी स्थानीय निकायों ने अगर उसका अद्यतन किया है, तो उसे 'हां' में उत्तर देना चाहिए।

नियमित नवीनीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक 15 दिनों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

क्या प्राप्त किये गए आवेदनों की संख्या का पोर्टल पर नवीनीकरण हुआ है ?	
हां	18
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिकित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए

- सत्यापित आवेदनों की सूची ,
- सत्यापित आवेदनों की सूची तथा एसबीएम पोर्टल पर उसका अद्यतन

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- अपने परिणाम को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत शौचालयों के लिए आवेदन के सत्यापन की प्राप्ति का प्रदर्शन स्तर को एसबीएम पोर्टल पर नियमित रूप से नवीनीकृत किया जाता है।
- पोर्टल को अद्यतन करने के लिए एक दिशा–निर्देश एसबीएम ई–कोर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है कोर्स 801–एसबीएम पोर्टल ीजजचरूध्ध्हवव.हसध्बटूर्नम में अद्यतन क्रियाविधियों के लिए दृष्यात्मक दिशानिर्देश
- नियमित अद्यतन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय एसबीएम पोर्टल पर डाटा इंट्री बाहरी स्रोतों से करवा सकता है।

1.4.3. एसबीएम पोर्टल पर स्वीकृत आवेदन का नवीनीकरण

उद्देश्य और परिभाषा

प्राचल इस बात का आकलन करने के लिए है कि क्या एसबीएम पोर्टल पर मौजूद उन व्यक्तिगत या निजी शौचालयों के लिए प्राप्त स्वीकृत आवेदनों की संख्या के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों ने अद्यतन किया है। शहरी स्थानीय निकायों ने अगर उसका अद्यतन किया है,तो उसे 'हां'में उत्तर देना चाहिए।

नियमित नवीनीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक 15 दिनों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

क्या प्राप्त किये गए आवेदनों की संख्या का पोर्टल पर नवीनीकरण हुआ है ?	
हां	18
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए

- स्वीकृत आवेदनों की सूची ,
- स्वीकृत आवेदनों की सूची तथा एसबीएम पोर्टल पर उसका अद्यतन

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- अपने परिणाम को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत शौचालयों के लिए आवेदन की स्वीकृति की प्राप्ति का प्रदर्शन स्तर को एसबीएम पोर्टल पर नियमित रूप से नवीनीकृत किया जाता है।
- पोर्टल को अद्यतन करने के लिए एक दिशा–निर्देश एसबीएम ई–कोर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है रू कोर्स 801: एसबीएम पोर्टल http://goo-gl/cVwuZe में अद्यतन क्रियाविधियों के लिए दृश्यात्मक दिशानिर्देश
- नियमित अद्यतन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय एसबीएम पोर्टल पर डाटा इंट्री बाहरी स्रोतों से करवा सकता है।
-

1.4.4. एसबीएम पोर्टल पर निर्माण किये जा रहे शौचालयों का अद्यतन

उद्देश्य और परिभाषा

प्राचल इस बात का आकलन करने के लिए है कि क्या शहरी स्थानीय निकाय ने एसबीएम पोर्टल पर मौजूद उन व्यक्तिगत या निजी शौचालयों के लिए प्राप्त फोटोग्राफ के संदर्भ में सूचनाओं को अद्यतन किया है या नहीं, जिसका निर्माण किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों ने अगर उसका अद्यतन किया है, तो उसे 'हां' में उत्तर देना चाहिए।

नियमित नवीनीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक 15 दिनों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है।

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

क्या प्राप्त किये गए आवेदनों की संख्या का पोर्टल पर नवीनीकरण हुआ है ?	
हां	18
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए

- स्वीकृत तथा पूर्ण आईएचएचएल की सूची,
- फोटोग्राफ के साथ एसबीएम पोर्टल पर अपलोडेड पूर्ण रूप से निर्मित शौचालयों की सूची

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- अपने परिणाम को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत शौचालयों के प्रदर्शन स्तर को फटोग्राफ के साथ एसबीएम पोर्टल पर नियमित रूप से नवीनीकृत किया जाता है।
- पोर्टल को अद्यतन करने के लिए एक दिशा–निर्देश एसबीएम ई–कोर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है रू कोर्स 801: एसबीएम पोर्टल http://goo-gl/cVwuZe में अद्यतन क्रियाविधियों के लिए दृश्यात्मक दिशानिर्देश
- नियमित अद्यतन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय एसबीएम पोर्टल पर डाटा इंट्री बाहरी स्रोतों से करवा सकता है।

1.4.5. व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की स्वीकार्यता में निपुणता

उद्देश्य और परिभाषा

यह प्राचल एचआईआईएल के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा उनमें से स्वीकृत आवेदनों के बीच की खाई का आकलन करता है। यह प्राचल शहरी स्थानीय निकायों की कुशलता का आकलन करता है, जिसका उपयोग वो अपने शहर में शौचालय निर्माण को मंजूर करने में करता है।

(स्वीकृत आईआईएचएल की संख्या / मंजूर आईआईएचएल की संख्या)*100

इस प्रचाल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

मंजूर किये गए तथा अनुमोदित किये गए व्यक्तिगत शौचालयों के लिए आवेदनों के बीच का अंतर प्रतिशत	
कोई अंतर नहीं	32
1–25%	24
26–50%	16
51–75%	8
>75%	0

शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिकित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए रू

- आईएचएचएल के लिए आवेदनों की सूची,
- आईएचएचएल के लिए मंजूर आवेदनों की सूची

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- अधिकतम अधिप्राप्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिस्चित करना चाहिए कि शहर में व्यक्तिगत शौचालयों की मंजूरी के लिए उनके पास एक मजबूत तथा कुशल प्रणाली होनी चाहिए।
- पारंपरिक रूप से आवेदन की प्राप्तियों तथा उसकी मंजूरी के बीच संलग्न होते हैं

  (अ) इंजीनियर / स्वच्छता निरीक्षक द्वारा छानबीन

  (ब) अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमोदन

  (स) इंजीनियर / स्वच्छता निरीक्षक द्वारा स्थल का दौरा ताकि जमीन की उपलब्धता को सत्यापित किया जा सके
- (द) अगर जमीन उपलब्ध है, तो शहरी स्थानीय निकाय एक अनुमोदन आदेश जारी करता है
- शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कदम जितना संभव हो सके,बेहद कुशलता के साथ उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए जरूरी हो,तो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में शक्ति का हस्तांतरण कर देना चाहिए

1.4.6. व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की स्वीकार्यता में निपुणता

उद्देश्य और परिभाषा

यह प्राचल निर्मित शौचालयों की संख्या तथा राज्य द्वारा दिये गए लक्ष्यों के बीच के अंतर को आकलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह प्राचल अपने शहर में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शौचालय निर्माण की कुशलता का आकलन करता है।

(निर्मित आईएचएचएल की संख्या / राज्य द्वारा प्रदत्त लक्ष्य)*100

इस प्रचाल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

राज्य प्रदत्त लक्ष्य के मुकाबले निर्मित आईआईएलएल के बीच की अंतर प्रतिशतता	
कोई अंतर नहीं	31
1–25%	24
26–50%	16
51–75%	8
>75%	0

शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त सहायक दस्तावेज

साक्ष्य के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिकित दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए रू

- एसबीएम पोर्टल के अनुसार लक्ष्य / राज्य की अधिसूचना पर लक्ष्य,
- की गई अंतिम अदायगी के मुकाबले आईएचएचएल आवेदनों की कुल संख्या की सूची

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- अधिकतम अधिप्राप्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिष्चित करना चाहिए कि शहर में व्यक्तिगत शौचालयों की मंजूरी के लिए उनके पास एक मजबूत तथा कुशल प्रणाली होनी चाहिए।
- पारंपरिक रूप से षौचालय बनने की स्वीकृत और सही में बने हुये के बीच संलग्न होते हैं
  (अ) लाभार्थी द्वारा या एनजीओ / ठेकेदार द्वारा आईएचएलएल के निर्माण
  (ब) कच्चे माल की खरीद तथा राजमिस्त्री को लगाना
  (स) विभिन्न चरणों के अनुसार निर्माण तथा किस्त के आधार पर भुगतान के लिए भू–अनुलग्न फटोग्राफ का नवीनीकरण
- शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कदम जितना संभव हो सके,बेहद कुशलता के साथ उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए जरूरी हो, तो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में शक्ति का हस्तांतरण कर देना चाहिए
- अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण में तेजी लायी जाये तथा उस लक्ष्य को हासिल किया जाए।
- पूरे पुणे में निर्माण किये जा रहे शौचालयों के कार्यक्रम पुणे के 'शौचालय सबके लिए' देखें http://swachhbharat-cloudapp-net/home/course/3?lessonid=00009

खुले में शौच से मुक्ति
एवं
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रणनीति

1.5. खुले में शौच से मुक्ति तथा एसडब्ल्यूएम हेतु रणनीति (कुल अंक 43)

यह भाग खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु रणनीति तथा सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और निर्माण हेतु रणनीति से सम्बन्धित प्राचलों के बारे में बताता है।इस भाग में 8 प्राचलों के बारे में चर्चा है तथा अधिकतम अंक शहरी स्थानीय निकाय जो प्राप्त कर सकता है,वह 43 है

1.5.1. खुले में शौच मुक्त घोषित किये जा चुके वार्ड की प्रतिशतता

उद्देश्य और परिभाषा

इस प्राचल का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके शहरों के वार्डों की प्रतिशतता का आकलन करना है। यह शुरुआती प्राचलों अर्थात् व्यक्तिगत/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में शामिल विभिन्न तरह के घटकों का एक परिणाम है।

(एसबीएम पोर्टल के अनुसार ओडीएफ घोषित किये जा चुके वार्डों की संख्या/शहरी स्थानीय निकाय में कुल वार्डों की संख्या)*100

*यहां वार्ड का अर्थ चुनावी वार्ड क्षेत्र है

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

ओडीएफ घोषित किये जा चुके वार्डों की प्रतिशतता	
>75% वार्ड ओडीएफ हैं	10
51% से 75% वार्ड ओडीएफ हैं	7
25% से 50% वार्ड ओडीएफ हैं	4
25% से नीचे वार्ड ओडीएफ हैं	0

शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त सहायक दस्तावेज

उन शहरी स्थानीय निकायों,जिनके कोई भी वार्ड ओडीएफ के रूप में घोषित हो चुका है,उन्हें साक्ष्य के रूप में कम से कम निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए :

- शहरी विकास मंत्रालय(स्कूलों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा घोषित होने के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आत्म घोषित घोषणापत्र, समाचार पत्रों में दी गई सूचना की कटिंग,टीपीआई रिपोर्ट,वार्ड समितियों की मीटिंग की कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज) द्वारा दिये गए मसौदे के मुताबिक सभी दस्तावेज

अपनी अधिप्राप्ति को अधिकतम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को क्या करना चाहिए ?

- किसी भी शहरी स्थानीय निकाय के लिए मुश्किल है कि वो सबके सब पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा सके तथा इसलिए शहरी स्थानीय निकाय को अपने वार्ड के स्तर से कोशिश करनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि वार्ड के सभी परिवारों के पास या तो एक निजी शौचालय हों या उनके आवास से 500 मीटर के दायरे में एक सामुदायिक शौचालय हों। वार्ड के सभी वाणिज्यिक क्षेत्र में 1किमी के दायरे में एक सार्वजनिक शौचालय हों।
- शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ वार्ड घोषित किये जाने को लेकर शहरी विकास मंत्रालय के मसौदे का कम से कम जरूर पालन करना चाहिए

- किसी भी शहरी स्थानीय निकाय के लिए मुश्किल है कि वो सबके सब पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा सके तथा इसलिए शहरी स्थानीय निकाय को अपने वार्ड के स्तर से कोशिश करनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि वार्ड के सभी परिवारों के पास या तो एक निजी शौचालय हों या उनके आवास से 500 मीटर के दायरे में एक सामुदायिक शौचालय हों। वार्ड के सभी वाणिज्यिक क्षेत्र में 1किमी के दायरे में एक सार्वजनिक शौचालय हों।
- शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ वार्ड घोषित किये जाने को लेकर शहरी विकास मंत्रालय के मसौदे का कम से कम जरूर पालन करना चाहिए
- शहर में स्थित सभी वार्ड नगर निगम में एक स्व–घोषणा पत्र जमा करें
- वार्ड का प्रत्येक स्कूल एक स्व–घोषणा पत्र इस बात का उल्लेख करता हुआ देता है कि स्कूल में नामांकित सभी छात्रों की पहुंच स्कूलों तथा घरों के शौचालयों में होगी तथा वो नियमित रूप से इनाक इस्तेमाल करते हैं।
- वार्ड में सक्रिय प्रत्येक स्वयं सहायता समूह इस बात का स्व–घोषणा–पत्र देता है कि वार्ड के सभी निवासी की पहुंच अपने घर में बने शौचालय तक है या फिर उनका वो नियमित इस्तेमाल करते हैं।
- एक बार जब सभी वार्ड नगर प्रशासन के पास अपना स्वघोषणा–पत्र जमा कर देते हैं,तो नगर प्रशासन एक प्राथमिक संकल्प का घोषणा करते हुए इस बात की घोषणा करते हैं कि कोई वार्ड विशेष ओडीएफ घोषित किया जाता है तथा इस बात की समुचित सार्वजनिक घोषणा की जाती है।
- इसके बाद लोगों की आपत्तियांध्फीडबैक भी दर्ज करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है,इसके लिए उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाता है।अगर इस दरम्यान किसी भी तरह की आपत्ति नहीं दर्ज होती है,तो नगर निगम प्रशासन द्वारा एक अंतिम प्रस्ताव पारित कर देता है।
- आंध्र प्रदेश सरकार के स्वच्छ आंध्र नगरनिगम द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारूपों का उल्लेख किया जा ससकता है (अनुलग्नक पुस्तिका के अनुलग्नक ।थ देखें)।
- राज्य के प्रस्ताव की पावती पर, ओडीए को लेकर शहर के दर्जे के अनुसार औपचारिक रूप से एक समुचित तीसरे पक्ष के सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से शहर के दावे को राज्य सुनिश्चित करवा सकता है।
- ओडीएफ के नगर स्तरीय घोषणा के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित लिंक में दिये गए प्रारूप के अनुसार जमा किया जाना चाहिए : http://swachhbharaturban-gov-in/ULBLevel_ODF-aspÛ\id¾7fc42ef3e787eb14e393d101a2e3198d
- ओडीएफ के वार्ड स्तरीय घोषणा के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित लिंक में दिये गए प्रारूप के अनुसार जमा किया जाना चाहिए :
- http://swachhbharaturban-gov-in/Wardlevel_ODF-aspÛ\id=7fc42ef3e787eb14e393d101a2e3198d

1.5.2 स्वच्छ शहर योजना /डीपीआर की स्थिति

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड का उद्देश्य यूएलबी की स्वच्छ शहर योजना/डीपीआर की वस्तुस्थिति का पता लगाना है। अंकों का क्रमिक स्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि यूएलबी की योजना तैयार है, राज्य सरकार से अनुमोदित है, पोर्टल पर अपडेट है और क्या लागू है? यदि योजना तैयार है, अनुमोदित है, अपडेट है और लागू है, तो यूएलबी को पूर्ण अंक मिलते हैं।

सभी यूएलबी के लिये आवश्यक है कि स्वच्छ शहर योजना/डीपीआर ओमओयूडी द्वारा उपलब्ध कराये गये सांचे (जमउचसंजम) पर ही तैयार किये जाने चाहिये

इस प्राचल के लिए अंकों का श्रेणीकरण

स्वच्छ शहर योजना की वस्तुस्थिति क्या है	
तैयार, अनुमोदित, अद्यतन,पोर्टल पर और लागू	5
तैयार और अनुमोदित	3
तैयार लेकिन अनुमोदित नहीं	2

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये।

- स्वच्छ शहर योजना की (एससीपी)/डीपीआर की प्रतिलिपि
- एससीपी के अनुमोदन की प्रतिलिपि
- एससीपी/डीपीआर के अनुसार गतिविधि सूची लागू होने की प्रतिलिपि

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- यूएलबी को अपने अधिकतम प्राप्तांक के लिये सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वच्छ शहर योजना तैयार है, अनुमोदित है और लागू कर दी गयी है।

अधिप्राप्ति

- यूएलबी स्वयं ओमओयूडी द्वारा दिये गये सिटी सैनिटेशन प्लान टेम्पलेट पर स्वच्छ शहर योजना तैयार कर सकती हैं। (देखें अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक बी)
- यूएलबी एमओयूडू द्वारा अनुमोदित अनुबद्ध एजेंसियों में से किसी से स्वच्छ शहर योजना बनाने के लिये सलाहकार नियुक्त कर सकती है

वित्त

- यूएलबी को राज्य सरकार की सलाह से स्वच्छ शहर योजना बनाना चाहिये। डीपीआर तैयार करने के राष्ट्रीय सलाहकार समीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा प्रति इकाई निर्धारित मूल्य के अनुसार भारत सरकार मूल्य का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करती है। (संदर्भः स्वच्छ भारत मिशन गाइडलाइन्स)

1.5.3. खुले में शौच/मूत्र त्याग/गंदगी पर नियंत्रण की रणनीति की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आकलन करता है कि क्या यूएलबी नियमों को लागू करके दंडात्मक मापदंडों को अपना रही है, ताकि खुले में शौच, मूत्र त्याग एवं गंदगी पर नियंत्रण हो सके। सर्वेच्च अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि यूएलबी के पास ऐसी रणनीति है। इसके बाद उन यूएलबी के पास नंबर तो है, जिन्होंने मल त्याग, मूत्र त्याग और गंदगी वाले स्थानों को चिह्नित किया है।

खुले में शौच का अर्थ है, वह अभ्यास जिसमें लोग शौच के लिये खुले स्थानों, झाड़ियों, जंगलों, खुले पानी में तथा अन्य खुली जगहों पर जाते हैं, लेकिन शौचालय का प्रयोग नहीं करते। (स्रोतः अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 2016)

रणनीति में विधान संबंधी, दंड संबंधी अथवा प्रोत्साहन माध्यम ताकि खुले में शौच पर नियंत्रण लगाया जा सके। और इसके लिये जुर्माना लगाने से लेकर प्रोत्साहित करने तक या फिर होमगार्ड्स को तैनात करके खुले में शौच–गंदगी करने वाले स्थानों की पहचान की जाय।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या खुले में शौच, मूत्र त्याग अथवा गंदगी रोकने की रणनीति है?	
शहर के पास ओडी जैसी सेंध वाले क्षेत्रों में इसे रोकने की रणनीति है	8
शहर ने ऐसे क्षेत्र चिह्नित किये हैं, लेकिन नियंत्रण की कोई रणनीति नहीं है	4
शहर ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान नहीं की है, जो ओडी के लिये सरल हैं	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत कये जाने वाले प्रपत्र

यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये

- –ओडीएफ योजना की प्रतिलिपिध ओडीएफ की सेंध लायक क्षेत्रों में सर्वेक्षण
- –ओडीएफ के लिये किसी भी रणनीति के प्रपत्रध नियमावली की प्रतिलिपि/खुले में शौच/मूत्र त्याग /गंदगी के लिये जुर्माना/ कोई कार्यालय सर्कुलर या यूएलबी की पहल की घोषणा करने वाला कोई प्रपत्र

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

एक बार यूएलबी अपने क्षेत्र में ओडी वाले स्थानों की पहचान कर लेती है, और प्रत्येक व्यक्ति लिये घर में या यामुदायिक अथवा सार्वजनिक शौचालय तक पहुंच बना देती है, व्यावसायिक 76 में शौचालय सुनिश्चित कर देती है, तो फिर यूएलबी को खुले में शौच पर नियंत्रण के लिये रणनीति बना लेनी चाहिये और ओडीएफ स्थिति बनाये रखनी चाहिये।

- रणनीति इस रूप में हो सकती है कि मौके पर ही जुर्माना लगाया जाय, ओडी स्थानों पर होमगार्ड्स तैनात कर दिये जाएं,या फिर प्रोत्साहन देकर यह अभ्यास समाप्त किया जाय। जुर्माना लगाने के क्रम में यूएलबी को सार्वजनिक स्वास्थ्य की नियमावली बनानी होगी जिसमें विभिन उल्लंघनों के लिये अलग जुर्माना होगा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमावली अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एजी में देखी जा सकती है।

- अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एएच में एमओयूडी के मौके पर जुर्माने का सर्कुलर प्रस्तुत है।
- यूएलबी को स्वयं सहायता समूह बना कर स्वभाव परिवर्तन के लिये तैनात किया जा सकता है और सामुदायिक निगरानी रखी जा सकती है।
- यूएलबी लोगों को शौचालय के प्रयोग पर प्रोत्साहनन दे सकती हैं, जैसा कि अहमदाबाद में होता है, जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करने पर बच्चों को
- चॉकलेट देता है। (देखें ई– पाठ्यक्रम, अहमदाबाद के लिये ओडीएफ स्ट्रेटेजी
- http://swachchhbharat-cloudapp-net/home/course/37?lessonid=00001094)

वित्त

- यूएलबी देश के लिये स्वच्छ बारत विकास साझीदार गठजोड़ की सूची से अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क कर सकती हैं। जैसे–बीएमएपजी, डब्ल्यूएसपी, यूनिसेफ, यूएसएआईडी, एडीबी, जेआईसीए, और जीआईजेड। पूरी सूची देखने के लिये अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक वी को देखें।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रमुख अभ्यास

विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश में ओडी पर सामुदायिक निगरानी

ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, डब्ल्यूएसयूपी के तकनीकी सहयोग से, एक साधिम्पु अभियान की पहल की है। 883 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह एवं स्लम स्तर के संघों को इस बात के लिये नियुक्त किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खुले में शौच पर निगरानी रखें।

महिलाओं द्वारा संचालित साधिम्पु अभियान ऐसे स्थानों पर पहुंचता है जहां खुले में शौच की संभावना अधिक होती है। यह समूह आसपास लोगों से बात करता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। साधिम्पु टीमें विशेष रूप से सुबह के समय 5 से 8 के बीच दौरे करती हैं और अपने साथ स्वच्छ गृह अथवा ओडीएफ सीसी साथ ले जाती हैं। इसके द्वारा शहर ने कम से कम 24 ऐसे चिह्नित स्थानों पर खुले में शौच पर नियंत्रण पा लिया है जहां पहले लोग इसके अभ्यस्त थे।

चित्र18 रू विशाखापटनम में खुले में शौच पर नियें लिये सामुदायिक निगरानी करके महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा साधिम्पु अभियान। स्रोतः अर्बन मैनेजमेंट संटर (यूएमसी)ऐंड वाटर ऐंड सैनिटेशन फॉर अर्बन पुर(डब्ल्यीएसयूपी)(2016)

1.5.4 खुले में शौच पर निगाह रखने के लिये आईसीटी/सोशल मीडिया आधारित निगरानी तंत्र की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में यह आकलन होता है कि क्या यूएलबी के पास कोई निगरानी तंत्र है जिससे खुले में मल त्याग/मूत्र त्याग/गंदगी पर नियंत्रण लगाया जा सके। अंकों का क्रमिक स्थापन स पर निर्भर करता है कि ऐसे स्थलों की निगरानी के लिये यूएलबी आईसीटी माध्यमों का प्रयोग कर रही है। जो यूएलबी दोनों तरह के माद्यम, आईसीटी और सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही है, वह सर्वोच्च अंक प्राप्त करती है।

एक निगरानी तंत्र का अनिवार्य रूप से अर्थ है ओडी स्थलों को आईसीटी अनुप्रयोग से चिह्नित करके अथवा सोशल मीडिया–जैसे फेसबुक, ट्वीटर आदि पर शौच करते हुए पेशाब करते हुए चित्र और रिपोर्ट डालें।

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या निगरानी तंत्र है?(सीटी आधारित/सोशल मीडिया) जो शौच/मूत्र त्याग/गंदगी पर नजर रखे	
टेक्नॉलॉजी एवं सोशल मीडिया, दोनों उपलब्ध हैं	5
या तो टेक्नॉलॉजी अथवा सोशल मीडिया उपलब्ध	3
न टेक्नॉलॉजी, न सोशल मीडिया उपलब्ध	0

शहरी स्थानीय निकाय जिनके पास तंत्र है, वे साक्ष्य प्रपत्र प्रस्तुत कर सकती हैं

- मोबाइल ऐप के स्क्रीन शॉट तथा लिंक और सोशल मीडिया के पेज
- आईसीटी अभिलेख निगरानी की प्रतिलिपिध् रिपोर्ट्स ध्मोबाइल ऐप्स ध्सोशल मीडिया पेजेज

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

- एसबीएम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एमओयूडी ने बंगलौर के जनग्रह सेंटर फॉर सिटिजन्स ऐंड डेमोक्रेसी, के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत विभिन्न मोबाइल और वेब ऐपलिकेशंस विकसित की जानी हैं, जिसका लक्ष्य आम नागरिक और म्यूनिसिपल अधिकारी हैं। जनाग्रह मोबाइल ऐप विभिन्न भाषाओं के संस्करण में विकसित करेगा। यूएलबी अपनी भाषा की आवश्यकता बता सकती हैं और इसके लिये उनसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। यह एमओयू अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक एडी में देखा जा सकता है।
- जब तक कोई तंत्र विकसित हो, यूएलबी अपना स्वयं का सोशल मीडिया मंच प्रयोग कर सकती हैं, जैसे कि यूएलबी का फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल जिसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है ताकि नागरिक इसके पेज पर इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट/शेयर डाल सकें।

1.5.5. सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की रणनीति

उद्देश्य और परिभाषा

इस मापदंड में आकलन होता है कि क्या यूएलबी के पास शहर में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माम के लिये कोई रणनीति है? अंकों का क्रमिक स्थापन इस पर निर्भर करता है कि यूएलबी ने भूमि चिह्नित कर ली है और काम के लिये टेंडर डाल दिये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत (अर्बन) दिशा निर्देश

- सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के भीतर सार्वजनिक शौचालय होने चाहिये
- ऐसे सभी निवासी, जिनके पास सौचालय निर्माण के लिये स्थान नहीं है, वे सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग कर सकते हैं, जो 500 मीटर के भीतर होंगे। (पत्र संख्याः डी.ओ.नं.जेड–11021/04/2016/ एसबीएम–II)

इस मापदंड के लिये अंकों का क्रमिक स्थापन

भूमि चिह्नित कर ली गयी है और पीटीध सीटी निर्माण के लियो काम दे दिया गया है?	
भूमि चिह्नित एवं टेंडर/कार्य आवंटित	4
भूमि चिह्नित लेकिन टेंडर/कार्य नहीं आवंटित	2
भूमि नहीं चिह्नित	0

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रपत्र

- यूएलबी को साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये
- रणनीति प्रपत्र की प्रतिलिपि/ यूएलबी द्वारा कार्य योजना जिसमें सीटी/पीटी की निर्माण की जाने वाली संख्या का स्थान सहित आकलन हो।
- टेंडर प्रपत्र/ कार्य आवंटन प्रपत्र की प्रतिलिपि जो विभिन्न ठेकेदारों को आवंटित किया गया।, अथवा
- यूएलबी के सार्वजनिक कार्य विभाग का कोई सर्कुलर, यदि यूएलबी आंतरिक रूप से ऐसा करती है।

यूएलबी को अधिकतम प्राप्तांक के लिये क्या करना चाहिये?

यूएलबी को सर्वेक्षण (नमूना आधारित) करना चाहिये, जिसमें सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के प्रावधान का आकलन हो।

अधिप्राप्ति

- यूएलबी या तो स्वयं अथवा किसी निजी एजेंसी को आउटसोर्स करके अध्ययन कर सकती हैं। यूलबी ओएमओयूडी द्वारा अनुबद्ध एजेंसियों की सूची से कार्य के लिये अनुबंध कर सकती हैं।(देखियो अनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक डी)।
- जब तक, यूएलबी सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिये सक्षम न हो जाय, यूएलबी सार्वजनिक स्थानों पर चलित शौचालय स्थापित कर सकती हैं। अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के तहत यूएलबी डीजीएसऐंडडी द्वारा संबंधित राज्य के लिये जारी मूल्य अनुबंधों को संदर्भित कर सकती हैं। (देखेंअनुलग्नक पुस्तक का अनुलग्नक डब्ल्यू)

- यूएलबी इस संभावना पर भी अद्ययन र सकती हैं कि पेट्रोल पंप, रेस्टॉरेंट्स, आदि के साथ साझीदारी की जा सके, जहां सामान्य नागरिकों को भी उनकी मौजूदा सुविधाओं का लाभ मिल सके।

वित्त

- एसबीएम के तहत सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिये केंद्र सरकार किसी तरह की प्रोत्साहन राशि नहीं देती। फिर भी, यूएलबी अपने संबंधित राज्य से, यदि कोई प्रावधान है, तो धन प्राप्त कर सकती हैं।
- पीटी के लिये भूमि की पहचान राज्य अथवा यूएलबी द्वारा किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक शौचालय का निर्माण या तो यूएलबी द्वारा किया जाय अथवा पीपीपी मोड में ।
- सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये नमूने का पीपीपी आरएफपी ग्रेटर विशाखापटनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (जीवीएमसी) ने प्राप्त किया है, जिसे अनुलग्नक पुस्तक के अनुलग्नक
- एक्स में देखा जा सकता है।
- विज्ञापन अधिकार द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये अतिरिक्त धनराशि की सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। योजना, निर्माण, और सार्वजनिक शौचालयों के ओऐंडएम पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिये देखें ई पाठ्यक्रम शिक्षण : http://goo-gl/asQ9Vk
- सामुदायिक शौचालयों के लिये यूएलबी एसबीएम के तहत धनराशि प्राप्त कर सकती है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार परत्येक सामुदायिक शौचालय खंड पर 40 : अनुदान / वीजीएफ के रूप में देती है। राज्य सामुदायिक शौचालयों की परियोजना में कम से कम 25 : का सहयोग देते हैं, जिसमें केंद्र के 75 : जुड़ जाते हैं।
- अधिक जानकारी के लिये योजना, निर्माण तथा सामुदायिक शौचालयों के ओऐंडएम के लिये, देखिये, ई–पाठ्यक्रम शिक्षणय http://goo-gl/mT7sel

1.5.6. शहर में खुले में षौच/पेशाब/कचरा फेकने वालों पर प्रशासनिक प्रभार (बिंतहमे)/ जुर्माना लगाना।

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आंकलन करता है कि क्याा यूएलबी ने खुले में षौच/पेषाब/कचरा फेकने वालों पर प्रशासनिक प्रभार (बिंतहमे)/ जुर्माना लगाया है या नहीं। जिस यूएलबी ने षुल्क अधिसूचित किया होगा और प्रभार/जुर्माना लगाया होगा उसको अधिकतम अंक प्राप्त होगा।

मापदंड के लिये अंको का क्रमिक स्थापन

क्या खुले में शौच/पेशाब/कचरा फेकने वालों पर मौके पर प्रशासनिक प्रभार (बिंतहमे)/ जुर्माने हेतु शुल्क अधिसूचित और संग्रह किया है	
मौके पर शुल्क अधिसूचित और सग्रह किया	4
मौके पर शुल्क अधिसूचित पर सग्रह नहीं किया	2
मौके पर शुल्क अधिसूचित नहीं किया	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

- जिस यूएलबी ने शुल्क अधिसूचित किया और प्रभार संग्रह कर रहा है, तो निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये।
- यूएलबी द्वारा जीआर की प्रतिलिपि खुले में शौच/पेशाब/कचरा फेकने वालों पर शुल्क अधिसूचित और प्रभार संग्रह या
- यूएलबी द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य की नियमावली की प्रतिलिपि

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- अपने अंको को अधिकतम करने के लिये यू.लबी को एक प्ररूप शुल्क अधिसूचित/प्रशासनिक प्रभार (अलग–अलग अपराध के लिये) के लिये तैयार करना चाहिये और स्टैंडिंग कमेटीध जनरल बॉडी/राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने पर उपभोक्ता भार की अधिसूचना (संबंधित राज्य के म्यूनिसिपल ऐक्ट के तहत) जारी करनी चाहिये।
- मौके पर जुर्माना हेतु शुल्क अधिसूचना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है जो, संलग्नक किताब में ए एच में संलग्न है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य की नियमावली की प्रति अहमदाबाद नगर निगम में है जहां पर उन्होने विभिन्न अपराधों के लिये अलग–अलग जुर्माना लगाया है। संलग्नक किताब के ए जी में संलग्न है।

1.5.7. एसएमएस /मोबाइल एप्लिकेशन/सामाजिक मीडिया आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की उपलब्धता

उद्देश्य और परिभाषा

यह मापदंड आकलन करता है कि क्या आपके यूएलबी ने जो एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरूआत की है, उसके लिये क्या शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए कोई योजना है।

लोक शिकायत निवारण प्रणाली (च्ळत्े) किसी भी पारदर्शी और कुशल सेवा उन्मुख शहरी स्थानीय निकाय के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक च्ळत् प्रणाली नागरिकों, शहरी स्थानीय निकाय के साथ संलग्न करने के लिए अपनी चिंताओं को आवाज, और उसके कामकाज और सेवा प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक पुल प्रदान करता है।

शिकायत निवारण तंत्र एक उपकरण है जो अपनी क्षमता और प्रभावशीलता को मापने के रूप में यह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देता है ।

इस संदर्भ में च्ळत्े प्रणाली को भी नागरिकों के लिए एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों या सामाजिक मीडिया के उपयोग को शामिल करना चाहिए।

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

या वहाँ एक PGRs प्रणाली जहां नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है?	
हां	5
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यदि वहां पर यह व्यवस्था है तो यूएलबी को निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिये,

- एसएमएस/एप/ सामाजिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का रिकार्ड और संबोधित किया
- सोशल मीडिया पेज/मोबाइल एप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- यूएलबी जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है उनको एसएमएस आधारित/मोबाइल एप्लिकेशन आधारित इंटरफेस शामिल करने के लिए च्ळत् प्रणाली को बढ़ाने चाहिए ।
- शहरी स्थानीय निकाय या तो मौजूदा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एसएमएस/मोबाइल एप्लिकेशन को एकीकृत या शहरी विकास मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
- शहरी विकास मंत्रालय नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह सेंटर के साथ एक समझौता किया है, बैंगलोर समाधान शिकायत निवारण के विकास के लिए है, जो निम्नलिखित घटकों होगा रू
- नागरिकों के लिए मोबाइल आवेदन फोटो के साथ शिकायतों को अपलोड करने के लिए
- नगर निगम के अधिकारियों/क्षेत्र इंजीनियरों के लिए मोबाइल आवेदन शिकायतों देख श्और फोटो के साथ संकल्प की स्थिति को अद्यतन करने के लिए

- शहरी विकास मंत्रालय के लिए वेब अनुप्रयोग, नगर आयुक्तों / अधिकारियों और नागरिकों को देखते हैं, टिप्पणी और स्थिति संदेश को अद्यतन करने के लिए। एक हेल्पडेस्क शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाएगा
- शहरी विकास मंत्रालय, एम सी/अधिकारियों और नागरिकों के लिए डैशबोर्ड शिकायतों संकल्प, शिकायतों और आवश्यकताओं को शहरी विकास मंत्रालय के साथ चर्चा की प्रति के रूप में साफ–सफाई के शहर बुद्धिमान रैंकिंग के विश्लेषण पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए।
- जनाग्रह शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न भाषा संस्करणों में मोबाइल आवेदन का निर्माण होगा
- यूएलबी इन सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक बुक अनुलग्नक ईसवी में देखा जा सकता है
- जब तक ऐसी प्रणाली जगह में है, शहरी स्थानीय निकाय का हिस्सा है और इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सामाजिक मीडिया पृष्ठों बना सकते हैं

वित्त

- यूएलबी चयनित 100 स्मार्ट शहरों का हिस्सा है, यूएलबी पान शहर के विकास के प्रस्ताव के तहत इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन का लाभ उठा सकते हैं।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों से अग्रणी अभ्यास

नागरिक ब्वददमबज. सूरत नगर निगम के मोबाइल एप्लिकेशन सूरत नगर निगम के एक मोबाइल आधारित अनुप्रयोग है, जो सेवा प्रदान करने और कर के भुगतान, जन्म और मृत्यु, वर्षा की जानकारी और शिकायत पंजीकरण के पंजीकरण से संबंधित सेवाओं सहित जानकारी साझा करने, सक्षम बनाता है शुरू की है।

(Link: http://www-suratmunicipal-gov-in/OnlineServices/SMCApp)

1.5.8. कॉल सेंटर की उपलब्धता नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए

उद्देश्य और परिभाषा

इस पैरामीटर का आकलन है कि क्या यूएलबी नागरिकों दर्ज करने के लिए और पता शिकायतों के लिए एक कॉल सेंटर है।

एक ही नंबर मदद करता नागरिकों नंबर याद करने के लिए और वे विभिन्न मुद्दों के लिए शिकायत दर्ज करने में सक्षम हैं ।

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

वहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए जगह में एक कॉल सेंटर है?	
हां	4
नहीं	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

शहरी स्थानीय निकाय के एक कॉल सेंटर निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए कि ,

- कॉल सेंटर नंबर
- समझौता ज्ञापन /अनुबंध करता है, तो कॉल सेंटर आउटसोर्स हैध
- कॉल के रिकार्ड प्राप्त किया और सुलझाया

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

यूएलबी जहां वर्तमान में एक कॉल सेंटर आधारित च्ळ्ते प्रणाली नहीं है या तो अपने स्वयं कॉल सेंटर बनायें या एक ऐसी प्रणाली को आउटसोर्स कर सकता है।

प्रोक्योरमेंट (Procurement)

- CCRs (व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली 155303) नागरिकों के लिए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा स्थापित किया गया है एएमसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए एक नमूना आरएफपी के अनुलग्नक बुक अनुलग्नक एअर इंडिया में देखी जा सकती है ।
- इसी तरह, एक कॉल सेंटर की सेवाएं प्रदान करने के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर एजेंसी के चयन के लिए एक आरएफपी, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अनुलग्नक बुक एनेक्स ए जे से भेजा जा सकता है ।

वित

•यूएलबी चयनित 100 स्मार्ट शहरों का हिस्सा हैं , तो यूएलबी पैन सिटी डेवलपमेंट प्रस्ताव के तहत इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन लाभ उठा सकता है ।

अन्य शहरी स्थानीय निकायों से अग्रणी अभ्यास

''सारथी''– हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी निवासियों और पर्यटकों की सहायता की एक प्रणाली है, अगस्त 2013 पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था । इसका मूल समारोह नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। 7 बजे से 10 बजे के बीच हेल्पलाइन केंद्र कार्य करता है। हेल्पलाइन नागरिक विभागों, उनके कामकाज और नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह दर्ज कराने सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए एक प्रणाली के रूप में पीसीएमसी द्वारा प्रदान के रूप में अच्छी तरह से सेवा के बारे में जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन है। सारथी एक पाइप लाइन के रिसाव या जल निकासी खराब जैसी आपात स्थितियों में नागरिकों में मदद करता है। नागरिक आम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पीसीएमसी के 28 विभाग से संपर्क कर सकता है।

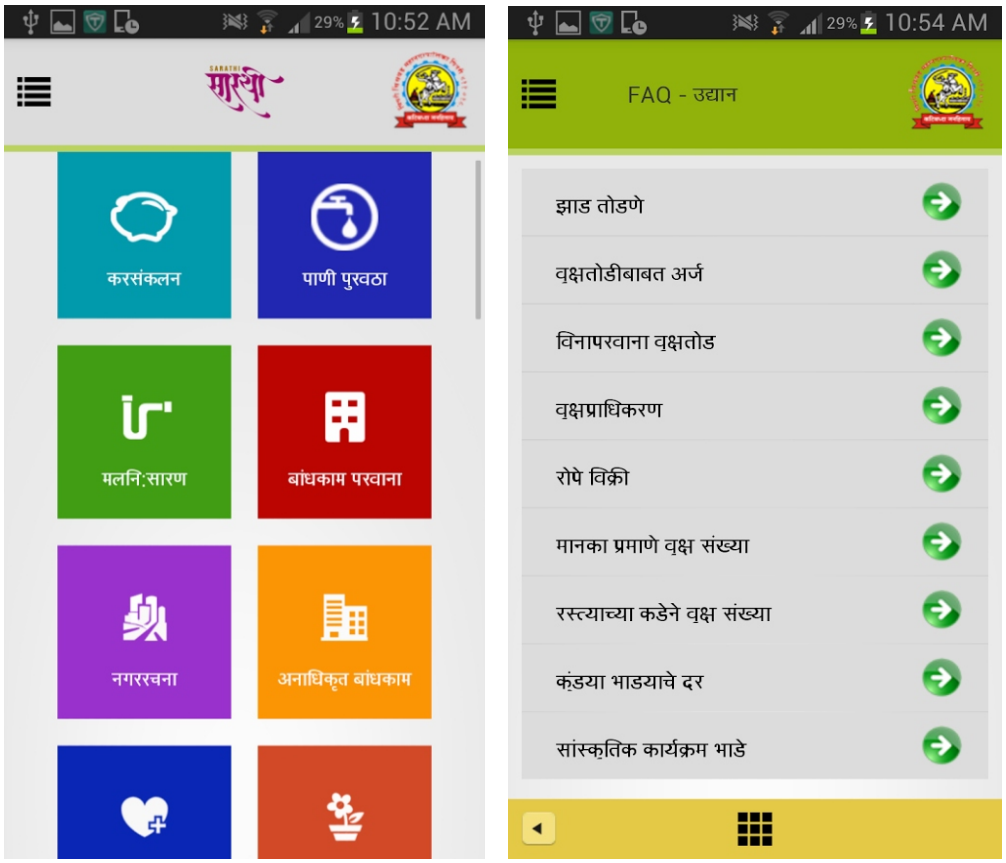

चित्र 20रू पीसीएमसी सारथी मोबाइल ऐप य स्रोतरू पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम

आई.ई.सी. / व्यवहार परिवर्तन संचार

1.6. सूचना शिक्षा और संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार (कुल अंक 44)

यह खंड यूएलबी द्वारा आईईसी और बीसीसी में किये गये कार्यो से सम्बन्धित है। इस खंड में कुल 5 मानक है और कोई भी यूएलबी अधिकतम 44 तक अंक प्राप्त कर सकता है।

1.6.1. सार्वजनिक रूप से शहर भर में बड़े होर्डिंग/बिल बोर्डों की स्थिति

उद्देश्य और परिभाषा

इस पैरामीटर के प्रयोजन यूएलबी द्वारा किए जा रहे आईईसी अभियान में बड़े होर्डिंग्स के प्रयोग से है। जिसमें अंको का श्रेणीकरण शहर की आबादी के लिए उपलब्ध होर्डिंग की संख्या पर आधारित है।

शहर की कुल जनसंख्या/शहर में बड़े होर्डिंग 8'x8' की संख्या

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

कितने जगह में न्यूनतम आकार 8x8 की होर्डिंग लगीं ?	
1 प्रति 50000 की जनसंख्या पर	8
1 प्रति 50001–75000 की जनसंख्या पर	6
1 प्रति 75001–100000 की जनसंख्या पर	2
1 प्रति 100000 की जनसंख्या से ज्यादा पर	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएलबी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिएरू

- होर्डिंग की सूची लॉग (न्यूनतम आकार 8'ग8' फुट) पिछले 6 महीनों में स्थापित है,
- सभी होर्डिंग और उस जगह की फोटो जहां उसे लगाया गया था।

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों की बिल बोर्ड/होर्डिग के लिये नामित जगह हैं। यूएलबी पूरे शहर के मुख्य जगहो को चुन सकता है जहां पर बहुत से लोगो का आना जाना लगा रहता है। ऐसी जगहो पर स्वच्छ भारत मिशन से सम्बन्धित संदेशों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
- वैकल्पिक रूप से, अगर यूएलबी पहले से ही शहर में इस तरह के बिल बोर्डों / होर्डिंग लाइसेंस प्राप्त किया है, वहाँ बिल बोर्डों /होर्डिंग्स के हिस्से का उपयोग एसबीएम संदेशों को प्रदर्शित करने की पहल हो सकती है।
- शहरी स्थानीय निकाय भी इस तरह के होर्डिंग के लिए कंपनियों से सीएसआर योगदान के उपयोग का पता लगाने सकता है।

1.6.2. आईईसी / बीसीसी गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्वैच्छिक समूहों की भागीदारी

उद्देश्य और परिभाषा

पैरामीटर शहर में आईईसी /बीसीसी गतिविधियों के लिए स्व–सहायता समूहों और अन्य स्वैच्छिक समूहों की भागीदारी की जांच करने के लिए है ।

अंको के श्रेणीकरण का आधार यह होगा कि यूएलबी द्वारा इन्हे चिन्हित करना, उनको जोडना और इन समूहो का उपयोग शहर में आईईसी और बीसीसी के कार्यो हेतु किया जा रहा है या नहीं।

स्व सहायता समूह लोगो का अनौपचारिक एक समूह है जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभुमि द्वारा वित्तीय सुरक्षा बढाने हेतु प्राथमिक तौर पर ध्यान केन्द्रित करता है और पूरे समुदाय के लाभ के लिये क्षेत्र के विकास, जागरूकता, प्रेरणा, नेतृत्व, प्रशिक्षण के कार्यो को करता है।

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया और आईईसी /बीसीसी गतिविधियों में सक्रिय हैं ?	
स्वयं सहायता समूह चयनित और क्रियाशील	9
स्वयं सहायता समूह चयनित	5
स्वयं सहायता समूह नहीं चयनित	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

जिन शहरी स्थानीय निकायों ने स्वयं सहायता समूह को आईईसी और बीसीसी गतिविधियों के लिये चुना है उनको निम्नलिखित दस्तावेज सबूत के तौर पर देने चाहिये–

- स्वयं सहायता समूहों की सूची और जुड़ाव (कार्य)
- इन समूहो के साथ की गई मीटिग का विवरण (कम से कम प्रति दो माह में एक मीटिंग) जिसमें स्वच्छता और एस.डब्लू.एम. हेतु आईईसी /बीसीसी के बारे में चर्चा हो और समूहो के कार्य स्पष्ट लिखे हों।

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में कई स्वयं सहायता समूह विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत, स्वयं सहायता समूहों की सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डम्ब्ड। द्वारा गठित तहत महिला आरोग्य समितियों सरकार द्वारा (गरीबी का उन्मूलन नगर क्षेत्रों में मिशन)। आंध्र प्रदेश के, स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा मिशन मंगलम के तहत गठित। गुजरात / सड़क विक्रेताओं आदि।

- शहरी स्थानीय निकाय को ऐसे प्रासंगिक समूहों की पहचान करनी चाहिए और पहले उनके संबंधित सदस्यों को स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न सिद्धांतों का संदेश लेने /देने के लिए इन समूहों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
- विभिन्न स्वच्छता ड्राइव को इन स्वयं सहायता समूहों की मदद से चलाना चाहिये।
- स्वयं सहायता समूहों में से ''स्वच्छताग्राही'' के रूप मे कोआर्डिनेटर बनाना चाहिये।

वित

एसबीएम के आईईसी और जागरूकता घटक के लिए कुल धन की कुल एसबीएम बजट (्छत 2,193 करोड़) का 15ः है। यह 3ः एमओयूडी और 12ः द्वारा बनाए रखा के बाहर के राज्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा । राज्यों के लिए निर्धारित 12ः से बाहर, राज्य द्वारा तैयार की प्रत्येक वार्षिक योजना में आईईसी फंड के कम से कम 50ः जमीनी स्तर पर आईईसी गतिविधियों के लिए शहरी स्थानीय निकाय की ओर जाना होगा ।

''स्वच्छताग्राही'' को रू 5000 का समेकित भुगतान किया जा सकता है जब वह "ाहर में चयनित शौच वाली जगह को खुले में शौच मुक्त बना दे। भुगतान चरणों में किया जा सकता है –

- स्वच्छताग्राही के रूप में चुनने पर 25% का भुगतान (उसके प्रतिदिन के खर्चो के लिये) किया जा सकता है ।
- 50% तब दिया जा सकता है जब चयनित शौच वाली जगह को खुले में शौच मुक्त बना दे (कहीं मल न दिखे और ना ही कोई भी व्यक्ति खुले में शौच जाता दिखे)।
- बचा हुआ 25% का भुगतान शौच वाली जगह को खुले में शौच मुक्त बनाने के तीन माह के पश्चात किया जायेगा, जब यू.लबी द्वारा यह देख लिया जायेगा कि शौच मुक्त वाली जगह की स्थिति क्या है।
- स्वच्छताग्राही के लिए पारिश्रमिक एसबीएम के तहत यूएलबी द्वारा प्राप्त आईईसी धन से पूरी की जा सकती है।

1.6.3. आईईसी/बीसीसी गतिविधियों में स्वच्छतादूतो की भागीदारी

उद्देश्य और परिभाषा

पैरामीटर का आकलन करने के लिए यह आधार रखा गया है कि क्या यूएलबी ने शहर के स्तर पर आईईसी/बीसीसी गतिविधियों में स्वच्छता राजदूत शामिल किया गया है । इस पैरामीटर के लिए अंकों का श्रेणीकरण का आधार होगा कि यूएलबी ने इस तरह के ब्रांड दूतों की पहचान और उपयोग एसबीएम के संदोशों को प्रसारित करने के लिये किया है या नहीं।

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या स्वच्छता दूत चयनित और सक्रिय हैं	
स्वच्छता दूत चयनित और सक्रिय हैं	8
स्वच्छता दूत चयनित	4
स्वच्छता दूत नहीं चयनित	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएलबी को निम्नलिखित दस्तावेज सबूत के तौर पर देने चाहिये–

- शहर द्वारा चयनित स्वच्छता दूतों की सूची, स्वच्छता दूतों के साथ हुई मीटिग मिनट (कम से कम दो महीने में एक बार)
- एसबीएम पोर्टल पर एसबीएम सम्बन्धित कायों को करते हुये स्वच्छता दूतों की तस्वीर हो।

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- इस पैरामीटर में स्कोर को अधिकतम करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख हस्तियों शहर में आईईसी/बीसीसी अभियानों में जोडने हेतु उनकी पहचान की जा सकती है। इस तरह के राजदूतों शिक्षा/मीडिया/राजनेताओं/धार्मिक या आध्यात्मिक नेताओं/ व्यापारी आदि अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

1.6.4. आईईसी/बीसीसी के लिए मास मीडिया के उपयोग और संचार उपकरणों की सीमा

उद्देश्य और परिभाषा

इस पैरामीटर का उद्देश्य ऐसे स्थानीय केबल नेटवर्क/बल्क एसएमएस/जागरूकता अभियान/ समाचार पत्र का उपयोग करकें मास मीडिया और संचार उपकरण के माध्यम से एसबीएम का संदेश प्रसारित करने के लिए यूएलबी द्वारा उठाए गये कदमों की जांच करने के लिए है ।

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

क्या यूएलबी स्वच्छ भारत का संदेश फैलाने के लिए प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों का उपयोग करता है?	
तीनों प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों को शामिल किया गया है	8
तीनों में से एक को ही (प्रिंट मीडिया डिजीटल मीडिया या जागरूकता अभियान) प्रयोग किया गया है	4
तीनों में से एक का भी (प्रिंट मीडिया डिजीटल मीडिया या जागरूकता अभियान) प्रयोग नहीं किया गया है	0

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

यूएलबी इन प्रपत्रों को सबूत के तौर पर दे सकते हैं–

- स्थानीय समाचार पत्रों की सूची (पेपर कटिग के साथ), केबल टीवी के संदेश (आडियो विजुअल फाइल के साथ), एसएमएस की लिस्ट, स्वच्छता और एसडब्लूएम के लिये बाटे गये पैम्फलेट।
- नगर पालिका के एक अधिकारी फेसबुक/ट्विटर अकाउंट पिछले 6 महीनों के लिए सक्रिय है, तो उसकी गतिविधि सूची प्रदान की जानी चाहिए ।

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- यूएलबी एक समर्पित फेसबुक पेज पर एक अभियान के माध्यम से मिशन गतिविधियों को बढ़ावा देने सकता है। अभियान के खाते में शहर में मोबाइल ६ इंटरनेट प्रवेश लेने से तैयार किया जाना चाहिए ।
- समाचार पत्र, रेडियो और अन्य प्रिंट मीडिया की तरह पारंपरिक मीडिया भी सभी समाज है कि डिजिटल मीडिया के लिए पहुँच नहीं है के वर्गों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ।
- यूएलबी मीडिया घरानों की सीएसआर के वित्त पोषण का लाभ उठाने और संदेश का प्रसार करने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं ।
- शहरी स्थानीय निकाय भी उनके लिए मीडिया और संचार रणनीतियों डिजाइन करने के लिए एजेंसियों को रखा जा सकता है

वित्त

- एसबीएम के आईईसी और जागरूकता घटक के लिए कुल धन की कुल एसबीएम बजट (प्छत 2193 करोड़ रुपये) का 15: है। यह 3: "हरी विकास मंत्रालय द्वारा रखा जायेगा और 12: राज्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा । राज्यों के लिए निर्धारित 12: में से राज्य द्वारा तैयार की प्रत्येक वार्षिक योजना में आईईसी फंड के कम से कम 50: जमीनी स्तर पर आईईसी गतिविधियों के लिए शहरी स्थानीय निकाय की ओर जाना होगा ।

1.6.5. एसबीएम पोर्टल पर विशेष अभियान के मीडिया कवरेज की अपडेशन

उद्देश्य और परिभाषा

पैरामीटर यूएलबी द्वारा उठाए प्रयासों के रूप में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विशेष अभियान के संचालन के लिए मीडिया कवरेज पाने के लिए आकलन करने के लिए है ।

विशेष साफ–सफाई ड्राइव संचालन करने के लिए एक परिपत्र शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेज दिया जाता है । अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक विषयगत साफ–सफाई ड्राइव की सूची शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं और अनुलग्नक बुक अनुलग्नक एके में देखा जा सकता है।

यह पैरामीटर निम्न स्कोरिंग विधि से सम्बन्धित है। यूएलबी द्वारा जो कि प्रति के रूप में अधिकतम अंक प्राप्त किया है, कार्यप्रणाली शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई है। जिसमें प्रेस क्लिप प्रति 1 अंक और टीवी वीडियो क्लिप प्रति 3 अंक, सबसे ज्यादा अंक (12 अंक) मिल जाएगा। अन्य सभी यूएलबी को भी सम्बन्धित प्रतिशत पद्धति पर आधारित स्कोर मिल जाएगा ।

इस मापदंड के तहत अंकों का क्रमिक स्थापन

एसबीएम पोर्टल और विषयगत ड्राइव की मीडिया कवरेज और Mygov
शहरों द्वारा प्राप्त संचयी स्कोर के प्रतिशतक विषयगत ड्राइव की मीडिया कवरेज के लिए 12

शहरी स्थानीय निकाय के सहायक प्रपत्र

शहरी स्थानीय निकाय, सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए

- एसबीएम पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज क्रियाएँ अद्यतन करने, प्रासंगिक बैठक के मिनट, संचार करिकुलम जारी, तस्वीरें ले लिया, प्रेस कतरनों आदि

अपने प्राप्तांक अधिकतम करने के लिये यूएलबी को क्या करना चाहिये?

- यूएलबी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आचरण करना चाहिए ड्राइव (के अनुलग्नक बुक अनुलग्नक एके देखें)।
- सभी तस्वीरें , प्रेस क्लिपिंग और टीवी वीडियो क्लिपिंग शहरी विकास मंत्रालय को ईमेल किया जाना चाहिए
- यूएलबी प्रेस क्लिप प्रति 1 अंक और टीवी वीडियो क्लिप प्रति 3 अंक मिल जाएगा

1.7. प्रस्तावित समयसीमा

राज्य मिशन सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डेटा संग्रह गतिविधियों का समर्थन करने के लिए लगभग आठ महीने का समय मिल जाएगा 15 मई 2016, प्रारंभिक चरण के रूप में सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डेटा संग्रह गतिविधियों का समर्थन करने के लिए।

माइलस्टोन	सम्भावित तिथि
प्रस्तावित तारीखों संबंधित नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/राज्य मिशन निदेशकों सर्वेक्षण पद्धति साझा करने के लिए	15 मई 2016 से शुरू
व्यापक जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को जोडने	01 जून 2016 से शुरू
सर्वेक्षण के प्रारंभ (नागरिक प्रतिक्रिया से डेटा का संग्रह)	04 जनवरी 2017 से
क्षेत्र का दौरा, डेटा संग्रह और विश्लेषण के समापन	04 फरवरी 2017 से
विस्तृत सूचक के लिहाज से और एकत्रित स्कोर और सर्वेक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष के साथ विस्तृत रिपोर्ट के साथ–साथ शहरों की रैंकिंग एसबीएम पोर्टल पर	15 फरवरी 2017 से

टोल फ्री नम्बर

18002672777

सत्यमेव जयते
Ministry of Urban Development